खण्ड-205, अंक-9
गुरूवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1881
(6 अगस्त, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 205 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९४

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
आयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फर्तासिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त , श्री
कलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह, विष्ट श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर आचार्य, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री

पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री

राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह चौधरी, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह , राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री

शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

उप-मन्त्री श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ अगस्त, १९५९

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

तेतरी बाजार, नौगढ़क्षेत्र में ताजियों का जलूस रोक देने की शिकायत

**१—श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १७ जुलाई, सन् १९५९ को बस्ती जिले के तेतरी बाजार, नौगढ़ क्षेत्र के हिन्दू-मुसलमान ताजियादारान के सदैव की भांति निकलने वाले ताजिये के जलूस को वहां के अधिकारियों ने नहीं निकलने दिया?

गृह उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं।

**२—श्री अब्दुलरऊफ लारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त अवसर पर अधिकारियों ने उन ताजियों को उठवाकर, जिन्हें ताजियेदारान प्रोटेस्ट स्वरूप छोड़ गये थे, नजदीक के गढ़े में फेकवा दिया?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना किसके द्वारा प्राप्त हुई है और कब ?

श्री रामस्वरूप यादव––यह सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा प्राप्त हुई है इस सवाल के आने के बाद।

श्री अब्दुल रऊफ लारी––क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि २० तारीख को माननीय मदन पांडेय ने कलेक्टर को एक पत्र इस सम्बन्ध में लिखा था और उसके बाद प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सना, एम० पी० तथा श्री मदन पांडेय, माननीय गृह मंत्री से मिल कर इस विषय में चर्चा कर चुके है ?

श्री रामस्वरूप यादव––पत्र का तो स्मरण नहीं है लेकिन कामरोको प्रस्ताव इस विषय में सदन में आया था।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार को किसी प्रकार के झगड़े अथवा दबाव की सूचना नौगढ़ बाजार से १७ जुलाई के सिलसिले में प्राप्त हुई, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव––यह सूचना प्राप्त हुई है कि पिछले वर्षों में जो ताजिया निकला करता था वह वहां जो रेलवे और टेलीग्राफ के तार थे उनको हटा दिया जाता था। इस वर्ष टेलिग्राफ वालों ने यह कहा कि उन तारों को हम बांस से ऊंचा कर देंगे और ताजिये आसानी से निकल जायेंगे। इसको पहले तो लोगों ने पसन्द नहीं किया लेकिन बाद में वह राजी हो गये और जो तार थे उनको उठा दिया गया और ताजिये निकल गये।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)––क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ताजिये की लम्बाई के झगड़े की आवाज करीब-करीब सारे प्रदेश से आती है तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि ताजिये की लम्बाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिये या इसके लिये कोई नियम बनाने पर विचार कर रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी––क्या सरकार को पता है कि तार को उठाने के लिये नहीं बल्कि तार को हटाने के लिये वहां तार के कर्मचारी मौजूद थे लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिद पर तार हटाने से इन्कार कर दिया और लोगों से कहा कि ताजिया तार के नीचे से निकाल कर ले जाओ ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––प्रश्न तार को उठाने या न हटाने का नहीं था, ताजिये के निकलने के लिये रास्ता देने का था। अगर तार को उठाने से ताजिये निकल गये तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं।

औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य पद के लिए विज्ञापन

३––श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)––क्या मुख्य मंत्री दिनांक ३०–७–५९ के विधान सभा के प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में कृपया यह बतायेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद में किसी पुरुष प्रधानाचार्य का स्थान रिक्त हुआ था और क्या उसके लिये कोई विज्ञापन निकाला गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)––जी हां।

श्री कल्याणचन्द मोहिले––क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद में प्रधानाचार्य का पद रिक्त हुआ था और क्या उसके लिये कोई विज्ञापन निकाला गया था ? क्या इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हां में है या नहीं में ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---दोनों प्रश्नों का उत्तर हां में है कि वह स्थान रिक्त था और उसके लिये विज्ञापन निकाला गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह विज्ञापन कब निकाला गया था और किन-किन समाचार-पत्रों में निकला था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस समय मुझे तिथि तो ठीक-ठीक याद नहीं है लेकिन यह विज्ञापन हमारे प्रदेश के बहुत से समाचार-पत्रों में निकाला गया। सरकार की तरफ से भी निकाला गया जब कि चुनाव समिति बनी थी और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी निकला जब उसने इस सम्बन्ध में चुनाव करने की बात सोची।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इन विज्ञापनों के निकालने पर कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---खेद है कि हमारे पास प्रशिक्षण के लिये जितने अध्यापकों की आवश्यकता है उतने अनुभवी लोग बहुत कम मिलते हैं और उतने प्राप्त नहीं हुए। इसलिये न तो पूरे-पूरे अनुभव के लोग प्राप्त हुए और न पब्लिक सर्विस कमीशन को इतने ज्यादा लोग मिले। उन्होंने सिर्फ दो आदमियों का नाम हमारे पास भेजा, उनमें से एक ने कहा कि मैं बूढ़ा और अस्वस्थ हूं, शरीर मेरा साथ नहीं देता, मैं काम नहीं कर सकता। एक आदमी, जो कमीशन से चुनकर आया था उसको हमने रख लिया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि जो विज्ञापन समाचार-पत्रों में छपा था उसके अनुसार यह नियुक्ति नहीं की गयी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया, उस योग्यता के लोग हमारी समिति के सामने भी नहीं आये।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)---चूंकि उस योग्यता के व्यक्ति अभी प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिये विज्ञापन क्या अभी निकल रहा है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, हमने फिर लिखा है पब्लिक सर्विस कमीशन को कि आप इस पर फिर सोच विचार करें।

डिबई तथा अनूपशहर नगरपालिकाओं का चुनाव

****४---श्री हिम्मत सिंह** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में डिबई और अनूपशहर म्युनिसिपल बोर्डों की अवधि समाप्त हो रही है? यदि हां, तो वह उनके चुनाव कब कराने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---डिबई और अनूपशहर नगर-पालिकाओं के बोर्डों का अवधिकाल क्रमशः जनवरी, १९६० व अप्रैल, १९६० में समाप्त होगा, इसके पूर्व ही इनमें सामान्य निर्वाचन कराये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री हिम्मतसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिबई चेयरमैन की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र आया था कि अवधि बढ़ा दी जाय?

श्री जयराम वर्मा---इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह---यह निर्णय कब तक किया जायगा कि यह चुनाव किस महीने में कराये जायेंगे?

श्री जयराम वर्मा---डिबई का अवधि-काल जनवरी, १९६० में समाप्त होता है और अनूपशहर का अप्रैल, सन् १९६० में समाप्त होता है। उसी समय चुनाव कराने का प्रश्न पैदा होगा।

बलिया जिले में चूहा विनाश योजना

**५—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को बलिया जिले में चूहों की असाधारण वृद्धि से उत्पन्न परिस्थिति की सूचना है ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—जी हां।

**६—श्री गौरीशंकर राय—क्या इन चूहों को समाप्त करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—कृषि रक्षा सेवा केन्द्र द्वारा चूहों के विनाश का कार्य चल रहा है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या कृषि मंत्री जी को मालूम है कि इन चूहों ने बलिया जिले में एक-तिहाई रबी की फसल का नुकसान कर दिया और खरीफ के बीज बोने के बाद जमीन से खा गये ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस प्रकार की कोई सूचना तो नहीं है कि एक-तिहाई फसल खा गये लेकिन यह सच है कि चूहों का वहां काफी प्रकोप रहा, लेकिन जो कार्य इसके लिये चल रहा है उसके द्वारा यह प्रकोप काफी समाप्त कर दिया गया है।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कृषि रक्षा केन्द्र द्वारा चूहों के विनाश के लिये बलिया में क्या हुआ ह ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—कृषि सेवा संघ द्वारा १९५८ के नवम्बर से लेकर जून, १९५९ तक लगभग १५८५.५५ एकड़ भूमि पर चूहों के विनाश की योजना का काम पूरा हुआ और इसके पूर्व जब प्रथम बार हमारे पास खबर आयी थी तो भी ३९ एकड़ पर चूहों को कंट्रोल करने का प्रयत्न किया गया।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार चूहों की इतनी बड़ी बाढ़ को देखते हुए इस मंदगति वाले मार्ग को छोड़ कर कोई नयी योजना बनाने की सोचती है कि जिससे इनके बढ़ाव पर काबू पाया जा सके ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जो योजना प्रान्तीय सरकार ने बनायी है उसका कार्य बलिया जिले में पूर्ण रूप से हो रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका थोड़ा-सा इतिहास भी बतला दूं क्योंकि इसके पूर्व एक एडजर्नमेंट मोशन भी इसके लिये आया था। १९५७–५८ में केन्द्रीय सरकार ने एक योजना बनायी कि किस प्रकार इनसे हम अपनी रक्षा करें और उन्होंने उनके विनाश के लिये थोड़ा रुपया भी दिया था। २४,८०० की यह योजना थी और उसके अन्तर्गत १९५७–५८ में हमने बलिया में भी काम किया। लेकिन १९५८ में जब हमारे पास खबर आयी तो हमने १५८५.५५ एकड़ में कार्य प्रारम्भ किया और उसके बाद फिर जब हमारे पास शिकायत आयी तो हमने अपने आफिसर्स को २७, २८ जुलाई को भेजा और उनकी रिपोर्ट अभी मेरे सामने यह है कि वर्षा प्रारम्भ हो गयी है इसलिये चूहे अपने स्थान को छोड़ कर चले गये हैं और जो नुकसान हुआ है उसका कारण चूहे नहीं थे। कारण यह था कि पहले जो वर्षा हुई थी उसके बाद थोड़े दिनों तक वर्षा हुई नहीं और जो बीज बोया गया था उसमें नुकसान हो गया, सूख गया। चूहों को भगाने का जहां तक सवाल है, उसके लिये हम काफी सतर्क हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि सेंटर से ऐसा कोई आदेश आया है सरकार के पास कि जनमेजय नामक यज्ञ की तरह से मूषक यज्ञ का अनुष्ठान किया जाय ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जैसा जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के समय जमींदारों ने यज्ञ कराया था वैसा यज्ञ तो नहीं होगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---यह तो १,५०० या १,६०० एकड़ में चूहों के नाश करने का प्रयत्न किया गया था वह जमीन एक सिलसिले में थी या फुटकर थी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---यह जो कार्य किया गया उसका स्कोप तो काफी था, लेकिन मैं फिर भी इनफार्मेशन के लिये यह बता सकूंगा कि एन० ई० एस० ब्लाक, बांसडीह में ५०२.५५ एकड़ पर यह आपरेशन किया गया, बेरुआरवारी में १५८ एकड़, बारिया में ८१५ एकड़ और जो शेडो ब्लाक हनुमानगंज है उसमें ७१ एकड़ में किया गया। इस तरह से योजना-बद्ध ४ बड़े-बड़े स्थानों में यह किया गया।

तारांकित प्रश्न

*१-२---श्री झारखंडे राय---[हटा दिये गये।]

वृहद् उद्योगों के विस्तार के लिए विशेषज्ञ समिति

*३---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में वृहद् उद्योगों के विस्तार की सम्भावना तथा रूपरेखा पर विचार करने के लिये सरकार ने कोई विशेषज्ञ समिति बनायी है या बना रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समिति में सदस्यों की नामावली तथा टर्म्स आफ रेफरेन्स स सदन को अवगत करायेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां। उस विशेषज्ञ समिति के सम्बन्ध में वांछित सूचना †संलग्न कार्यालय ज्ञाप संख्या १३८४ ई० पी०/१८-ब---४४-ह-१९५९, दिनांक ९ मई, १९५९ में दी है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो उत्तर मुझे दिया गया है उसमें टर्म्स आफ रेफ़रेंस में लिखा हुआ है कि चौथाई मेम्बर कोआप्ट किये जायंगे, इन लोगों में किन लोगों का कोआप्शन किया गया है ? अगर नहीं किया गया है तो असेम्बली के मेम्बरों को भी कोआप्ट करने की संभावना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस कमेटी में एक्सपर्ट का काम है। जब असेम्बली के मेम्बरों का काम शुरू होगा तो उनके सामने आयेगा ही आखिर में।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---असेम्बली के मेम्बरों का काम कब शुरू होगा, माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---थर्ड फाइव ईयर प्लान की रूप-रेखा बनकर जब भवन के सामने सरकार प्रस्तुत करेगी तब उनका काम शुरू हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह कमेटी लखनऊ में ही बैठकर सारे यू० पी० का नक्शा अपने दिमाग़ में रखेगी या साक्षी लेने के लिये प्रदेश में भी जायगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---साक्षी और डाटा जो उस सम्बन्ध में विभिन्न संस्थाओं ने एकत्रित किया है उसके संकलन मात्र से ही सारे प्रदेश का नक्शा सामने आ जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर उनकी वृहद् उद्योग समिति में जो नये नाम जोड़े गये हैं उनको बतायेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जो, मान्यवर, इसके अन्दर पहले से नाम हैं उनके अतिरिक्त किन्हीं और नामों के जोड़ने की जानकारी मुझे नहीं है।

---

†सूचना छापी नहीं गई।

वृद्धावस्था पेन्शन योजना

*४--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--२० फरवरी, १९५८ के प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ७० साल की आयु वालों को पेन्शन देने के सम्बन्ध में जो कुछ सहूलियतें दी गई हैं वे क्या-क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--७० वर्ष की आयु वालों को पेंशन देने के लिये शासन ने जो सहूलियतें दी हैं वे वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में सम्मिलित हैं। नियमों की एक पुस्तिका† सदन की मेज पर रख दी है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वृद्धावस्था की पेंशनों के सम्बन्ध में जो पुस्तिका विधायकों को दी गयी है नियमों की, उसके बाद भी कोई संशोधन हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी भी कापियां विधायकों को देने की कृपा की जायगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इन नियमों में जब-जब संशोधन होते हैं या होंगे वे इस विधान सभा के माननीय सदस्यों की सेवा में जरूर भेजे जायंगे।

एटा तथा मथुरा के जिलाधीशों के विरुद्ध शिकायत

*५--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा कमिश्नरी के अन्दर जितने जिलाधीश इस समय कार्य कर रहे हैं उनकी सन् १९५७ से १३ मार्च, १९५९ तक इन्तजाम सम्बन्धी यह रिश्वत लेने की शिकायतें सरकार के पास या आगरा कमिश्नर के पास कहां-कहां से आई हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--एक शिकायत सरकार व कमिश्नर के पास आई जो गुमनाम थी। दूसरी शिकायत सरकार के पास अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, एटा से प्राप्त हुई।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा के जिलाधीश की जिला कांग्रेस कमेटी, एटा के प्रेसीडेन्ट ने जो शिकायत की थी उसकी जांच किस अधिकारी ने की थी और उसमें क्या हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उसमें कोई विशेष जांच करने की बात नहीं थी और खासतौर से किसी एक अधिकारी की शिकायत भी नहीं थी। उसमें यह कहा गया था कि २६ जनवरी को लोगों के बैठने का जो प्रबन्ध किया गया था उसमें विधायकों के बैठने का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं था। बैठने का प्रबन्ध सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने किया था इसलिये यह कहा जा सकता है--नाम किसी का लिखा नहीं था, लिखा था "अधिकारियों"--ऐसा माना जा सकता है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के विरुद्ध रही हो। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात हुई और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बतलाया कि इन परिस्थितियों में ऐसा प्रबन्ध हुआ था और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आइन्दा से ऐसी बात नहीं होगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ९ फरवरी को पत्र लिखा कि मैं संतुष्ट हो गया हूं

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो गुमनाम शिकायत थी वह किस जिले के कलेक्टर की थी और किस जिले वालों ने की थी और वह रिश्वत सम्बन्धी थी या इन्तजाम सम्बन्धी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मथुरा के कलेक्टर के विरुद्ध थी। चूंकि गुमनाम थी इसलिये मालूम नहीं किसने की थी और किस जिले वालों ने की थी।

---

†पुस्तिका छापी नहीं गई।

श्रीनगर के निकट सीमेंट फैक्टरी खोलने का तथा त्रियुगीनारायण के पास मिलने वाली पापड़ी लकड़ी के प्रयोग का सुझाव

*६--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---क्या यह सही कि गढ़वाल जिले के श्रीनगर में सरकार एक सीमेंट का कारखाना खोल रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

*७--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या मुख्य मन्त्री को मालूम है कि गढ़वाल जिले में त्रियुगीनारायण के नजदीक ऐसी लकड़ी पाई जाती है जिसे नैपाल के लोग काटकर चीन पहुंचाते हैं जहां से चाय के प्याले, तश्तरियां, इत्यादि सामान बन कर हमारे देश में आता है ? यदि हां, तो इस लकड़ी के सदुपयोग के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(क) जी हां।

(ख) अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या सरकार को मालूम है कि श्रीनगर तथा आसपास के इलाके में लाइम स्टोन जैसा कच्चा माल बड़ी मात्रा में मिलता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह सही है कि गढ़वाल जिले में कुछ रिच लाइम स्टोन है। किस तरह से इस्तेमाल किया जाय और कौन करे, इसके सम्बन्ध में कोई योजना सरकार नहीं बना पाई है और न कोई उद्योगपति ही ऐसी योजना लाया है। हमारा हैवी इन्डस्ट्री का जो ग्रुप बना है उसके सामने यह प्रश्न विचाराधीन होगा। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र कोई उद्योग पति, इस प्रदेश का या बाहर का लायेगा और हमसे बातचीत करना चाहेगा तो जो सहायता और सहयोग उत्तर प्रदेश की सरकार कर सकती है वह जरूर करेगी। लेकिन हमारा अपनी तरफ से कोई सीमेंट का कारखाना लगाने का इरादा नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--- क्या यह सही है कि बम्बई की एक प्राइवेट कम्पनी सरकार के पास इस उद्देश्य से पहुंची है कि वह इस लाइम स्टोन के सदुपयोग के लिये सीमेन्ट का मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स प्राप्त करे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र हमारे सामने नहीं आया है और जैसे ही हमारे पास इस तरह का कोई प्रार्थना-पत्र आयेगा हम निश्चय ही उसका स्वागत करेंगे।

श्री प्रतापसिंह---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी में सीमेन्ट न बनने के कारण बहुत से विकास के कार्य और व्यक्तिगत कार्य नहीं हो पाते हैं, सरकार इस ओर शीघ्रता करने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सीमेन्ट के जहां तक उपलब्ध होने का प्रश्न है वह केवल सीमेन्ट का कारखाना खुल जाने से ही नहीं उपलब्ध होती है। सीमेन्ट पर गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कन्ट्रोल है। मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य के जिले में सीमेन्ट नहीं पहुंची लेकिन यह बात अलग से देखी जा सकती है। अगर वहां पर सीमेन्ट की आवश्यकता होगी तो उसके दिलाने की व्यवस्था की जायगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को पता है कि कुमायूं कमिश्नरी में चूने का पत्थर निकलता है और वह हर माने में चुर्क से बहुत बेहतर है और ज्यादा मात्रा में है। इसलिये इस बात को देखते हुये क्या सरकार वहां कारखाना खोलने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसा मैंने निवेदन किया कि हैवी इन्डस्ट्री ग्रुप जो थर्ड फाइव इयर प्लान का बना है वह इस पर विचार कर सकता है। अब जहां तक मिर्जापुर और कुमाऊं के मुकाबले का प्रश्न है वह इस लिये नहीं उठता क्योंकि यातायात के साधन जैसे रेलगाड़ी और ऐसी तमाम बातों को ध्यान में रख कर तब किसी स्थान को चुना जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले में मिलने वाले लाइम स्टोन का अभी तक सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है कि उस की क्या क्वालिटी है? यदि नहीं, तो क्या इसे सरकार करावेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—डाइरेक्टोरेट आफ ज्योलाजी के पास बहुत कम मात्रा में साधन होते हुये भी उन्होंने काफ़ी छानबीन की है। यह सही है कि वहां का लाइम स्टोन रिच क्वालिटी का है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन उसका इकानामिकली एक्सप्लायट करना, सीमेंट का कारखाना बनाना, ये बातें इतनी उलझन की हैं कि उनके संबंध में काफी विचार करना होगा। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे प्रदेश में इस समय भी बहुत ज्यादा सीमेंट बन रहा है और बाहर के बाजार हमको देखने पड़ रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस प्रदेश का सीमेंट उत्पादन और प्रदेशों से कम है, तृतीय आयोजन में इस सीमेंट के कारखाने की व्यवस्था सरकार करेगी?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मुफ़ीद व्यावसायिक महत्व की लकड़ी का सदुपयोग अभी तक किन कारणों से नहीं हो सका है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—पहली बार जब माननीय मुख्य मन्त्री जी बद्रीनाथ की तरफ गये थे तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ था। हम इसका सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रतापसिंह—इस लकड़ी को नैपाल के लोग काट कर सरकार की इजाजत से ले जाते हैं या बिना इजाजत?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हमारे यहां से कोई चीज चोरी से बाहर नहीं जाती है। उसके बदले हमें पैसा मिलता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—सरकार इस लकड़ी का उपयोग कब तक प्रारम्भ कर देगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जितना शीघ्र हो सकेगा। अभी योजना बन रही हैं कि क्या इसका प्रयोग करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—यह कौन-सी लकड़ी है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—पापड़ी नाम का एक पेड़ है। इससे चीन के लोग तसवीरों के लिये फ्रेम बनाते हैं, आभूषणों के साथ भी यह इस्तेमाल होती है। यह बड़ी अच्छी और मुलायम लकड़ी है। ६,००० से ९,००० फ़ीट की ऊंचाई पर मिलती है।

गढ़वाल जिले में फल संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना

*८—**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी**—क्या सरकार के सामने उत्तरी गढ़वाल में फल संरक्षण तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाओं के प्रशिक्षण के लिये कोई केन्द्र खोलने की योजना है? यदि हां, तो कब तक वह कार्यान्वित की जायगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---विशेषकर उत्तरी गढ़वाल के लिये तो सरकार के सामने कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना नहीं है। हां, समस्त गढ़वाल के लिये एक सचल दल फल संरक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना सरकार के सामने है। यह केन्द्र उत्तरी गढ़वाल में भी काम करेगा। योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जायगी।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या सरकार यह महसूस करती है कि गढ़वाल जिले की भौगोलिक आवागमन की असुविधाओं के कारण यदि उत्तर गढ़वाल के लिये एक अलग प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रशिक्षण केन्द्र जिसकी शिक्षा देता है वह है फलों का संरक्षण। अभी तक गढ़वाल में इतने ज्यादा फल नहीं पैदा होते हैं कि एक और केन्द्र खोला जाय। इस समय वहां हार्टीकल्चर पर जोर है।

रीजनल कन्सीलिएशन आफिसर्स के पदों को खत्म करने की जानकारी

*९---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार Regional Conciliation Officers के पदों को निकट भविष्य में ही खत्म करके Assistant Labour Commissioner region-wise नियुक्त करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*१०---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रशासकीय परिवर्तन का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रश्न नहीं उठता।

*११---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रशासकीय परिवर्तन से कितना वार्षिक व्यय राज्य में बढ़ जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या यह सही नहीं है कि प्रादेशिक लेबर कमिश्नर के कार्यालय में पिछले कुछ दिनों से कुछ अफसर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह बात सही है कि कुछ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पद हमने बढ़ाये हैं और वे विभिन्न केन्द्रों में, जैसे बरेली, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ में काम कर रहे हैं।

बक्शी तालाब में ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स प्रशिक्षणार्थियों को वेतन तथा भत्ता न मिलने की शिकायत

*१२---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सन् १९५४ में विभिन्न विभागों से १०४ कर्मचारी बक्शी के तालाब, लखनऊ में बी०डी०ओ० ट्रेनिंग में भेजे गये थे ?

नियोजन मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१३---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारियों में से कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ट्रेनिंग काल का वेतन, भत्ता, इत्यादि अभी तक नहीं दिया गया है और न देने का क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां---सूचना एकत्रित की जा रही है।

कपड़े की बन्द मिलों को खुलवाने की प्रार्थना

*१४--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में कितनी कपड़ा मिलें कब से बन्द हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--प्रदेश की १५ कपड़ा मिलें बिलकुल बन्द पड़ी हैं। नाम तथा बन्द होने की तिथि संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०० पर)

*१५--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार बन्द कपड़ा मिलों में से सबको या कुछ को स्वयं चलाने पर विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं। लेकिन मेसर्स एथर्टन ऐन्ड वेस्ट कम्पनी, कानपुर, की मिल को जो १ ली अप्रैल, १९५८ से श्रमिकों की बैठकी के कारण बन्द है, चालू करने का निश्चय किया गया है ।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बतावेंगे कि इन मिलों के बन्द होने से कितने व्यक्ति बेकार हुये और उनको काम दिलाने अथवा बेकारी के समय में भरणपोषण के लिये सरकार की ओर से कोई प्रबंध किया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--पहले भाग का उत्तर दिया जा चुका है पहले और इस समय मेरे पास वह सूचना नहीं है। सारे देश में कपड़े के बाजार में मन्दी की वजह से. फाइबर्स के दूसरे कपड़े बनने की वजह से, इन मशीनों के बाबाआदम के जमाने की होने की वजह से और उनकी उम्र पूरी होने की वजह से वे बन्द पड़ी हैं। मरना था उन्हें मर गईं ।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त की गई थी जिसने यह रिपोर्ट दी है कि इन मिलमालिकों की कुव्यवस्था के कारण ये मिलें बन्द हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कुछ विचार कराया। केन्द्रीय सरकार की जांच केवल कानपुर तक ही सीमित रही। उस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट छपी है उसे माननीय सदस्यों ने देखा होगा, वह पब्लिक डाक्यूमेंट है। अगर वे अपनी पुरानी मशीनों को बदलते रहते, जो काम १०-१५ वर्ष पहले शुरू हो जाना चाहिये था, तो शायद यह दिक्कत हमारे सामने नहीं आती ।

श्री गेंदासिंह--केन्द्रीय सरकार की समिति ने किसी खास मिल की सुव्यवस्था का इशारा नहीं किया है, बल्कि कुव्यवस्था का किया है। तो क्या स्टेट गवर्नमेन्ट इस कुव्यवस्था की जांच की कोई कार्यशाही करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जरूरत होगी तो करेंगे।

अफीमचियों के सुधार के लिए प्रयास

*१६--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अफीम खाने वालों के नाम रजिस्टर किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनमें पुरुष व स्त्रियों का क्या अनुपात है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी हां। उनकी संख्या ८,४२९ है, जिनमें ८,१०० पुरुष तथा ३२९ स्त्रियां हैं।

*१७--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अफीमचियों के लिये बिशेष प्रकार की अफीम की गोलियां व बिस्कुट भी बनवाये जाने वाले हैं और क्या अफीम की मात्रा शनःशनैः कम की जायगी ?

डाक्टर सीताराम——जी हां। अफीमचियों के लिये विशेष प्रकार की अफीम की गोलियां व बिस्कुट बनाने का प्रश्न केन्द्रीय शासन के विचाराधीन है। आदी व्यक्तियों को दी जाने वाली अफीम की मात्रा धीरे-धीरे कम की जायगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम——क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुधमुहें बच्चों को अफीम खिलायें जाने के सम्बन्ध में वह कोई कार्यवाही कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सीताराम——छोटे बच्चों को खिलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि २१ साल से कम वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता।

श्री लक्ष्मणराव कदम——अफीम का खाना बिलकुल कब तक बन्द कर दिया जायगा?

डाक्टर सीताराम——इसके लिये अभी कहना मुश्किल है। पूरे प्रदेश में १ जुलाई, सन् १९५९ से उसका निषेध कर दिया गया है, लेकिन आदी व्यक्तियों को ही केवल वह दी जायगी।

श्री झारखंडे राय——क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अफीम अफीमचियों को न दिये जाने में सरकार को क्या दिक्कत है?

डाक्टर सीताराम——वह मेडिकल आफिसर की रिकमेंडेशन पर दी जाती है और तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लाइसेंस देता है। हर तीसरे महीने आठवां हिस्सा धीरे-धीरे कम किया जाता रहेगा। इस तरह से उनकी आदत को छुड़ाने के लिये यह भारत सरकार की नीति है। भारत के समस्त राज्यों ने इसको स्वीकार किया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)——सरकार अफीम खाने वालों की संख्या कम करने का जो प्रयत्न कर रही है उसके तहत वह क्या इस बात पर भी विचार करेगी कि पुरुष अफीम खाने वालों का अनुपात स्त्री अफीम खाने वालों के बराबर हो जाय?

डाक्टर सीताराम——इसके लिये कुछ कहना मुश्किल है।

*१८-१९——**श्री उग्रसेन**——[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २० अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज विभाग में असिस्टेंट ट्रैफिक इन्स्पेक्टरों की भर्ती के नियम

*२०——**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)——क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असिस्टेन्ट ट्रैफिक इन्स्पेक्टर के पद के लिये कार्यालय सामान्य प्रबंधक उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में वेटिंग पैनल सन् १९५९ में बनाया गया है?

डाक्टर सीताराम——आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२१——**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**——यदि हां, तो उक्त वेटिंग पैनल में किस योग्यता के व्यक्तियों को रखा गया है और इन व्यक्तियों के चुनाव का तरीका क्या रहा है?

डाक्टर सीताराम——आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी——क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सूचना कब तक प्राप्त हो सकेगी?

डाक्टर सीताराम——निश्चित तो कहना कठिन है, लेकिन शीघ्रातिशीघ्र।

सीतापुर जिले में दरी उद्योग के लिए सहायता

*२२- **श्री ताराचन्द माहेश्वरी**——क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में हस्तकला द्वारा निर्मित दरी उद्योग के विकास हेतु गत २ वित्तीय वर्षों में सरकार ने क्या सहायता दी है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१,३५,८२५ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। कुछ लोगों को दरी बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १,३५,८२५ रुपया जो दिया गया है वह किसी व्यक्ति को दिया गया है या संस्था द्वारा दिया गया है। यदि संस्था द्वारा दिया गया तो उसके हिसाब की जांच-पड़ताल की गयी या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह रुपया संस्था को दिया गया, उसके द्वारा शेयर होल्डर्स को मिला। जो रुपया सरकार शेयर होल्डर्स को देती है उसमें से कुछ रुपया शेयर होल्डर्स को भी जाता है, रिबेट वगैरह का। जहां तक संस्थाओं के हिसाब-किताब के जांच करने का सवाल है, उनका आडिट किया जाना चाहिये। इस वक्त उसकी जानकारी मुझे नहीं कि उनका आडिट हुआ या नहीं। लेकिन सरकार को इसका अख्तियार जरूर है।

फूलपुर सहकारी भट्ठे के हिसाब में गड़बड़ी की शिकायत

*२३—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फूलपुर सहकारी संघ, जिला वाराणसी किस सन् से ईंट का भट्ठा चला रहा है और प्रति वर्ष कितना वैगन कोयला इस भट्ठे को दिया जाता है ?

श्री सुल्तान आलम खां—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की भी जानकारी की है कि आडीटर ने भट्ठे का आडिट करते हुये रजिस्टर में यह नोट लगाया है कि ५ हजार से ज्यादा के कोयले का पता नहीं है ?

श्री सुल्तान आलम खां—अगर माननीय सदस्य इसके बारे में सवाल करेंगे तो उसकी जांच की जायगी।

श्री ऊदल—मैंने और भी प्रश्न दिया था उसको अस्वीकृत कर दिया गया कि इसको अनुपूरक में पूछा जा सकता है, इसलिये क्या माननीय मंत्री जी इसकी सूचना एकत्रित करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां—अगर माननीय सदस्य इसका नोटिस देंगे तो सूचना एकत्रित करा दी जायगी।

श्रम कार्यालय, कानपुर में डाक्टर बंशीधर की कार्यविधि में बढ़ती तथा अनक्लेम्ड वेजेज का धन

*२४—**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय श्रम कार्यालय, कानपुर, में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कि ६० वर्ष की उम्र हो जाने के बाद भी काम कर रहे हैं ? क्या इसके लिये लोक सेवा आयोग की राय ली गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—केवल एक। जी हां।

*२५—**श्री उमाशंकर शुक्ल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेबर वेलफेयर ऐक्ट की मातहत अनक्लेम्ड वेजेज का कितना रुपया कानपुर के मिलों से सन् १९५७-५८ एवं १९५८-५९ में वेलफेयर फंड में जमा हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह अधिनियम अभी तक उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया हैं अतः इसके अन्तर्गत अनक्लेम्ड वेजेज की धनराशि जमा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

*२६—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी तक इस रुपये का कहां-कहां उपयोग हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उमाशंकर शुक्ल—जिन सज्जन को ६० वर्ष से अधिक काम करने का मौका दिया गया है, क्या उसके कोई विशेष कारण थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्योंकि ऐसा दूसरा विशेषज्ञ इस उत्तर प्रदेश में हमारी जानकारी में नहीं है ।

श्री उमाशंकर शुक्ल—जिन कारणों से उन विशेषज्ञ महाशय को रखा गया है ६० वष की उम्र के बाद भी, उन्होंने इतने दिनों में जो योजनायें सरकार के सामने प्रस्तुत की हैं उनमें से कोई भी व्यवहार में लायी जा सकी है या उनका कोई उपयोग हो सका है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जहां तक डाक्टर वंशीधर की सिफारिशों का सम्बन्ध है वे इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी मान्यता पा चुके हैं, जहां तक उनकी टाइम मोशन थ्योरी के सम्बन्ध में जानकारी है वह बहुत ज्यादा है । जहां तक इस प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है, बदकिस्मती से कपड़ा मिलों का काम उनको मिला और कपड़ा मिलों के लिये सारे देश में एक वेज बोर्ड बनने की वजह से उनकी सिफारिशें लागू करने का मौका ही नहीं आया ।

हाथ उद्योगों से सम्बन्धित सहकारी समितियां

*२७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार ने हाथ उद्योगों (हैन्डीक्राफ्ट्स) की कुछ सहकारी समितियां स्थापित करने की कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—(क) जी हां ।

(ख) उक्त योजना की रूपरेखा यह है कि राज्य में हस्तकला उद्योगों की २० सहकारी समितियां स्थापित की जायं । प्रत्येक ऐसी समिति को ५,००० रुपये का ऋण शेयर कैपिटल तथा वर्किंग कैपिटल के लिये दिया जाय और २,००० रुपये का अनुदान कर्मचारियों के वेतन. पब्लिसिटी आदि के लिये दिया जाय ।

*२८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या उपर्युक्त योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण या अनुदान के रूप में कुछ सहायता मिलेगी ? अगर हां, तो कितनी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—(क) जी हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में १,२०,००० रुपया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस योजना के अनुसार कार्य शुरू हो गया ? अगर हो गया है, तो अब तक कितनी सहकारी समितियां स्थापित हो चुकी हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस योजना के सम्बन्ध में, मान्यवर, निश्चित आदेश उद्योग संचालक को जारी कर दिये गये हैं । हमको अखिल भारतीय हस्तकला मंडल के आदेश से केन्द्र से ये रुपये मिले हैं जिनको हमने अपने उद्योग संचालक को दे दिया है । जैसे जैसे समितियां बनती जायेंगी वे उनको रुपया देते जायेंगे । यह रुपया डायरेक्टर के पास मौजूद है । समितियां बन जायेंगी तो उनको दे दिये जायेंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कन्द्र से जो रुपया मिला है वह ऋण के रूप में मिला है या अनुदान के रूप में ? अगर दोनों रूप में मिला है तो ऋण के रूप में कितना मिला है और अनुदान के रूप में कितना ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१ लाख रु० ऋण के रूप में और २० हजार रु० अनुदान के रूप में मिला है।

आजमगढ़ के एक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का अपनी नौकरानी तथा उसके बच्चों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार

*२९—कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री मदन पांडेय, राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर), तथा श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि मई, १९५९ में आजमगढ़ के किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अपनी घड़ी गुम हो जाने के कारण अपनी नौकरानी को बुरी तरह पीटा तथा उसके किसी प्रकार प्राण बचा कर भाग जाने पर उसके तीन मासूम बच्चों के शरीर में कीलें ठोंक ठोंक कर घड़ी का पता लगाया गया जिनकी करुण चीत्कार पर काफी लोग जमा हो गये तब बच्चों की प्राण रक्षा हो पाई? यदि हां, तो क्या सरकार घटना का विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ऐसी बात सुनने में आयी थी।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे बच्चे जिनको कीलें ठोंकी गयीं उनकी उम्र क्या थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरे जवाब में यह है कि ऐसी बात सुनने में आयी थी। जिस वक्त मैंने जवाब दिया उस वक्त हमारे पास पूरी सूचना नहीं थी। इस वक्त तक जो सूचना है वह आपकी अनुमति से मैं सदन के सामने रख देता हूं। अखबारों में भी बात छपी थी कि इन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब की घड़ी खो गयी और दफ्तर जाते वक्त इनको जब घड़ी नहीं मिली तो उसे ढूंढ़ना शुरू किया। इनको सन्देह हुआ अपनी एक मजदूरनी पर जिसे उन्होंने तीन-चार दिन पहले ही अपने यहां रखा था, उसको उन्होंने छड़ी से पीटा। तब उसका एक ६ वर्ष का बच्चा था जिसने यह कहा कि साहब घड़ी तो मेरी मां ने चुरायी है और वह चारपाई पर तकिये के नीचे रखी है। उनको घड़ी नहीं मिली इस पर मैजिस्ट्रेट साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसके जो तीन बच्चे थे उन बच्चों के हाथों में कीलें ठोंक दीं और उन मां बच्चों को अपने एक चपरासी के चार्ज में छोड़ कर स्वयं दफ्तर चले गये। फिर जब वे लौट कर आये तो घड़ी उन्हें मिल गयी। यह एक शिकायत थी जिससे मैजिस्ट्रेट इंकार करते हैं। उनका कहना है कि मैंने मारा तो जरूर लेकिन छड़ी से नहीं। बच्चों को दो तीन चपतें लगायीं, लेकिन मां को जरूर तीन चार छड़ी मारी थी। मां ने घड़ी चुरायी थी और जब वे दफ्तर से चले आये तो वह घड़ी जहां की तहां रखी हुई मिली। गवर्नमेंट ने इन मैजिस्ट्रेट साहब का तबादला कर दिया है और गोरखपुर डिवीजन के कमिश्नर पर इस बात की जांच करने का काम सौंपा है। ५,६ दिन हुए कमिश्नर की रिपोर्ट आयी है। ५२ पृष्ठ की वह रिपोर्ट है, हर पहलू से उन्होंने जांच की है, उन्होंने मेडिकल करा के डाक्टर की रिपोर्ट भी ली है। जांच के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दरअसिल मैजिस्ट्रेट की घड़ी चोरी नहीं गयी थी, उन्होंने खुद कहीं रख दी होगी और भूल गये होंगे। बहरहाल घड़ी उन के घर पर ही मिल गई और किसी पर दोष लगाने की बात गलत मालूम होती है और आरोप भी गलत मालूम होता है। यह बात सही है कि उन्होंने मारा, मजदूरनी को भी मारा और बच्चों को भी मारा लेकिन डाक्टरी राय यह है और कई लोग जिन्होंने देखा उन का भी यह कहना है कि कील क्या कोई पिन भी नहीं चुभोई गई। संक्षेप में यह रिपोर्ट है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि मजिस्ट्रेट का यह काम निन्दनीय था, अगर मारा भी तब भी यह काम गलत था। घड़ी के संबंध में जो उन्होंने बयान दिया कि वह चोरी हुई, जाहिर है कि वह बयान भी अबतक की जांच के अनुसार सही बयान नहीं है, गलत बयान है। ऐसी हालत में यह विचारणीय बात है कि क्या दंड उन को दिया जाय। अभी तो उन को एक मास की छुट्टी लेने पर मजबूर किया गया है, वह परसों से छुट्टी पर हैं। अब उनको कायदे के अनुसार चार्जशीट दिया जायगा और एक्सप्लेनेशन मांगा जायगा। उस के बाद इसका निर्णय होगा कि उनको सजा दी जाय या क्या किया जाय।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो जुर्म करने का वाक्या हुआ है इस संबंध में क्या मुबारकपुर के थानेदार श्री दीक्षित का भी हाथ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शिकायत इस तरह की भी की गई थी लेकिन कमिश्नर ने अपनी लम्बी जांच के बाद यह पाया कि ऐसा कोई जुर्म नहीं हुआ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार के पास यह भी सूचना है कि यह जो कांड हुआ उस के बाद जब वह स्त्री और बच्चे उस की रिपोर्ट लिखाने गये तो पुलिस द्वारा पहले रिपोर्ट नहीं लिखी गई और हीला-हवाला किया गया, लेकिन जब पड़ोस के लोग वहां पहुंचे तब रिपोर्ट लिखी गई या नहीं लिखी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुछ हद तक बात सही है, जांच हो रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट पर जो चार्जशीट लगाया गया है उसमें यह आरोप भी रहेगा कि उन्होंने अपना बयान गलत दिया है और किसी भी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के लिये गलत बयान देना बुरी बात है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---निश्चय ही।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस रिपोर्ट से यह पता लगाकर बतायेंगे कि उस स्त्री की और मैजिस्ट्रेट साहब की उम्र क्या थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस पहलू से तो हम ने नहीं देखा और न कमिश्नर की रिपोर्ट में ही कोई ऐसी चीज है।

श्री प्रतापसिंह---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ड्यूरिंग पेंडेंसी आफ इंक्वायरी इन जुडीशियल मैजिस्ट्रेट साहब को ससपेंड क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ससपेंड करने के नियम हैं कि फलां फलां हालत में ससपेंड किया जा सकता है और हर पहलू पर गौर करने के पहले किसी नतीजे पर पहुंचना सरकार के लिये उचित न होगा।

श्री झारखंडेराय---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ३ मासूम बच्चों के कीलें चुभोने की बात है उन की जिस डाक्टर ने जांच की, उसकी रिपोर्ट मंगाने की सरकार ने कोशिश की है ? यदि नहीं तो उसे मंगाने की कोशिश की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कमिश्नर की रिपोर्ट में उस का सारांश दिया हुआ है इसलिये उस के मंगाने की कोई खास जरूरत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह मासूम बच्चे अस्पताल में कितने दिन तक रहे, रिपोर्ट में कुछ जिक्र है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मेरा खयाल है कि अस्पताल में शायद रहे नहीं।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिपोर्ट आई हुई है, उसमें पुलिस को जानकारी होने के बाद भी शिथिलता दिखाये जाने का कोई आरोप है ? यदि हां, तो ऐसी हालत में पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने तो अभी जवाब दिया कि इस किस्म का जिक्र है और उसकी भी जांच कर रहे हैं।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी में सब्सीच्यूट श्रमिक तथा श्रमिकों को बोनस देने की स्कीम

*३०—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सीमेंट फैक्ट्री चुर्क में कितने श्रमिक सब्स्सीच्यूट के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त फैक्ट्री में चार कर्मचारी सब्स्टीच्यूट के रूप में कार्य कर रहे हैं।

*३१—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सब्स्टीच्यूट कब से कार्य कर रहे हैं और कब तक रेगुलर सर्विस में हो जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ये सब्स्टीच्यूट अधिक दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। इनम स तीन व्यक्ति रिवेटर्स (Rivetters) के रेगुलर पदों पर, जो सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत हुये हैं, नियुक्त किये जायेंगे, तथा चौथा व्यक्ति एक वर्तमान सैम्पुल बाय (Sample Boy) के रेगुलर पद पर नियुक्त किया जायगा।

*३२—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय सीमेंट फैक्ट्री चुर्क के श्रमिकों को बोनस देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फैक्ट्री के कर्मचारियों को इंसेंटिव बोनस (Incentive Bonus) देने की एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

*३३—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

*३४-३६—श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—[२१ अगस्त, १९५९ के लिये प्रश्न २५-२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

झांसी के पुलिस अफसरों को दण्ड देते हुए माननीय जस्टिस मुल्ला का मैजिस्ट्रेटों पर लांछन

*३७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी सदर बाजार के जिस दूकानदार को अपनी दूकान वहां के थाने के सेकेंड अफसर को चाट खिलाने के लिये न ले जाने के फलस्वरूप हवालात में बन्द कर दिये जाने के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस मुल्ला ने ८ जनवरी, १९५९ को जिन दो पुलिस अफसरों को सौ-सौ रुपया जुर्माना की सजा देते हुए जो निम्नलिखित Stricture पास किये हैं उनके संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ;

"The Magistrate seems to be of the opinion that if Police Officers or men misbehave and act in an illegal and high-handed manner and deprive the citizens of their liberty, they have no right to protest."

"One cannot help feeling that in cases when Police Officers or men are accused of an offence most of the Magistrates are incompetent to function in judicial manner."

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—संबंधित मैजिस्ट्रेटों से जवाब तलब किया गया है। जवाब आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पुलिस अफसरों के खिलाफ विभाग की तरफ से क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हाई कोर्ट ने तो उनको सजा दी ही है, विभाग की ओर से सजा होनी चाहिये या नहीं, यह विचारने की बात है। आमतौर से नियम यह है कि किसी शख्स को एक अपराध के लिये दो सजा न दी जायं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आनरेबिल जस्टिस ने जो यह लिखा है वह कोई एक मैजिस्ट्रेट के बारे में उन्होंने राय नहीं दी है बल्कि यह कहा है कि जब कभी पुलिस का आदमी फंसता है तो यह मैजिस्ट्रेट जूडिशियल माइंड नहीं रखते हैं, तो इसमें आम तौर का जो यह रिमार्क है इस पर गवर्नमेंट छानबीन करने की कोशिश कर रही है कि यह रिमार्क क्यों हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा आम रिमार्क है, वैसे ही आम उस पर विचार होता है, और तो मैं क्या कह सकता हूं।

*३८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[हटा दिया गया।]

फूलपर व मंगारी सहकारी संघों के द्वारा चीनी मिल खोलने की मांग

*३९—**श्री ऊदल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फूलपुर सहकारी संघ व मंगारी सहकारी संघ, जिला वाराणसी के जरिये सरकार सहकारी चीनी मिल खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा—जी नहीं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक सहकारी चीनी मिल खोलने में कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह, मान्यवर, साइज पर डिपेंड करता है। सहकारी है या व्यक्तिगत है इससे दाम में कोई अन्तर नहीं आता। कितनी कैपेसिटी है, किस जगह लगेगी, कितनी दूर वहां से रेलवे स्टेशन है, मशीन कहां से आयेगी, इन सब बातों पर लागत निर्भर करती है। लेकिन आजकल १ करोड़ २० लाख रुपये में अच्छी एक चीनी की मिल १,५०० टन के करीब की लगती है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सहकारी संघ अगर कुछ रुपया दे दें तो क्या वहां सहकारी चीनी मिल खोलने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कुछ रुपये से तो तात्पर्य हल होगा नहीं। १ करोड़ २० लाख रुपये की लागत में अगर कहीं ६०–७० लाख रुपया इकट्ठा हो जाय तो विचारने के लायक बात होगी।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अगर ये दोनों सोसाइटी आधा रुपया तक दे दें तो मिल खोलने का इरादा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—विचार बहुत अच्छी तरह सहानुभूति के साथ शुरू कर देंगे, आधा रुपया इकट्ठा करने की सूचना हमें मिल जाय।

*४०–४२—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—[छठे शुक्रवार के लिये प्रश्न १९–२१ के अन्तर्गत स्थनान्तरित किये गये।]

*४३—**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २० अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

'प्रार्थना बस स्टाप' ग्राम अन्हेरा

*४४—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मंत्री परिवहन के यहां अप्रैल, १९५७ तथा अप्रैल, १९५९ के बीच कोई प्रार्थना-पत्र बस स्टेशन या बस स्टाप ग्राम अन्हेरा, जिला प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ कालाकांकर रोडवेज रूट पर कायम करने हेतु दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सीताराम—जी हां। अन्हेरा एक "प्रार्थना बस स्टाप" घोषित कर दिया गया है।

श्री हरकेशबहादुर—क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह घोषणा कब की गई और इसका पालन हो रहा है या नहीं?

डाक्टर सीताराम—जनवरी, सन् १९५८ में हुई और इसका पालन किया जा रहा है।

पर्वतीय जिलों में औद्योगिक आस्थान स्थापित करने की योजना

*४५—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल व टेहरी में Industrial Estate बनाने जा रही है? यदि हां, तो उसके लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है और वे Estates कहां-कहां खोली जायेंगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। १९५९-६० वित्तीय वर्ष में ३ औद्योगिक आस्थान क्रमशः नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी में बनाने के लिये तथा १९६०-६१ में एक और औद्योगिक आस्थान अल्मोड़ा में बनाने के लिये एक योजना कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया है।

इन आस्थानों पर १९५९-६० में ५,८३,५०० रुपये तथा १९६०-६१ में ७,३३,६०० रुपये व्यय करने का अनुमान किया गया है।

उपरोक्त आस्थान निम्नलिखित स्थानों में खोले जायेंगे:

जिला	स्थान
१—नैनीताल	.. भीमताल
२—गढ़वाल	.. श्रीनगर
४—टेहरी गढ़वाल ..	.. टेहरी
४—अल्मोड़ा	.. लोहाघाट (१९६०-६१)

श्री प्रतापसिंह—क्या उद्योग मंत्री जी बतलायेंगे जो इंडस्ट्रियल इस्टेट बनायी जा रही है इनका स्वरूप क्या होगा और इनमें अनुपातन कितने लोगों को एम्प्लायमेंट मिल सकेगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इनमें हम कोशिश करेंगे कि अलग-अलग किस्म के कारखानों की जगह बना दें। कारखाने सरकार नहीं बनायेगी वहां के एंटर-प्रीनर्स को आगे आना होगा। सरकार मदद देगी उनको सिर्फ इस माने में कि जगह बना कर दे देगी और पैसा धीरे-धीरे वसूलेगी किराये में। लकड़ी चीरने की मशीन, वूल कार्डिंग प्लांट, डाइंग और फिनिशिंग के अलावा ऐसी भी चीजें लगाने का विचार किया जायगा जैसे पापड़ी नाम की लकड़ी है या और दूसरे किस्म की लकड़ियां हैं जिनसे खिलौने वगैरह बन सकें, औजार बन सकें। अब यह अलग-अलग विचार करने की बात होगी हमारी तरफ से। और जो उद्योग चलाना चाहें वे योजना लायें। हम सिर्फ जगह बनाये दे रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उद्योगपति आगे आये इस काम के लिये, इस संबंध में सरकार ने कोई कार्य आरम्भ कर दिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। उद्योगपति से मतलब किसी बड़े आदमी या बाहर के आदमी से नहीं है। माननीय सदस्य को दावत है अपने जिले में ऐसे उत्साही आदमियों को लावें सरकार उनको ऋण और अनुदान द्वारा धन देने को तैयार रहेगी और अगर थोड़ी जमानत दे सकें तो काफी रुपया भी दिया जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जो पहले ओरिजिनल प्लान बना उसमें अल्मोड़ा का नाम था लेकिन अब उसकी जगह पर लोहाघाट कर दिया गया है, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स खोली जा रही है इनके लिये सरकार ने बिजली की व्यवस्था कर दी है ? यदि हां, तो कहां से बिजली जायेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन इंडस्ट्रियल इस्टेट्स को जहां बिजली की जरूरत होगी उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। जहां बिजली देने की जरूरत होगी वहां हम पूरी करेंगे। सरकार व्यवस्था करेगी। जहां कहीं हाइडिल है वहां हाइडिल से देंगे नहीं तो डीजल सेट लगायेंगे। यह कोई सुश्किल बात नहीं है।

पर्वतीय जिलों में पेपर मिल खोलने की मांग

*४६—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय जिलों के लिये रिजन फैक्ट्री व पेपर मिल खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब और कहां ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि पर्वतीय इलाके से इस तरह की मांग आयी है कि वहां इस तरह की पेपर मिल्स शुरू की जायं ? जो सरकार ने 'जी नहीं' कहा, इसके क्या कारण हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय सदस्य ने पूछा कि सरकार के विचाराधीन है या नहीं। सरकार से मतलब सेक्रेटेरियेट और हम लोगों से है। हमारा बर्किंग ग्रुप इन सब सवालों को देख रहा है। माननीय सदस्य जरा थोड़ा इंतजार करें तो ज्यादा बातें इस संबंध में मालूम हो जायेंगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या उद्योग मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुमायूं की सारी ट्रांसटेड लकड़ी स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को जा रही है जिससे वहां की जनता में बड़ा असंतोष है इस को ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस योजना पर विचार करेंगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस सवाल में कई प्रकार हैं, सब का जवाब तो होता नहीं। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इस इलाके की जरूरत को भी और अन्य उद्योगों की जरूरत को भी पूरा करना है।

बलिया तथा श्रीनगर में टेक्निकल स्कूल खोलने की योजना

*४७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार सन् १९५९ के बचे हुये महीनों में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये कुछ नये टेक्निकल स्कूल खोलने जा रही है ? अगर हां, तो वे कहां-कहां होंगे और उनके खोले जाने का क्या आधार हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये एक टेक्निकल स्कूल बलिया में तथा दूसरा श्रीनगर (गढ़वाल) में १ अगस्त, १९५९ तथा १ नवम्बर, १९५९ से क्रमशः खोला जा रहा है। राज्य के पूर्वी तथा पहाड़ी जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिये यह टेक्निकल स्कूल इन स्थानों में खोले जा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की गरीबी और पूर्वी जिलों की गरीबी को देखते हुए सरकार इन जिलों में भी शीघ्र एक-एक स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय सदस्य के अल्मोड़ा स्थान पर एक बहुत बड़ा स्कूल है जो इन दोनों स्कूलों की साइज के बारबर है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अल्मोड़ा। वहां माननीय सदस्य मुझे मिल भी चुके हैं। मैं दावत देता हूं वे दुबारा जायं और उस स्कूल को मेहरबानी करके जरूर देखें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जिस स्कूल की इतनी तारीफ की जा रही है उसे यू० पी० सरकार ने रिकग्नाइज भी नहीं किया और उसके पास शुदा लड़के नौकरी पर नहीं लिये जाते ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं, यह बात सही नहीं है सिवा इसके कि उस स्कूल के निकले हुए ओवरसीयर और ड्राफ्ट्समैन के सम्बन्ध में कुछ दिन पहले से हमारी सरकार यह विचार कर रही है कि उन कोर्सेज को हम भी रिकग्नाइज कर लें। लेकिन वे सारे कोर्सेज आल इंडिया वोकेशनल एजूकेशन की जो बाडी है उससे मान्यता प्राप्त हैं। टेक्निकल स्कूल जो इस प्रदेश का बना हुआ है वह मान्यता देने जा रहा है। लिहाजा यह प्रश्न नहीं उठता कि मान्यता नहीं है। ड्राफ्ट्समैन और ओवरसियर को मान्यता देने पर विचार हो ही रहा है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में खटीमा तहसील में जो थारू लोग रहते हैं उनके प्रशिक्षण के बारे में जो सरकार को लिखा गया है तो क्या सरकार उस पर विचार करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय सदस्य ने एक पत्र लिखा था और उसका जवाब भी दे दिया गया था। उस उत्तर से ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में मैं इस वक्त नहीं हूं।

श्री उग्रसेन—बलिया में जो टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र खुल रहा है उसमें चूहे मारने के प्रशिक्षण पर भी विचार होगा ?

श्री अध्यक्ष—मूल प्रश्न से संबंध इससे नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़े का प्रशिक्षण केन्द्र किस सन् में खुला और उसको अब तक रिकग्नाइज न करने का कारण क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—एक बात की गलतफहमी न रहे उसे फिर दोहरा दूं। प्रशिक्षण केन्द्र में कई प्रकार की शिक्षा दी जा रही है जैसे ड्राफ्ट्समैन की, इलेक्ट्रिशियन की, फिटर की। ऐसा नहीं है कि सभी को मान्यता प्राप्त नहीं है। ड्राफ्ट्समैन एक कैटेगरी है जिसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता लेकिन वह भी प्रश्न टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड बन जाने के बाद विचाराधीन आयेगा और शीघ्र उस पर निर्णय हो जायगा। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो अमान्य हो सरकार को। बहुत काफी संख्या में वहां के लड़के काम कर रहे हैं। ड्राफ्ट्समैन वाली दिक्कत भी बहुत जल्दी हल करने में हम समर्थ हो सकेंगे

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह देखते हुए कि वहां से बहुत होशियार लड़के निकलते हैं क्या सरकार पी० डब्ल्यू० डी०, सिंचाई तथा रोडवेज विभागों में जहां उनको रेक्रूट किया जाता है लिखेगी कि वे इनको अयोग्य न मानें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा---जैसा मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि जो ड्राफ्ट्समैन निकलते हैं उनको मान्यता दी जाय। यह प्रश्न ज्योंही हल हो जायगा त्योंही उनको लिया जाने लगेगा। आज भी लिये जाते हैं। उनको ग्रेड हलका दिया जाता है बनिस्बत उस ग्रेड के जो ड्राफ्ट्समेन का है।

प्रश्न का गलत उत्तर देने के कारण श्री इस्तफा हुसैन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---विशेषाधिकार के एक प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि मैं उसे देख कर आज उस पर निर्णय दूंगा। यह श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने उठाया है। प्रश्न श्री इस्तफा हुसैन---सभासचिव के विरुद्ध है। उनका कहना है कि २० मार्च को, प्रश्न संख्या २९ में जो उन्होंने उत्तर दिये थे वे जानबूझ कर गलत थे और जो पूरक प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध में जानकारी जिले से आई थी उसकी एक नकल मेरे पास भी आ गयी थी यहां पर और श्री गोविन्दसिंह विष्ट जी के पास भी पहुंच गयी थी। उसके प्रतिकूल उन्होंने यह उत्तर दिया था कि एक अखबार जिसका नाम 'कर्मभूमि' है उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि 'कर्मभूमि' पत्र जो निकलता है वह पुराना हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से उसका प्रकाशन नहीं है। और जो पूरक प्रश्नों की सामग्री जिले से आयी थी उसमें दिया गया था कि वह नियमित रूप से निकलता है और सब से ज्यादा ग्राहक की संख्या है इत्यादि। तो उनका कहना है कि यह जानबूझ कर गलत उत्तर दिया गया जिससे सदन को इस विषय में भ्रम पैदा हुआ। मैंने उस वक्त कहा था कि इसकी छानबीन करके मंत्री जी उत्तर दें। दो, एक रोज पहले गृह मंत्री जी ने उत्तर यह दिया कि उक्त अखबार का नियमति रूप से प्रकाशन होता है, यह बात सही है और पहला उत्तर गलत है। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने जो पूरक प्रश्नों की सामग्री जिले से आयी थी उसको बिना देखें उत्तर दे दिया था। तो इसके सम्बन्ध में श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने यह प्रश्न उठाया। यदि जानबूझ कर असत्य उत्तर दिया जाय तो प्रश्न उठ सकता है और यदि जानबूझ कर नहीं दिया गया तो नहीं उठ सकता है। तो मैं श्री इस्तफा हुसैन से इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देने के पहले यह जानना चाहूंगा कि क्या बात थी जिसकी वजह से उन्होंने पहले ऐसा उत्तर दिया था और उनका इस सम्बन्ध में क्या खयाल है कि इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जाय या न दी जाय।

गृह मंत्री के सभा-सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)---मैंने २० मार्च को जो पूरक प्रश्नों के उत्तर दिये थे वह जिस परिस्थिति में दिये थे वह आपने आज बता भी दी और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि वह सामग्री जो कि व्याख्यात्मक टिप्पणी के रूप में पूरक प्रश्नों के वास्ते हम लोगों के पास दी जाती है किसी प्रकार से माननीय गोविन्दसिंह जी विष्ट के हाथों लग गयी थी। मैंने उत्तर में जो गलतियां की हैं उनके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसके लिए इन्तहा दर्जे खेद प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जानबूझ कर ऐसी बात नहीं की।

श्री अध्यक्ष---आपने पढ़ा नहीं था ?

श्री इस्तफा हुसैन---जी नहीं। मैंने जानबूझकर ऐसा जवाब नहीं दिया था। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात पर विश्वास किया जायगा और मुझे क्षमा प्रदान की जायगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—कुछ मैं निवेदन कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरा निवेदन यह है कि जैसा माननीय सभा सचिव महोदय ने फरमाया, उन्हें पता नहीं था कि मेरे पास भी वह अनुपूरक सामग्री पहुंच गयी है लिहाजा उन्होंने उसके बिल्कुल विपरीत उत्तर दे दिया। सरकार की ओर से हमेशा ऐसा होता है। इस प्रकार हम हमेशा अन्धकार में रहते हैं। आज हमें सरकार की भूल से सामग्री मिल गयी तो वे पकड़ में आ गये। उन्होंने इस बात का बार-बार इसरार किया था कि ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने अपनी कापी देखी। उसमें लिखा था कि 'सत्य पथ' जिसके संरक्षक खाद्य मंत्री नेगी जी हैं और जो कांग्रेस के विचार वाला है उसको बुला लिया। इसी बात को सरकार छिपाना चाहती थी कि कांग्रेस के मंत्री नाजायज फ़ायदा उठाते हैं।

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि "लेकिन अगर इस तरह की चीजें आयें और फिर भी सरकार उनकी छानबीन न करे तो उत्तर की सत्यता की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष सरकार की है और फिर कहा जा सकता है कि ऐसी बात नहीं है कि जानबूझ कर गलत उत्तर दिया"। श्रीमान्, ने रूलिंग दी है कि "जिले से आयी हुई सूचना के विपरीत अगर उत्तर दिया जाता है तो सरकार से यह कहा जा सकता है कि वह जानबूझ कर गलत उत्तर दे रही है"। मंत्री जी ने यदि पढ़ कर उत्तर गलत दिया तो ब्रीच आफ प्रिविलेज में आता है और अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी ब्रीच आफ प्रिविलेज में आता है।

श्री अध्यक्ष—आप यह जरा गलत कह रहे हैं। मैंने कहा था कि सरकार से कहा जा सकता है कि आप जानबूझ कर कह रहे हैं। आप चार्ज कर सकते हैं वह आपने कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि हमने पढ़ा नहीं था। यह क्वेश्चन आफ फैक्ट्स है। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा था तो मेजानकारी में उत्तर दिया गया। वह सामग्री आपके पास पहुंच गई। आप को जानकारी थी, उनको नहीं थी, यह उनका कहना है। सदन की यह प्रथा रही है कि कोई माननीय सदस्य यह कहे कि उसने फलां चीज नहीं पढ़ी तो वही एक व्यक्ति हो सकता है जो कह सकता है कि उसने पढ़ी थी या नहीं इसलिए.....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठिये। मैं जब बोल रहा हूं तो बीच में किसी के बोलने की प्रथा नहीं है। वही व्यक्ति जान सकता है कि कोई बात उसने जानकर कही या नहीं। दूसरा आदमी यह नहीं कह सकता है कि उसको सही बात मालूम थी और वह झूठ बोल रहा है। यह सदन में नहीं कहा जाता है। उसके कथन पर यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने यह जानबूझ कर नहीं कहा। फिर अगर किसी ने कोई भूल की और उसके लिये क्षमा याचना की हो तो ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि वह काफी होनी चाहिए और इस कारण भी प्रिविलेज का सवाल उठाने की मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, आप की आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन एक स्पष्टीकरण चाहता हूं जैसे कि उस दिन सूचना दे दी थी दूसरे "शक्ति" को बुलाया गया है जिसके संरक्षक पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जी थे। इसकी सूचना नहीं मिली है। हम जानते हैं कि कांग्रेस वालों ने अपने-अपने पत्रों को फायदा पहुंचाया है।

श्री अध्यक्ष—मैंने इस प्रश्न पर रूलिंग दे दी है और आप अभी सूचना नहीं मांग सकते हैं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)— श्रीमन्, मैं एक मिनट चाहता हूं। प्रिविलेज वाले प्रश्न पर मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह पहला ही मौका है कि किसी मंत्री ने उठ कर इतने आदरपूर्वक और खुले दिल से हाउस से और आप से क्षमा-याचना की हो। तो आपने इजाजत नहीं दी है, लेकिन मैं विष्ट जी से भी कहना चाहता हूं कि उनको भी उसी आदर से इस प्रश्न को वापस ले लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—वह तो खत्म ही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं वापस लेना चाहता हूं। वह तो एक मौका था कांग्रेसी सरकार की नीति का पर्दा फाश करने का।

श्री अध्यक्ष—अब तो वह खत्म हो गया।

नियम ५२ के अन्तर्गत दो दलों में मारपीट के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षणार्थ सूचना

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय उग्रसेन जी ने यह प्रश्न उठाया है, मैं इसको इजाजत नहीं दे रहा हूं, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये। दो जगह दो पार्टियों में लड़ाई हुई खेत के प्रश्न के सम्बन्ध में और अस्पताल में एक अहीर मर गया। उसके बारे में जो भी कानूनी कार्यवाही होगी वह वहां होगी। इस तरह से इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करके जो समय इसके जवाब लेने में खर्च होगा, मैं समझता हूं कि वह अनुचित है। इस तरह के प्रश्न लोग जिलों में ही आपस में तय कर लें।

नव-निर्मित 'सोशलिस्ट यूनि ी पार्टी' के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक सूचना यह आयी है, एक नई पार्टी का निर्माण हुआ है, उसकी मान्यता देने के सम्बन्ध में। मान्यता तो मैं बाद में दूंगा। मैं सदन को इस समय सूचित कर देता हूं कि इस पार्टी में १५ विधायक हैं। सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी के नाम से बनी है जिसके नेता आचार्य दीपंकर जी हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)— इसक कौन-कौन सदस्य हैं?

श्री अध्यक्ष—आचार्य दीपंकर इसके अध्यक्ष हैं। श्री मदन पांडेय, मुख्य सचेतक, श्री जगन्नाथ लहरी, सचेतक, श्री अमरनाथ तथा श्री टीकाराम पुजारी आदि। इस प्रकार से सभी पार्टियों के थोड़े-थोड़े सदस्य इसमें हैं।

यह तो पदाधिकारी हुये। पार्टी के पूरे नाम ये हैं:

१—आचार्य दीपंकर, २—श्री मदन पांडेय, ३—श्री अब्दुल रऊफ लारी, ४—श्री अमरनाथ, ५—श्री रामसिंह, ६—स्वामी विश्वेश्वरानन्द, ७—श्री टीकाराम पुजारी, ८—श्री दुर्योधन, ९—श्री जगन्नाथ लहरी, १०—श्री बंशीधर शुक्ल, ११—श्री छेदीलाल, १२—श्री रामबली, १३—श्री शोभनाथ, १४—श्री बलवानसिंह, १५—श्री रामनारायण त्रिपाठी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यह यूनिटी बाहर के लिए बनी है या भीतर के लिए?

श्री अध्यक्ष—यह यहीं के लिए बनी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव श्री त्रिलोकीसिंह जी उपस्थित करेंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)— अध्यक्ष महोदय, समय के लिए...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि करीब-करीब सब की सम्मति से ऐसा कहा जाता है कि समय का निर्धारण यह हो कि श्री त्रिलोकीसिंह जी को ३० मिनट और बाकी जो पार्टियों के नेता हैं उनको २५ मिनट और बाकी सदस्यों की १५ मिनट। मुख्य मन्त्री जी को छोड़ कर मंत्रियों और उपमन्त्रियों के लिये २५, २५ मिनट होंगे। मुख्य मन्त्री जी के लिये समय का निर्धारण नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—डिप्टी मिनिस्टरों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों के लिए क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—उप-मन्त्रियों के लिये २५ मिनट रखा है। यह मैंने कहा।

श्री राजनारायण—यह तो ज्यादा हो जायगा, क्योंकि सब मिलाकर २५, ३० हैं।

श्री अध्यक्ष—सब को बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता था। नेताओं को २० मिनट और सदस्यों को १०, १० मिनट रखा जाय ताकि अधिक लोगों को बोलने का मौका मिल सके।

श्री अध्यक्ष—इस विषय में किसी को आपत्ति है जो सुझाव अभी श्रीपालसिंह जी ने दिया है?

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री राजबिहारीसिंह)—लीडर आफ अपोजीशन को ज्यादा समय चाहिए और नेता सदन को ज्यादा समय चाहिए।

श्री अध्यक्ष—वह यह कहते हैं कि अन्य नेता जो पार्टियों के हैं उनके लिए २० मिनट और सदस्यों के लिये १० मिनट।

श्री राजनारायण—यह अधिकार आप को है ही कि यदि काफी मैटर हो तो आप समय बढ़ा सकते हैं और जैसा हमने निवेदन किया था हम तो चाहते थे कि चार दिन का समय हो, तो अब मेरा निवेदन है कि ५ बजे के बाद एक-एक घंटा बढ़ा दिया जाय तो दो घंटे मिल जायंगे और इस तरह से काफी लोगों को मौका मिल जायगा। तो माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और सभी दल के नेताओं से मेरा यह निवेदन है कि अगर एक-एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय तो दो घंटे मिल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—समय-निर्धारण के सम्बन्ध में आप क्या चाहते हैं?

श्री राजनारायण—अगर मैटर काफी है किसी सदस्य के पास तो उस विशष मौका मिलना चाहिए। एक तो अपने लिए मैं मांगूंगा, चाहे आप कुछ व्यवस्था करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)— अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव पर विरोधी पक्ष में जितने भी दल हैं उनके सब के नेताओं के हस्ताक्षर हैं....

श्री अध्यक्ष—यह समय के बारे में कह रहे हैं आप?

श्री त्रिलोकीसिंह—जी हां। एक सेकेन्ड में अर्ज किये देता हूं। यह बात तय हुई थी आपस में कि इन दलों के नेताओं को २५ मिनट का समय दिया जाय और प्रस्तावक को ३०। मैं समझता हूं कि जब प्रस्ताव इस ओर का है और समय सीमित है कि दो दिन बहस होगी तो उस ओर के माननीय सदस्यों को एतराज नहीं होना चाहिए कि इधर के बैठने वालों में से कौन कितना समय लेता है और २५ मिनट में...

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह प्रस्ताव तो इधर ही से आया है।

श्री त्रिलोकीसिंह—दोनों तरफ से है। ठीक है जैसा आप निर्णय करें। मैं समझता हूं कि जौनपुर जिला के माननीय सदस्य भी इस बात पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष— यह बात जब सबकी मंजूरी से हुई है तो जहां तक अन्य दलों के नेताओं का सम्बन्ध है उनको तो २५ मिनट और नेता विरोधी दल को ३० मिनट यह तो कायम रहेगा। लेकिन दूसरे लोगों के लिये तो कोई निर्णय नहीं हुआ था। मैं समझता हूं कि १५ मिनट के बजाय १० मिनट आम तौर पर दिया जाय और ५ मिनट की गुंजायश मैं रखूंगा कि जिसके भाषण में कोई मैटर बहुत अच्छा चल रहा हो तो पांच मिनट उसको समय और दे दूंगा। बस यही रहेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह— अध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन का और मान्यवर का कृतज्ञ हूं कि आपने अविश्वास के प्रस्ताव को नियमित करार दिया और इस सदन ने उसको पेश करने की आज्ञा प्रदान की। मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की यह बैठक उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास प्रकट करती है।

इस प्रस्ताव के समर्थन में मान्यवर, अनेक बातें कही जा सकती हैं। मेरा अनुमान यह है कि अनगिनती बातें कही जा सकती हैं और उनमें से बहुतेरी कही भी जायंगी जिनके कारण इस सरकार को एक क्षण के लिए भी उत्तर प्रदेश में राज्य का काम चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। कुछ बातों का आप की आज्ञा से मैं भी उल्लेख किये देता हूं।

बड़ा वाद-विवाद चल रहा है कि अनाज के बढ़ते हुये भावों को यह सरकार रोकने में असफल हुई है। स्वयं इस सरकार की राय है कि सवा पंद्रह रुपये मन गेहूं का भाव मुनासिब भाव है। स्वयं इस सरकार की यह भी राय है कि किसान से १३ रुपये मन गेहूं लेना १४ रुपये मन गेहूं लेना यह भी मुनासिब भाव है। स्वयं इसी सरकार का यह काम है कि २० रुपये मन गेहूं सरकारी दूकान से अप्रैल, मई सन् १९५९ में बिकवाया। मुझे हैरत हुई मान्यवर, अखबार में कल पढ़कर कि खाद्य मंत्री का यह कहना है कि पता नहीं मैं कहां से यह खबर लाया कि पंजाब की सरकार ने उस गेहूं को १४ रुपये मन खरीदा था। मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से महज इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि वह पिछले साल के मई, जून, जुलाई और अगस्त के अखबार उठाकर पढ़ें, सितम्बर के अखबार पढ़ें। वाकया यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर जिला मैजिस्ट्रेट को पिछले सितम्बर माह में यह लिखा कि वे एजेंट्स मुकर्रर करें पंजाब से गेहूं खरीदने के लिये सिफारिश करें। एजेंट्स के नाम आये। इसी बीच में वे दौड़ गये। उन्होंने पंजाब में गेहूं खरीदा इस आशा से कि सरकार से उनको इस बात का अधिकार प्राप्त हो जायगा। मगर भारत सरकार ने कहा कि नहीं यह लेन-देन दो सरकारों के बीच में होंगे। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों द्वारा सारा खरीदा हुआ गेहूं पंजाब सरकार ने जब्त कर लिया अथवा सीज किया या फ्रीज किया। ३ लाख मन यह गेहूं था उसकी कीमत पिछले तीन महीने के औसत भाव से लगाई गई मैंने आज निकाला है। १४ रुपये मन करीब-करीब निकलता है। वैसे वह आता है कुछ कम। यह मूल्य पंजाब की सरकार ने उत्तर, प्रदेश के व्यापारियों को दिया। वही गेहूं जो पकड़ा गया था उसी को इस प्रदेश की सरकार के हाथ १७ रुपये मन उन्होंने बेच दिया।

यह मान्यवर, कहा गया है कि ३ रुपये मन तो खर्च आता है। मैं बहुत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि ५ सौ मील का रेल का भाड़ा एक मन का है १ रुपया से कम।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

और उत्तर प्रदेश में एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस भजने में यानी जहां खरीदते हैं और दूसरी जगह जहां बेचते हैं वहां पर इससे ज्यादा भाड़े की गुंजायश नहीं। औसत तो ३ सौ मील का ही निकलेगा और हालत यह है कि रुपया इस तरह से लुट रहा है। जनता की सरकार जनता का शोषण कर रही है।

मान्यवर, यह भी कहा जा सकता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे किसी को इनकार नहीं, न इधर बैठने वालों को न उधर के बैठने वालों। यह वाकया है कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने में यह सरकार नाकामयाब आज दिन तक रही है और आगे के लिये कुछ होने के आशा नहीं है।

मान्यवर, इस राज्य में मौलिक अधिकारों का अपहरण एक साधारण-सी बात हो गई है। गरीबों की मदद करना, कमजोर की मदद करना इस सरकार ने सीखा ही नहीं सिवाय इसके कि अखबारों में बयान दे दिया या जो रस्मी तौर पर पचासों साल से चला आ रहा था उसे ही कुछ घटा बढ़ाकर कायम रखा। मान्यवर, मैं शांति व्यवस्था की तरफ इस सदन का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि शांति व्यवस्था दिनों-दिन बिगड़ती चली जा रही है। दिनों-दिन चोरी, डकैती और कत्ल की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे कानों को तकलीफ हुई, मेरे दिल को धक्का लगा, मेरा दिमाग चक्कर खा गया जिस समय आज इस आदरणीय सदन में एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने यह बात कही कि जिस प्रकार हाई कोर्ट के जज आम बात करते हैं उसी प्रकार से आमतौर पर यह सरकार भी कार्यवाही करती है। हाईकोर्ट के जज ने एक जजमेंट में लिखा कि:

"One cannot help feeling that in cases when Police Officers or men are accused of an offence, most of the Magistrates are incompetent to function in judicial manner."

मैं इन हाईकोर्ट के जज को निजी तौर पर जानता हूं लेकिन जाने दीजिये इस बात को जितने फौजदारी के मुकदमे अथवा मैजिस्ट्रेट की कार्यवाही एक हाईकोर्ट के जज के सामने आती है उतनी सारे मंत्रियों के सामने नहीं आती है। हाईकोर्ट का जजमेंट आगे के लिये एक मिसाल बनता है और अदालतों के लिये नजीर। वह कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट साधारण तौर पर जब पुलिस वालों का मामला आता है अपनी न्याय करने में शक्ति खो बैठते हैं। तो किसी भी मुख्य मंत्री का ऐसा कहना कि यह आम बात है, यह इस बात का द्योतक है कि इस सरकार का संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वैसे तो अनेक बातें कही जायंगी लेकिन मुख्यत: शांति व्यवस्था के बारे में, मैजिस्ट्रेटों के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग कर उन लोगों को जो इस सरकार के विरोध में हैं, उन लोगों को जो इसके साथ नहीं हैं, उन लोगों को जो इनकी मदद करने से इन्कार करते हैं, उन लोगों को जो गरीब हैं, कमजोर हैं, बेपढ़ और असहाय हैं किस प्रकार से सताया जा रहा है। गौर किया जाय।

आज क्राइम्स बढ़ रहे हैं इससे कोई इन्कार नहीं करता। मेरे पास इसके आंकड़े मौजूद हैं। सन् १९५२ में ७९१ डकैती पड़ी थी और १९५७ में ९०७। १०-१२ परसेन्ट का हेर फेर हो सकता है किसी साल ८५० हों या ८२५ हों या ८७५ हों लेकिन इतनी डकैती पड़ी हैं इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। ५-७ परसेंट का हेर-फेर कोई विशेष महत्व नहीं रखता। इसी प्रकार से अगर कत्ल को देखा जाय तो १९५२ में वह १५७२ हुई और सन् १९५७ में वह १४६८ हुई। हो सकता है बीच में १४०० हुई हों उसको मैं नहीं कहता लेकिन १४०० आदमियों का कत्ल यानी हर एक जिले में २८,२९ आदमियों की निर्मम हत्या होना लज्जा की बात है। खुद सरकार का यह कहना है कि घृणित अपराध करने वालों में से एक-तिहाई पर मुकदमा चला पाती हैं और उनमें से एक बटा पांच को हमेशा सजा हो पाती है। यह किसी सरकार के लिये

भेयस्कर बात नहीं है। बड़े कलंक है और सोचने की बात है कि ऐसी सरकार के राज्य में जहां ५ आदमी रोज बेगुनाह मारे जायं और जिस राज्य में कातिलों में से एक बटा पांच को सजा हो उस राज्य का समर्थन करना, बल्कि समर्थन करने की बात भी सोचना, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि नामुनासिब है और उस समर्थन से इस तरफ के बैठने वाले लोग, इस प्रस्ताव के समर्थक अपने को अलग करना चाहते हैं।

जुर्म बढ़ रहे हैं और पुलिस की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। गजटेड आफिसर्स की संख्या पिछले ७ साल में ३३ प्रतिशत बढ़ गयी। ३२१ थे, आज ४३४ हैं। ४,००० कांस्टेबुलों और थानेदारों की संख्या भी बढ़ गयी लेकिन फिर भी क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे हैं, और मैं उस ओर की बात मान लूं, तो घट क्यों नहीं रहे हैं? क्या किसी राज्य की सरकार के लिये यह शोभा की बात है, किसी पुलिस के लिये शोभा की बात है कि उसने क्राइम को बढ़ने नहीं दिया? पुलिस वह है कि जो क्राइम होने ही न दे और मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं एक पुस्तक का कुछ अंश। यह है "ब्रिटिश पुलिस ऐंड दि डेमोक्रेटिक आइडियल"। यह बड़ी स्टैन्डर्ड किताब है जिसको पुलिस के काम में माहिर श्री चार्ल्स रीथ ने लिखा है। इसमें लिखा है —

"To recognize always that the test of police efficiency is the absence of crime and disorder, and not the visible evidence of police action in dealing with them."

यह मयार है पुलिस का। यह नहीं कि उसने बड़ी दौड़-धूप की, बल्कि जुर्म होने से रोका, जुर्म को होने नहीं दिया। इंग्लिस्तान के बारे में यह मशहूर है कि वहां के पुलिस कांस्टेबुल का हाथ जो दिखाई नहीं देता बराबर बदमाश के, गुन्डे के कंधे और गर्दन पर रहता है। यहां संतोष है इस बात पर कि पिछले साल १४५० कत्ल हुये। अब की सिर्फ १,४०० रह गये। यह व्यवस्था मान्यवर नहीं चल सकती।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह कहना कि वहां की पुलिस को बड़े अधिकार प्राप्त है, मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वहां आर्म्ड पुलिस नाम की कोई भी चिड़िया व्यवस्था या फोर्स नहीं है। यहां आर्म्ड पुलिस है, सिविल पुलिस भी है। वहां पुलिस मैन कभी आर्म्ड नहीं किये जाते। फिर भी वह क्यों कामयाब हैं? इसके कुछ कारण हैं। मैं उसी अथारिटी को मान्यवर की आज्ञा से फिर पेश करना चाहता हूं:—

"Much more wonderful than their lack of arms is the fact that the immense power and high efficiency of the British police depend wholly on their ability to secure and maintain, from day to day, public approval of their actions and behaviour. The history of the police shows clearly that loss of public approval would almost automatically, make them helpless and unable to function unless a new, different and intolerable form of power was given to them by their being made dependent on the armed forces of a despotic Government."

जिस इंगलिस्तान की पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वह इतनी कामयाब है वह निहत्थी पुलिस है। वह अपनी कार्य-कुशलता के लिये, सफलता के लिये सरकार की ओर नहीं निहारती, वह हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वह जनता के सहयोग पर, उसकी सहमति पर विश्वास करती है। जो पुलिस इस प्रदेश की है, मान्यवर, यह किसी अधिनायक राज्य की पुलिस कही जाय तो गलत न होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस तरफ से यह कहा जा सकता है कि पुलिस में उन्होंने फ्लाइंग स्क्वैड बनाया, वायरलेस दिया, टेलीफोन दिया, मान्यवर, कुछ कुत्ते भी पाले हैं जो सूंघ कर बदमाश का पता लगाते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वे कुत्ते भी एक ही तरफ क बदमाशों को सूंघते हैं, जिधर उनका बहुमत है उधर रुझान नहीं करते। लेकिन फिर भी संगीन जरायम की संख्या में मान्यवर, किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। आदमी बढ़े, अफसर बढ़े, साधन बढ़े, लेकिन चोरी कम नहीं हुई। वह बढ़ी। उनकी बात अगर

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मानी जाय तो कम से कम उतनी ही रही। इसके कुछ कारण हैं और वे यह कि एक तो इस सरकार के यहां काम अंधरसट चलता है। ये आंकड़े पेश करते हैं। अगर कोई बात उनके खिलाफ हुई तो वे गलत है। अगर मुआफिक हुई तो उस पर बड़ा सहारा लेकर और शान और अकड़ के साथ और धूम-धाम के साथ उसे पेश करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को जानने की कोशिश की गयी कि क्या कारण है कि जरायम बढ़ रहे हैं किन लोगों में बढ़ रहे हैं और उनको किस तरह से कम किया जाय। आज तक इस पुलिस के पास कोई ऐसा आर्गनाइजेशन मान्यवर, नहीं है कि केवल पुलिस की संख्या बढ़ाने से तो कमती नहीं हुये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर पुलिस को सफल होना है तो जैसे लार्ड पार्कनहम का "काजेज आफ क्राइम" १९५८ में लिखा है करना चाहिये वह लिखते हैं--

"A *sine qua non* of any criminological progress is clearly a more adequate collection and interpretation of the criminal statistics."

इनके यहां हिसाब-किताब तो होता है जैसे चौथी जमाअत का लड़का हिसाब लगाता है उस तरह से माननीय मंत्री जी लगाते हैं। मैं खुश हूंगा अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यह कह सकें कि जरायम के आंकड़े वह अपने सामने रखते हुये यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस्म के लोग इसमें हैं--जवान हैं कि बूढ़े हैं। क्या वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि कितनों ने पहली बार जुर्म किया और किन्होंने दूसरी बार यह काम किया? क्या वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि किन लोगों ने बुरी संगत में पड़ कर कोई क्राइम किया या बीवी से लड़कर किसी ने दूसरे की हत्या कर डाली? क्या उन्होंने जानने की कोशिश की कि उसने जुर्म इस वजह से किया कि उसके पास पैसा नहीं था खाने को? तभी बुरी संगत उसने अख्तियार की और चोरों और डाकुओं को अपना साथी बनाया? अगर वह यह कहेंगे तो मैं कृतज्ञ हूंगा, खुश हूंगा। लेकिन मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि अगर वह ऐसी कोशिश करते तो जिस काबलियत के वह आदमी हैं, फिर अपना सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन के संचालन और उसको ठीक करने में लगाते हैं, तो यह दुर्दशा न हुई होती जो आज हो रही है। वह नहीं करते हैं। जब तक नहीं करेंगे तब तक पुलिस की दशा सुधर नहीं सकती।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि यह शिकायत उस तरफ से की जाती है कि पुलिस को जनता का सहयोग नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? यह इस सदन में अनेक बार कहा गया। प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं कि माननीय मंत्रियों के इस प्रकार कहने का एक लगातार सिलसिला है कि क्या करें, ऐवीडेंस नहीं मिलती, डेमोक्रेसी का युग है हम मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, जबरदस्ती से उससे कबुलवा नहीं सकते। अगर वह ऐसा करें मैं इसका हामी हूं, मगर मैंने एक जिम्मेदार अखबार की रिपोर्ट कुछ दिन हुये पेश की थी कि पुलिस के थानों के अन्दर अच्छी खासी मार-पीट होती है। मैं आपकी आज्ञा से यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने इस बात को जानने की कोशिश की "पुलिस" शब्द जो अंग्रेजी का है इसके अर्थ क्या हैं? इसका अर्थ महज गुन्डे बदमाशों को पकड़ना नहीं है। निरपराध आदमी, किसी ने काका किया, किसी ने जलूस निकाला तो उस पर लाठी चार्ज करना नहीं है। मैं मान्यवर की आज्ञा से इसका अर्थ पढ़ना चाहता हूं :

"Means maintenance of public order and the protection of persons and property from the hazards of public accidents, and the commission of unlawful acts. It is not to protect the interest of the Government."

उसका काम है कि वह शांति-व्यवस्था हो कायम रखे, वह किसी आदमी के जान व माल को जो खतरा हो रहा है या हुआ है या होने वाला है उससे उसको बचाये। पुलिस का काम यह नहीं है कि सरकार के हितों की रक्षा करे। और मेरा यह चार्ज है, इल्जाम है इस सरकार के खिलाफ कि इस सरकार की पुलिस जनता की रक्षा के लिये नहीं है बल्कि इस सरकार की रक्षा के लिये है। मैं उसके कारण अभी आपकी आज्ञा से बयान कर दूंगा।

क्यों मैं ऐसा कहता हूं ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस का काम है शांति व्यवस्था का कायम रखना लेकिन जिलों में शांति व्यवस्था का जिम्मेदार मान्यवर, कौन है, कप्तान पुलिस नहीं है, एक दूसरे अधिकारी हैं जो जिलाधीश हैं यानी जिले के ईश्वर। एक खुदा बनाया है इस सरकार ने जिले जिले में। हिन्दुस्तान में वैसे ही ३३ करोड़ देवता हैं इस सरकार ने हर जिलों में अनेक देवता जैसे जिलाधीश, परगनाधीश, नगराधीश और बनाये हैं। ५१ जिलाधीशों के ऊपर इस सूबे की ला ऐण्ड आर्डर की जिम्मेदारी है। कहीं भी किसी देश में ला ऐण्ड आर्डर की जिम्मेदारी, मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से गुजारिश करना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट पर नहीं रही है। यह जिम्मेदारी पुलिस पर रही है लेकिन यहां पर मैजिस्ट्रेट साहब बहादुर, हाकिम जिला शांति व्यवस्था के जिम्मेदार हैं और सारी पेचीदगियां और गड़बड़ घोटाला यहीं से शुरू होता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा जाता था, जब अंग्रेजों का राज्य था कि जिला मैजिस्ट्रेट वही काम अपने जिलों में करते हैं जो सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया हिन्दुस्तान के लिये लन्दन में बैठ कर करता था। आज भी वही व्यवस्था है जिला मैजिस्ट्रेट मौजूद हैं। मुकदमा एक नहीं करेंगे और कहलायेंगे जिला मैजिस्ट्रेट। एक आदमी भी उनके दायें बायें नहीं है, पुलिस का सिपाही उनकी मातहती में नहीं है लेकिन शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी उनकी है। यह होनी चाहिये पुलिस की और मजिस्ट्रेट्स से मतलब नहीं होना चाहिये।

मुझे हैरत हुई मान्यवर, इतने बड़े अनुभवी, इतने बड़े जनसेवी, इतने पुराने राजनीतिज्ञ जैसे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं जब उन्होंने यह कहा जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव, न्याय और इंतजाम करने वालों के पृथकीकरण में इतना खर्चा बढ़ जायगा कि सरकार के बर्दाश्त के बाहर होगा या इस समय जब प्लानिंग का युग है तो वह जरूरी नहीं है और उसको वे नहीं कर सकते। मान्यवर, मेरा खयाल है कि जो इस प्रदेश का वित्त मिनिस्टर रहा हो उसे रुपये पैसे के मामले में इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि ऐसा करने से सरकार पर कितना बोझ बढ़ेगा। यदि मजिस्ट्रेट बजाय कलेक्टर और कमिश्नर की मातहती के हाईकोर्ट की मातहती में कर दिये जायं और वे सरकार के दूत या एजेन्ट न रहें। ऐसा करने से सरकार का कितने लाख रुपया सालाना खर्चा बढ़ जायगा। मैं इधर के बैठने वालों की तरफ से उनको यह आश्वासन दे सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि माननीय नेता समाजवादी दल भी मुझसे सहमत होंगे कि अगर सरकार न्याय और प्रबंध का प्रथकीकरण करे तो उस पर जो कुछ खर्च होगा उसको इस तरफ के बैठने वाले सहर्ष स्वीकार करेंगे और उसकी मंजूरी सरकार को देंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा इरादा बिल्कुल दूसरा है। वह है, कि पुलिस सरकार की है, पुलिस सरकार की रक्षा के लिये है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और आज जैसा होता देखता हूं, इस वातावरण के सिलसिले में फिर दोहराना चाहता हूं कि पुलिस होनी चाहिये स्थानीय निकायों की। जिला परिषद् जो बनने वाले हैं या जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनकी पुलिस होनी चाहिये। किसी भी सभ्य देश में पुलिस सरकार की नहीं है। यू० के० में पुलिस व्हाइट हाल से इंस्ट्रक्शन्स नहीं पाती है बल्कि बरोज से, काउन्टी काउन्सिल्स से हिदायत पाती है केवल एक मेट्रोपोलिटन पुलिस को छोड़ कर। लेकिन उसमें भी मैं अर्ज करूंगा कि सीमायें हैं लेकिन हमारे यहां की पुलिस सरकार की हिदायत से काम करती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पाप्युलर गवर्नमेन्ट को अपनी रक्षा के लिये सिवाय जनता के सहयोग के और किसी की जरूरत नहीं है। यह सरकार इस बात का दावा तो करती है कि वह जनप्रिय सरकार है लेकिन उसने अपनी रक्षा के लिये पुलिस को अपना बना रक्खा है। इसके बारे में एक दूसरी किताब श्री कोटमैन की भी सन् १९५९ में छपकर आयी है, उसमें पुलिस के बारे में जो लिखा है उसको मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं।

"Where the police are efficient, honest, impartial and conduct themselves as servants of the public, they win public regard and can count confidently on assistance from the general public in any emergency. This is only another way of stating a basic truth concerning the police of democratic countries, namely that the quality and efficiency of the Police themselves, depend largely, if not mainly, on favourable public opinion, and consequential support."

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मैंने जो पढ़ा इसका मतलब यह है कि पुलिस का काम उसकी ईमानदारी पर, उसकी कार्य कुशलता पर, उसकी निष्पक्षता पर, उसकी मुस्तैदी पर, उसके इस प्रकार के व्यवहार पर कि वह जनता के सेवक हैं, उस पर निर्भर करता है। दूसरे जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं वहां की पुलिस अपनी सफलता के लिये जनमत पर निर्भर करती है, वह सरकार की ओर नहीं देखती। यह भी, मान्यवर, एक बड़े भारी आदमी का तजुर्बा है। जिसके तजुर्बे के मुकाबले में मुझे यकीन है, उधर से किसी इतने बड़े आदमी का तजुर्बा पेश नहीं किया जा सकेगा जो मेरी इस बात का खंडन कर सके।

इस सरकार ने अभी हाल में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल प्रकाशित किया है और इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित भी किया है। बड़ा ढोल पीटा गया कि वह कृषि का काम करेंगे, योजना का काम करेंगे लेकिन पुलिस का काम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को क्यों सुपुर्द नहीं किया जाता है? क्योंकि पुलिस से तो वे अपना काम लेना चाहते हैं। पुलिस जनता की नहीं है, जनता की रक्षा के लिये नहीं है, वह तो इस सरकार की रक्षा के लिये है। पुलिस के बारे में दूसरी अथारिटी को पेश कर देना चाहता हूं। श्री माट्रिनसेन फरमाते हैं :

"The Police forces of England are administered not from Whitehall but by their own local police authorities."

इसके आगे के यह भी कहते हैं कि पुलिस वह है जो सरकार से और सरकारी अत्याचारों से भी जनता की रक्षा करती है। "The Police man can and should protect his fellow citizens against the Government or any other authority" लेकिन यह सरकार इसकी विरोधी है। इसने तो उसको छूट दे रखी है कि वह जो चाहे करे।

गतवर्ष हाईकोर्ट का फैसला इलाहाबाद जिलों की इलेक्शन पिटीशन के सिलसिले में हुआ था। जज ने एक बिहारी लाल सब इंस्पेक्टर के बारे में लिखा है कि उन्होंने कांग्रेस का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद भी माननीय मंत्री जी ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगरा जिले में एक झगड़ा हुआ और इसी आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य ने यह रिपोर्ट की कि उनको शुबहा है कि एक जगह कुछ इतना चावल इकट्ठा है, जिसको इकट्ठा करने वाले जखीरेबाजों की परिभाषा में आते हैं। उन्होंने कहा कि वहां और भी कुछ ऐसे माल हैं जिस पर चुंगी नहीं अदा की गई है। वहां थानेदार जाता है और लिख कर दे देता है कि झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद वहां पर डिप्टी साहब बहादुर पहुंचते हैं, डी० एस० पी० पहुंचते हैं और विधायक के हाथ से तहरीर छीन ली जाती है। जब वहां की जनता ने उनकी मोटर को घेरा तब तहरीर वापस की जाती है और आज वह तहरीर उनके पास मौजूद है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बात है? जब कभी पुलिस का या किसी सेठ का कोई मामला हो, मैजिस्ट्रेट साहब क्यों दौड़ पड़ते हैं। माननीय मुख्य मंत्री का यह दावा है कि न्याय और इंतजामी विभाग का पृथकीकरण कर दिया गया है, यह सरकार की नीति है। फिर भी एक इत्तला आयी और फौरन मजिस्ट्रेट दौड़ पड़े बजाय इसके कि उस चोर को पकड़ें उन्होंने माल हटवा दिया और लिख कर दे दिया डिप्टी साहब की मौजूदगी में कि इसमें बीड़ी थी। जब डिप्टी कलेक्टर वहां मौजूद थे तो क्या माल था उसे निकलवा कर देखने में क्या दिक्कत थी? इससे जाहिर है कि लोगों ने गड़बड़ी की और जखीरेबाजों ने जो माल, चावल वगैरह इकट्ठा किया था उसे इधर से उधर करने में पुलिस ने सहायता की।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जिक्र करना चाहता हूं कि एक चेयरमैन टाउन एरिया हैं जिनका इस पार्टी से, जिस पार्टी से मेरा संबंध है, ताल्लुक है, उन पर सन् ५४ से लगातार मुकदमे चल रहे हैं। हाईकोर्ट के जजमेंट में सेशन जज के जजमेंट में लिखा हुआ है कि पोलिटिकल ग्राउंड

पर ये मुकदमे चलाये जा रहे हैं फिर भी जब अपने जिले में पुलिस हारी तो पड़ोस के जिले फर्रुखाबाद में उनके ऊपर मुकदमा दायर करा दिया और मैजिस्ट्रेट ने हर मामले में हमेशा सजा दी। अगर सेशन जज के यहां से सजा हुई तो हाईकोर्ट ने छोड़ दिया लेकिन बहुधा सेशन जज उनको छोड़ते ही रहे और जजमेंट में लिख दिया कि पार्टीबन्दी की बिना पर यह मुकदमा चलाया जा रहा है। मैं मान्यवर को यह यकीन दिलाता हूं कि इनमें बिरादराना है, अगर बदायूं की पुलिस के ऊपर कोई बात आ पड़े तो लखनऊ की पुलिस उसकी मदद करेगी, चाहे उससे कुछ हो या न हो।

मान्यवर, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इसी तरह के मामले हैं कि लोगों ने पुलिस को इत्तला दी कि उनकी हत्या होने का अन्देशा है। श्री शारदा प्रसाद टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन, जिला खीरी के थे, उनकी हत्या हुई पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने अनेक बार यह लिख कर भेजा कि थानेदार हल्का उनकी हत्या कराना चाहता है। थानेदार हल्का का जिस दिन तबादला होता है, यह पलिया कलां के चेयरमैन का मामला है, गालिबन थाना भी वही है, उसी दिन उनकी हत्या होती है। गत अप्रैल मास की घटना है मान्यवर, एक दूसरे आदमी हैं थाना पिहानी के जो अदालती पंचायत के सरपंच हैं और जिनका नाम कुबेर सिंह है, उन्होंने कप्तान पुलिस को लिख कर दिया कि उनकी हत्या लोग करने वाले हैं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। उनका बयान तक नहीं लिया जाता कि तुम्हारी हत्या कौन करने वाला है जो इनवेस्टिगेशन के लिये पुलिस का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है। उनकी हत्या फरवरी, १९५९ में कर दी गई। एक व्यक्ति कहता है कि वह मार डाला जायगा और फलां आदमी मारने वाला है लेकिन उससे पूछा तक नहीं जाता और उसकी दरख्वास्त को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। फिर जब कत्ल हो जाता है पुलिस कहती है कि उसने बड़ी कोशिश की मुलजिम को पकड़ने की लेकिन मुलजिम को पकड़ नहीं सकी।

मान्यवर, मैं आपसे अर्ज करूं कि पुलिस की नाकामयाबी का एक कारण यह है कि उसका जनता से कोई सम्पर्क नहीं है। किसी भी सभ्य देश की पुलिस बदमाशों को पकड़ने के साथ साथ, अगर कहद होता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, प्लेग होता है या कोई और बीमारी होती है तो पुलिस जनता की मदद करती है। इंगलिस्तान की पुलिस का एक वाकया मैं मान्यवर की आज्ञा से बयान करना चाहता हूं कि सन् १९२६ में जब वहां जनरल स्ट्राइक हुई तो दिन में अकसर अपने कर्त्तव्य का पालन में पुलिस व स्ट्राइकर्स में भिड़ंत होती थी मगर शाम को पुलिस की तरफ के लोग जाकर स्ट्राइकर्स से कहते थे कि अच्छा कल के लिये हमारे साथ फुटबाल मैच बद लो। पुलिसमैन ने चन्दा कर हड़तालियों को कपड़े दिये, खाना पहुंचाया। यह है एक सभ्य देश की पुलिस, यह है एक प्रजातंत्र की पुलिस। एक तरफ तो यह मिसाल है, यह आदर्श है और दूसरी तरफ मिसाल यह है कि लखनऊ में गोली चलाई जाती है तड़-तड़-तड़ १--२--३ जख्मी गिरते हैं लेकिन किसी एक भी आदमी को जिस के गोली लगती है और हत्या होती है, उठाकर अस्पताल पहुंचाने की पुलिस को तौफीक नहीं हुई। कानपुर में विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज होता है लेकिन किसी चोट लगने वाले जख्मी को पुलिस ने अस्पताल नहीं पहुंचाया। क्या ऐसी ही प्रजातंत्र की पुलिस होनी चाहिये? यह इस राज्य सरकार की पुलिस है, इसे पुलिस स्टेट कहा जाय तो ठीक होगा, गलत न होगा। इसलिये मैं आदरणीय सदन से नम्र निवेदन करूंगा कि वर्तमान मंत्रि-परिषद पर अविश्वास प्रकट करने के प्रस्ताव का समर्थन करने की कृपा करें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं अपने उत्तरदायित्व से परिचित हूं लेकिन माननीय विरोधी दल के नेता साहब के बाद में आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया है कि मैं बोलूं, यदि यह सदन मेरा विश्वास कर सके तो श्रीमन्, मैं तो देर से सोचता था कि क्या बोलूं। यदि मेरे मित्र और इस सदन के माननीय सदस्य विरोधी दल के माननीय नेता महोदय जो हैं उनसे यदि मैं केवल इतनी सी प्रार्थना कर दूं कि हम सभी बोलते समय यह समझ नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं और यदि वह केवल इतनी कृपा करें कि आज जो

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

कुछ उन्होंने इस सदन में भाषण दिया है उसे कुछ ठंडे क्षणों में बैठकर विचारें कि हमने क्या बोला है तो शायद उन के सामने हमारा यह तर्क उपस्थित हो जायगा। गवर्नर महोदय के एड्रेस पर अभी थोड़े पहले इसी सदन में वादविवाद हुआ, उस से पहले बजट के मौके पर वाद-विवाद हुआ और न जाने कितने अवसरों पर कितने वादविवाद सदन के सामने होते रहे हैं। पिछले अधिवेशन में भी इसी तरह का एक अविश्वास का प्रस्ताव यहां आया था और उसका भी प्रारम्भ माननीय नेता विरोधी दल ने ही यहां किया था। क्या मैं उनसे यह दरख्वास्त करूं कि कृपा कर पहली उस तमाम कार्यवाही को वह देखें और जरा यह निर्णय करें और सदन को इसका उत्तर दें कि क्या प्रजातंत्र और नवनिर्मित जनतंत्र की स्वस्थ परम्परायें इसी तरह से स्थापित होंगी? कौन सी नई चीज उन्होंने कही है? कौन सी चीज ऐसी है कि जो सदन के सामने बार-बार नहीं आई, कौन सी चीज ऐसी है कि जो पुलिस बजट के मौके पर नहीं जा सकती और नहीं कही गई? यदि वह अपने सारे भाषण को देखें तो आश्चर्य होगा कि आखिर जितनी बातों का उन्होंने आज जिक्र किया वह सब केवल एक विभाग विशेष को लेकर कही गई। यह जो उस विभाग के विषय में उन के विचार हैं क्या उनका यह एक निरूपण मात्र नहीं है? यदि ऐसा है तो मैं उनको जनतंत्र के नाम पर आज करना चाहता हूं सदन के सामने कि वह कृपा कर बतायें कि क्या जनतंत्र की यही एक स्वस्थ परिपाटी होगी कि हम किसी भी दिन, समय वे समय अविश्वास का प्रस्ताव यहां लाकर रख दें? मैं समझता हूं अविश्वास का प्रस्ताव जहां तक सरकारी पक्ष का प्रश्न है एक बहुत बड़ी चीज है। हम एक सरकार चलाते हैं और आशा करते हैं कि जहां तक विरोधी दल का प्रश्न है विरोधी दल में से किसी पर भी उत्तरदायित्व में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, वह भी हमारे जैसे उत्तरदायी हैं। हम आशा करते हैं कि जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं के अनुकूल विरोधी पक्ष यह भी जानता है कि उसका कर्त्तव्य क्या है? वह जानते हैं कि किसी दिन भी वह विरोधी पक्ष के स्थान से इधर आकर सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं।

श्रीमन्, कुछ स्वस्थ परम्परायें हैं और उनके अनुसार ही जनतंत्र चलता है। उन्हीं की छत्रछाया में जनतंत्र पोषित होता है और उन्हीं के द्वारा जनतंत्र और जन चेतना को सदा एक प्रेरणा प्रदान हुआ करती है, जन-जीवन, जन-चेतना और जन-चरित्र का निर्माण हुआ करता है। मैं सैन्सर मोशन्स के संबंध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस अभी पढ़ता था। मैं नेता विरोधी दल की सेवा में विशेष रूप से और इस सदन के सामने संक्षेप में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो सेंसर मोशन्स हैं, यह तो अविश्वास का प्रस्ताव है इसके संबंध में कितनी स्वस्थ परम्पराएं किन्हीं दूसरे देशों में हैं जिन्होंने कि जनतंत्र को अपने देश में स्थान दिया है और जिन्होंने सैकड़ों वर्ष की साधना के बाद कुछ स्वस्थ्य परम्पराएं स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। वोट आफ सेंसर के संबंध में जब कभी प्रार्थना की जाती है तो नेता सदन और सरकारी पक्ष अपने नियमित कार्य को छोड़कर अविश्वास के प्रस्ताव के वाद-विवाद को स्वीकार कर लिया करता है। इसका जिक्र करते हुए मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में लिखा है :—

"The recognized and responsible position of the leaders of the Opposition as a potential alternative government—a position which guarantees the legitimacy of such an interruption of the normal courses of business. For their part, the Government have every thing to gain by meeting such a direct challenge to their authority at the earliest possible moment."

इसका हिन्दी अनुवाद केवल इतना सा है कि जहां तक इस परम्परा का प्रश्न है, इसका कारण यह है कि जो नेतागण विरोधी पक्ष के हैं उनके उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए और यह समझते हुए कि वह किसी भी दिन एक दूसरे पक्ष की सरकार बना सकते हैं, इस प्रकार की परम्परा को स्थान दिया जाता है और अपने पक्ष में सरकार को हमेशा ही इस प्रकार के प्रस्तावों से लाभ हुआ करता है, क्योंकि उससे वह सारी बातें जिनको कि कोई कहना चाहे कही जा सकती हैं और उनका उत्तर दिया जा सकता है।

श्रीमन्, मैं केवल इतना कहना चाहता था कि मेरे मित्र विरोधी पक्ष के नेता साहब ने कहा कि वह दूर तक नहीं देख पाये। शायद उन्होंने चश्मे का कुछ जिक्र किया। मैं उसको पूरे तौर से समझ नहीं पाया। मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वह चश्मा पहिने या न पहिने वह वाकई में दूर तक नहीं देख पाये। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? एक पुलिस की बात अपने कही, स्वीकार है। पुलिस के संबंध मे जितनी बातें कहीं गईं और कहनी हैं, वह भी स्वीकार है। क्या यहां पर राज्यपाल महोदय ने थोड़े दिन पहले यह नहीं कहा था कि नये पुलिस कमीशन की हमने स्थापना की है। क्या वह पुलिस कमीशन इसलिये स्थापित किया गया है कि उसके द्वारा लोगों को कुछ सुना दिया जायगा और वे केवल बहलकदमी करेंगे। यदि पुलिस में कुछ कठिनाई है, जिनका जिक्र मेरे माननीय मित्र करते हैं उस प्रकार की कठिनाई है, तो हम उसके संबंध में स्वयं सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसको हम दूसरा रूप प्रदान कर सकें। मैं तो समझता हूं कि मेरे मित्र साहब किसी वकील की पुरानी मिसलें या इस साल की थोड़ी सी मिसलों को पढ़ लेते तो इससे ज्यादा सूचनायें वह इस सदन में दे देते क्योंकि नित्य प्रति इस प्रकार की घटनायें न जाने कितनी होती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि यह संभव हो सकता है कि क्राइम्स कम हो गये हों, कुछ अपराधों में कमी हो। फिर भी शिकायत की है मेरे मित्र ने। मेरे मित्र की शिकायत है कि कम तो हैं लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुए। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि चाहे वह यहां हों चाहे हम हों अपराध बिलकुल खत्म कभी नहीं होंगे क्योंकि मानव प्रकृति के अनुकूल कुछ न कुछ अपराध चलता रहता है और उसके संबंध में यदि हम कुछ थोड़े से मामलों को लेकर आज जनरेलाइज करने लगें और उसके बारे में सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ले आयें तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र उसको ठंडे दिल से विचार कर लें और सोच लें कि उनका यह कार्य कहां तक उचित है।

बहुत सी बातों का जिक्र किया। कहा कि सेपेरेशन आफ जुडिशियरी और ऐग्जीक्यूटिव क्यों नहीं होता। मेरे मित्र को याद होगा कि इसका जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आया। उस अवसर पर वादविवाद हुआ, उसमें आया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका जिक्र किया। कौन नई बात है आज कहने में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपेरेशन जितनी जल्दी हो जाय अच्छा है। यह तो बात कई दफा कही जा चुकी है और सरकार अपनी कठिनाइयों को उसके सम्बन्ध में कह चुकी है। कई किताबें मेरे मित्र ने पढ़ी और उनका जिक्र किया कि पुलिस इस तरह से खराब है। उन्होंने आगरे की बात का जिक्र किया। मुझे भी आगरे जाने का दो-तीन दिन पहले अवसर मिला और मैं केवल इतना कह सकता हूं बहुत गम्भीरता के साथ और साग्रह, कि यदि मेरे मित्र स्वयं किसी दिन आगरे जा कर इस बात के बारे में पता लगा सकें तो मेरा निश्चित मत है सदन के सामने कि वह इस बात को नहीं कह सकेंगे। मैं और भी कुछ कहना चाहता था, मैं उस पक्ष की बात आज नहीं कहना चाहता जो वाकई में सही है। लेकिन उन्होंने कुछ जनता के उत्तरदायित्व का प्रश्न उठाया, पुलिस के सामने, और कहा कि इंगलैन्ड में पुलिस निःशस्त्र है। हमारे यहां बंदूकें हैं। उन्होंने कहा पुलिस क्राइम को रोकती है, क्राइम को पनिश नहीं करती। तीसरा चार्ज यह लगाया कि पुलिस आज सरकार की रक्षा का प्रयत्न करती है और जनता की रक्षा का प्रयत्न नहीं करती।

पहले अभियोग के उत्तर में कहना चाहता हूं। आगरे वाले मामले में ही वे स्वयं निर्णय कर दें कि जनता में कितना बड़ा उत्तरदायित्व है और जिन मित्र का उन्होंने जिक्र किया उनमें स्वयं कितना बड़ा उत्तरदायित्व रहा है, एक दरोगा गया उन्होंने जाकर यह कहा मैं आया हूं इस काम को करने के लिये। उन्होंने कहा अच्छी बात है, आप बैठ जाइये, आप जनता की कैद में हैं। पुलिस के सिपाही गये उनसे भी कहा गया कि आप भी जनता की कैद में हैं और उसके बाद में वहां से पुलिस को भी जाना पड़ा, हाकिम परगना साहब को भी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं क्या इसी उत्तरदायित्व के बलबूते आज उत्तरदायित्व की नई रचना और नया शिक्षण हम लोगों के लिये होगा। इसी प्रकार की और भी न जाने कितनी घटनायें प्रदेश के सामने आयी हैं। मैं इस वाद-विवाद को कड़ुवा नहीं करना चाहता। मैं नहीं कहना चाहता कि मेरे

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

मित्र या उनके साथी या कुछ मेरे साथी कौन-कौन क्या-क्या करते हैं। उसका जिक्र करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। लेकिन इतना कहना चाहता हूं उत्तरदायित्व की शिक्षा जगत को दें, और जनतंत्र के उत्तरदायित्व की बात संसार से करें और उसके बाद में उस प्रकार की बातें, अगर एक दरोगा कार्य करने के लिये आये और एक जनप्रतिनिधि कहे नहीं बैठ जाओ तो इसका निर्णय वे स्वयं ही कर लें, मैं अधिक नहीं कहना चाहता ।

उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा राज की रक्षा होती है। मैं बार-बार सोचता रहा कि वह कौन सी चीज है जिसका जिक्र वह करना चाहते हैं, कौन से राज की रक्षा पुलिस करती है। पुस्तक पढ़ कर सुनायी, उन्होंने कहा पुलिस का काम है मेंटेनेंस आफ ला ऐण्ड आर्डर। और मेंटेनेंस आफ ला ऐंड आर्डर कदापि उनकी दृष्टि में यह नहीं है कि यदि कोई बड़ा बलवा हो, या कहीं पर हंगामा हो जिसकी वजह से सरकारी काम में या आम जनता की शांति का अपहरण किया जाय और पुलिस आये, अगर वहां खड़ी हो तो यदि वह कार्य उस पुलिस का न हो और वह भी सरकार की रक्षा करना मात्र हो जाय तो मैं इसके सम्बन्ध में इसका उत्तर देने की चेष्टा नहीं करूंगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस गोली चलाती है, उसको क्राइम को रोकना चाहिये। माननीय गृह मंत्री जी ने शायद आज से दो दिन पहले एक बयान दिया था सदन के सामने। ताजिये निकाले जा रहे थे, ताजिये वाले जिद कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारे ताजिये इधर से निकलेंगे और इसके लिये पेड़ों को कटवा दिया जाय। गृह मंत्री जी ने बतलाया था कि रात भर बैठ कर पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की थी कि यह उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग से निकाल लो, मार्ग बदलते रहते हैं, यह मार्ग कभी नहीं रहा। यह नहीं चार ताजिये निकालें और सब एक चौड़ाई में निकालें और फिर पुलिस रात भर बैठ कर कोशिश करे, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश इस नये देश में जिसमें अनतंत्र ने नया जन्म लिया है उसमें हमारे मित्र, सरकार को और पुलिस को दोष दें कि साहब गोली चलाई। गोली चलानी पड़ेगी और कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे जो किसी सरकार के लिये या किसी व्यक्ति विशेष के लिये रुचिकर न हों लेकिन अगर ला ऐंड आर्डर स्थापित करना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा।

यह भी जिक्र किया गया कि यह पुलिस स्टेट है। कहने भर से अगर पुलिस स्टेट है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक ओर कहा जाता है कि पुलिस बढ़ गयी, दूसरी ओर कहा जाता है कि पुलिस पर जितना खर्चा है वह और देशों से बहुत कम है, तो भी कहा जाता है कि यह पुलिस स्टेट है। किस प्रकार से है इसको मैं जानता नहीं। एक ओर कहा जाता है कि पुलिस बढ़ गयी और दूसरी ओर कहा जाता है कि पुलिस काम नहीं करती। अगर अविश्वास का प्रस्ताव न होकर यह केवल पुलिस पर डिबेट होती तो मैं शायद गृह मंत्री जी से यह कहता कि वही उत्तर दें और किसी दूसरे को बोलने की आवश्यकता न होती। लेकिन मेरे मित्र ने इस अविश्वास के प्रस्ताव को पुलिस का प्रस्ताव बना कर इस सदन का अगर उन्होंने कोई लाभ किया है तो उसका निर्णय मैं उन्हीं पर छोड़ूंगा।

सरसरी तौर पर उन्होंने कुछ खाद्य का जिक्र कर दिया और कहा कि आज क्यों गेहूं को इतना तेज बेचा जाता है और क्यों २० रुपये मन बेचा गया, बहुत बार इस सम्बन्ध में विवाद हुआ है। इस सदन में खाद्य के सम्बन्ध में विवाद में न जाने कितनी बार कितनी चीजों का उत्तर दिया गया है और कितनी बार कुछ उत्तरों के सम्बन्ध में कुछ प्रत्युत्तर दिये गये हैं और कितनी बार यह कहने की चेष्टा की गई है कि खाद्य समस्या इस प्रदेश की नहीं, सारे देश की अपने तौर पर एक बड़ी समस्या है। जब देश का बटवारा हुआ ८० प्रतिशत जनता का भार इस देश को मिला जिसमें आज हम रहते हैं और केवल ६८ और ६४ प्रतिशत देश का वह भाग हमको मिला जिसमें गेहूं और चावल की खेती होती है। यही नहीं, श्रीमन्, कितने दिनों से आज इस देश की भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है और फिर कितने दिनों से इस देश व प्रदेश में प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं। लेकिन क्या हमारे मित्र इससे इंकार कर सकेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना के

बाद और आज भी जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है इस देश व प्रदेश में खाद्यान्न में वृद्धि नहीं हुई ? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जोर के साथ कहना चाहता हूं कि अनाज वाकई में बढ़ा है, उसकी पैदावार बढ़ी है। ५४-५५ में जितना टार्गेट पहली पंचसाला योजना में रखा गया था उससे ३ लाख टन अनाज ज्यादा बढ़ा और इसी प्रकार से निरन्तर अनाज में वृद्धि होती जाती है। लेकिन जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं और कौन नहीं जानता कि पिछले वर्ष अनाज के सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां आयीं और अनाज कितना तेज बिका ? सरकार को क्या करना पड़ा, यह भी सभी जानते हैं और उसी का परिणाम है कि आज कुछ भावों को एक स्थान पर रखने में उसे कुछ सफलता मिली है। गेहूं व अन्य अनाज को गांवों में रोका जाता है और इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि इस देश में आने से रोका जाता है। बहुत से क्षेत्रों में जहां खाद्यान्न पहले पैदा होते थे अब गन्ने की खेती होती है और बहुत से इलाकों में जहां खाद्यान्न पैदा किया जा सकता था वहां हर रोज उसको तोड़ कर कैश क्राप्स के लिये तैयार किया जाता है। यही नहीं जैसे जैसे मनुष्य का यहां पर जीवन स्तर ऊंचा उठता जाता है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है उसकी पहली जरूरत खाद्यान्न होती जाती है। इन कठिनाइयों में यदि सरकार एक भाव नियत करे, हमारे मित्र हर रोज बिला नागा कहते हैं कि जो भाव आपने नियत किये १४ और १६ रुपये के बीच में ये गलत हैं, इस भाव में तो गेहूं पैदा भी नहीं होता। मैं कैसे कहूं, नीयत पर हमला करने की कोई इच्छा भी नहीं है लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि शायद किसानों के लिये यह बात कुछ रुचिकर हो सकती है, उस आदमी के लिये जो कि आज इस देश की समस्याओं से अपरिचित है शायद यह कुछ अपील हो सकती है और उससे कुछ लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन क्या वह अपील सही है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वे चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश में गल्ले के भाव बढ़ते चले जायं और गल्ला और गेहूं यहां पर निरन्तर २५-३० रुपये मन बिकता चला जाय ? क्या वे चाहते हैं कि भाव निर्धारित न करके निरन्तर कुछ लोगों को, जिनको वे मुनाफाखोर कहते हुए थकते नहीं हैं उन्हीं के मुनाफे में वृद्धि की जाय ? यदि मेरे मित्र इन बातों को चाहते हैं तो मैं सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि हम उनकी इच्छा पूर्ति में कासिर रहेंगे जब तक हम इस गद्दी पर बैठे रहेंगे।

बहुत जिक्र किया उन्होंने अनएम्पलायमेंट का। क्या वे जानते नहीं हैं, श्रीमन्, कि इस देश में ७५ फीसदी आदमी खाद्यान्न पैदा करते हैं और उन ७५ फीसदी में से ७० फीसदी वे व्यक्ति हैं जो खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं और इन ७० फीसदी व्यक्तियों में से बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास पूरा एम्पलायमेंट नहीं है। शायद एम्पलायमेंट के संबंध में वे मुझ से अधिक जानते होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। वे शायद जानते होंगे कि किसी भी देश के एम्पलायमेंट के तीन रूप होते हैं, प्राइमरी ए पलायमेंट, सेकेंडरी ए पलायमेंट और वह तीसरा एम्पलायमेंट जिसे गवर्नमेंट सर्विसेज कहते हैं। प्राइमरी एम्पलायमेंट वह है जो इस देश का विशेष पेशा है, जिसके द्वारा आज तक जन जीवन चलता रहा है, दूसरा एम्पलायमेंट वह है जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज का एम्पलायमेंट शुरू होता है। कौन नहीं जानता कि प्राइमरी एम्पलायमेंट खाद्यान्नों से संबंधित है, खेती से संबंधित है और कौन नहीं जानता कि इस देश में एम्पलायमेंट का प्रश्न तब तक हल होना असम्भव है जब तक यहां पर खेती के उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। प्लानिंग कमीशन का खयाल था कि दो मिलियन नये आदमियों को दूसरी योजना की अवधि में वे एम्पलायमेंट दे सकेंगे। लेकिन कौन नहीं जानता कि इस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पायेंगे क्योंकि प्राइमरी ए पलायमेंट नहीं हो पा रहा है। इतना निसन्देह सही है कि किसी भी दशा में जब तक कि प्राइमरी एम्पलायमेंट में सुधार नहीं किया जाता एम्पलायमेंट का प्रश्न पूरे तौर पर हल नहीं होगा।

अन्त में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम चाहते थे कि आज हमारे मित्र हमसे कुछ कहते कि जिसके कारण आज वे हम पर अविश्वास करना चाहते थे। हम चाहते थे कि आज वे हमसे कहते कि हमने कोई ऐसा बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का काम किया जिसके कारण वे हम पर अविश्वास करते हैं तो मेरा खयाल है कि हम लोग शायद

[लक्ष्मी रमण आचार्य]

उसको स्वीकार करते और उसके संबंध में कुछ चिन्तन करते। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह जनतन्त्र एक उलझी हुई बात है। इसमें केवल यह कि हम लोग कुछ थोड़े से अविश्वास या विश्वास के प्रस्ताव लें आयें या कुछ थोड़ा सा वाद विवाद यहां पर कर दें शायद इससे देश का हित-चिन्तन नहीं होता। शायद यह भी नहीं होता कि इसके द्वारा वे कोई बहुत बड़ी बात हमारे कान तक लाने में सफल हो सकें। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में लिखा है कि अविश्वास का प्रस्ताव एक बहुत बड़ी घटना है किसी भी जनतंत्रीय शासन प्रणाली के लिये। हमारे लिये भी एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी किन्तु केवल कुछ तथ्यों को रख कर जो कि यहां बार बार आ चुके हैं, उनके संबंध में अविश्वास की बात करने से मैं इतना ही कह सकता हूं कि शायद इससे वह कार्य नहीं होता जिसके लिये हम पूर्णरूप से जनतन्त्रीय परम्परा स्थापित करने के लिये उनकी ओर देखते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि वह भी जनतंत्र में हाथ बंटायें और स्वस्थ परम्परा में इस प्रदेश का साथ देने की कृपा करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आज मुझे इस सरकार में अविश्वास प्रकट करते हुए हर्ष हो रहा है क्योंकि जिस सरकार का बना रहना न्याय की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, समता की दृष्टि से, स्वतंत्रता की दृष्टि से, जनतंत्र की दृष्टि से और समाजवाद की दृष्टि से अनिष्टकर है, उस सरकार को एक मिनट के लिये भी बरदाश्त करना ही कायरता है। इसलिये मैं अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, हमारे मित्र माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य ने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला देते हुए कहा है कि अविश्वास का प्रस्ताव कब आता है। मैं आपकी आज्ञा से उसी पृष्ठ को पढ़ देना चाहता हूं जिस लाइन को उन्होंने पढ़ने से छोड़ दिया था। इसमें लिखा हुआ कि:—

"Few sessions fail to provide examples of such motion."

ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धति में ऐसा है कि शायद ही कोई सेशन बीता हो जिसमें सरकार के विरुद्ध सेंसर का मोशन न आता हो। अगर सही माने में हमारे मित्र पार्लियामेंटरी पद्धति का अवलोकन कर सकें तो इसके कहने में हिचक नहीं होनी चाहिये कि यहां की अपोजीशन पार्टियों ने इस सरकार को बहुत देर तक बरदाश्त किया। जहां उनको हमारी सराहना करनी चाहिए थी वहां वह हमारी निन्दा करने के लिये आगे बढ़ते हैं। वह कहते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। उनको कारण प्रकट नहीं हो रहा है। मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने दिलों पर हाथ रखें और सोचें और विचारें कि क्या इस सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने के लिये आज की स्थिति से बढ़कर भी और कोई स्थिति हो सकती थी, जब कि इसी सरकार के एक कर्णधार मंत्री चौधरी चरणसिंह ने त्याग पत्र दे दिया है और समाचार पत्रों में जितनी बातें आई हैं उसमें उन्होंने कुन्बापरस्ती और भ्रष्टाचार का दोष लगाया है। इसी मंत्रिमंडल के जब ११–१२ स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों ने सरकार की नीति से ऊबकर रतीफा दे दिया है और उसी अपनी पार्टी के अन्दर विश्वास लेने की कोशिश की गई है मुख्य मंत्री की ओर से, तब फिर श्री लक्ष्मीरमण जी कैसे कहते हैं कि इस समय इस प्रस्ताव के लाने का मौका नहीं था। एक कहावत है कि:—

"Those who live in glass houses should not throw stones on others."

जो शीशे के महल में रहते हैं उन्हें दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिये। माननीय लक्ष्मीरमण जी साधन सम्पन्न हैं जो चाहें कहें। लेकिन, श्रीमन्, मैं आपको साक्षी बनाना चाहता हूं, सदन के सदस्यों को साक्षी बनाना चाहता हूं और प्रदेश की जनता को साक्षी बनाना चाहता हूं कि आज से बढ़कर, अविश्वास का प्रस्ताव प्रकट करने के लिये और दूसरा उपयुक्त अवसर नहीं था।

श्रीमन्, मैं अपनी बात नहीं कहता हूं और समझता हूं कि बुजुर्गों की बात सभी सुनना चाहते हैं। इसलिये मैं महात्मा गांधी, थोरो, कंफ्यूशस और डाक्टर लोहिया की बात कहता हूं। श्रीमन्, कंफ्यूशस का कहना है कि:—

"If the State is governed by the principle of reasons the poverty and misery are the subject of shame."

अगर विवेक के साथ कोई सरकार शासन करती है तो उस देश में तथा प्रदेश में गरीबी और मुसीबत लज्जा की बात होनी चाहिये। यह भी एक मंत्री रह चुका है। यह सरकार देखे कि यह सरकार किस कसौटी पर विवेकपूर्ण मानी जायगी? क्या अपने देश में गरीबी नहीं बढ़ी है? यदि औसत आमदनी निकाली जाय तो पर कैपिटा इंकम, (प्रति व्यक्ति औसत) जो पहले २१२ थी वह अब घटकर १८३ रह गई है। एक आदमी के खाने के सवाल को देखा जाय तो हमारे यहां ४ छटांक, साढ़े तीन छटांक औसत भी नहीं पड़ पा रहा है। तो यह सरकार किस मानी में कहती है कि उसने विकास किया, उन्नति की। माननीय त्रिलोकी सिंह ने इस प्रस्ताव को ला कर बहुत सही बात की। और हमारा आज तीन महीने से जो प्रयत्न था अविश्वास का प्रस्ताव लाने का वह कारगर हो रहा है इसकी हमें प्रसन्नता है। यह सारा का सारा पोथा भरा हुआ है, हाईकोर्ट के जजमेंट्स, छोटी कोर्ट्स के जजमेंट्स और करप्शन के तमाम कारनामों से, उन सब को पढ़ने का समय तो आप हम को देंगे नहीं, शायद माननीय सदस्य भी गवारा न करें। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी व्यक्ति के लिये हमारे दिल में कोई राग-द्वेष नहीं है। वह व्यक्ति मंत्री के पद पर है, उसकी कुछ पब्लिक ड्यूटीज हैं। क्यों कि सरकार ने अपने कानून के जरिये एक मंत्री के निजी कार्य और सार्वजनिक कार्य का भेद मिटा दिया, इसलिये ऐसे मंत्री के विरुद्ध जब कोई बात कहीं जाय तो सदन के सम्मानित सदस्य व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं देखेंगे। उसको उसी उदारता और व्यापकता की दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से हम उसको रखने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमन्, गांधी जी का एक वाक्य मैं पढ़ूंगा गांधी जी ने कहा था कि "नीति भ्रष्टता और दम्भ लोक तन्त्रीय सरकार के अनिवार्य फल नहीं होने चाहिए।" यह १७ सितम्बर, १९३४ की बात है। "जैसा इस समय में हो रहा है।" मैं इस वाक्य को इस सरकार पर लागू कर रहा हूं। नीति भ्रष्टता है, दम्भ है। आज सरकार किस दम्भपूर्ण नीति से काम कर रही है जनतन्त्र में यह बात कभी देखी नहीं जा सकती, अगर जनतन्त्र है। नीति भ्रष्टता इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि अन्धा आदमी भी उसको समझ लेगा। मेरी परेशानी है कि कहां से शुरू करूं। हमारे पास मामला ज्यादा आ गया है। मैं एक जजमेंट की बात सुनाता हूं। यह अभी अभी बनारस के वकीलों ने भेजा है। इसमें हाईकोर्ट के जज जस्टिस देसाई और जस्टिस सहाय जज रहे हैं। बनारस में कोई सिटी मैजिस्ट्रेट थे अब सेक्रेटरिएट में आ गये हैं। कहीं असिस्टेंट सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी होंगे। वह लिखते हैं—

"Though we hold that the opposite party did not come within the clutches of the law of contempt we are satisfied that his conduct in the matter from the beginning to the end deserves investigation by the State. The allegations made against him and the circumstances suggest that he had acted in a vindictive manner, that he has gone out of his way to pass illegal orders and that his conduct has been anything but that expected from a responsible Government servant."

जो मैजिस्ट्रेट सोशलिस्ट पार्टी या विरोधी दल के सदस्यों को हैरेस करेगा, उसकी तरक्की हो जायगी। क्या इससे न्याय प्रतिष्ठित होगा? क्या यही जनतन्त्र का अर्थ है? हमारे पास अनेक जजमेंट आये हुए हैं। श्री मोहन यादव, ब्रज बिहारी प्रसाद—यह क्रिमिनल अपील है जो वाराणसी में हुई है। उसके साथ राजनारायण के मुकदमे में किस तरह से जजों ने लोअर कोर्ट की भर्त्सना की है वह भी हैं। आप को और सदन को पता होगा कि उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन उन्नाव में हुआ था। उस संबंध में जो घटना हुई उसके बारे

[श्री राजनायण]

में आपने फरमाया था कि जब जजमेंट हो जायगा तो आगे कहियेगा। सारे सूबे का सम्मेलन हो रहा था। पुलिस जाकर हमारे पंडाल पर कब्जा कर लेती है और सम्मेलन को भंग करने की कोशिश करती है, वहां के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इशारे पर। हमने गोविन्दनारायण जी को फोन किया, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को बताया कि १४४ का आदेश गलत है। अभी अभी यह कार्ड हमें मिला है कि परसों जज ने फैसला सुना दिया कि आप निर्दोष थे और आपकी सजा गलत हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं अपने सदन की कार्यवाही में समुचित रूप से भाग न ले पाऊं, मान लीजिए अविश्वास का प्रस्ताव है, चारों तरफ तनाव का वातावरण है, मंत्री लोगों के घरों में बैठ कर कानाफूसी होती हैं कि कहीं सरकारी पक्ष के लोग भी विरोधी पक्ष का साथ दे गये तो सरकार उलट जायगी, तो ऐसी स्थिति में कुछ आदमियों को १४४ लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाय तो क्या हो, दस बीस आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाय तो क्या हो ? इसलिए सरकार को समझना चाहिए कि वह जनतन्त्र को चलाना चाहती है या नहीं चलाना चाहती है। श्रीमन्, मेरा पन्द्रह मिनट समय रह जाय तो मुझे बता दिया जाय .....

श्री अध्यक्ष—पन्द्रह मिनट ही आपके रह गये हैं।

श्री राजनारायण—मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि अब तो हमारे सामने एक उदाहरण है। "Example is better than precept." नसीहत देने से, सबक पढ़ाने से स्वतः उदाहरण प्रस्तुत करना ज्यादा अच्छा होता है। केरल की सरकार गई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या केरल से कम उत्पात उत्तर प्रदेश में है ? क्या सत्याग्रह के बीच में थाने के अन्दर बन्द करके हत्या नहीं की गई ? क्या उसकी खुलकर जांच हुई, क्या उसकी न्यायिक जांच हुई ? वहीं थानेदार जाकर जांच करता है जिसके थाने में वह मारा जाता है और थोड़े से जौनपुर के इधर-उधर के गवाह लाकर सारे मामले पर पानी डाला जाता है। मैं खुलकर अभियोग लगाता हूं सरकार के ऊपर। सारे सूबे में कोई कमेटी बैठाये, जितने कत्ल हुए हैं देखा जाय कि कातिलों की जमानत किसने की है। अभी अभी वाराणसी में एक दुबे थे उनकी हत्या हो गई। बस पर चढ़ रहे थे, दिन के ८ बजे उनको मारा गया। उनको मारा किसने, पता लगाया जाय, किस पार्टी से उनका संबंध है ? पता लगाया जाय कि किस मंत्री महोदय के लाड़ले ने उसकी जमानत की है ? आज सारे प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर है। मैं कहना चाहूंगा २७ फरवरी की यह हमारी प्रोसीडिंग छपी हुई है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी से, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा आपके जरिये और इन सब लोगों से निवेदन करूंगा महात्मा गांधी को सामने रखते हुए क्योंकि यह हमारे सदन में विराजमान है। उनको सामने रखते हुए हम लोग हर वक्त नेकनीयती और भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं। मगर, यह भ्रष्टाचारिता बढ़ती क्यों है ? जब लगातार हर मुखारविन्द से भ्रष्टाचारिता को मिटाने की बात कही जाती हो और निरन्तर वह बढ़ रही हो तो सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है कि ऐसी स्थिति क्यों है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि उन्होंने २७ फरवरी को इसी सदन में कहा है कि "कागज हमारे पास वर्तमान है, जहां तक सरकारी साधनों की बात है चाहे सरकारी कागज हो या अहलकार हो उनसे तो जो कुछ जानकारी हो सकती है वह हासिल की ही जायगी लेकिन मैं इस बात के लिए निमन्त्रण देता हूं कि जिन किन्हीं माननीय सदस्य को इस किस्म की किसी बात की जानकारी हो वह कृपा करके मुझको अवगत करें, मैं पूरी-पूरी जानकारी करने के लिये तैयार हूं और उसके लिये जो कुछ भी किया जा सकता है वह किया जायगा और मैं चाहता हूं कि वह बात की जाय चाहे कोई नतीजा हो जिससे स्टेट का नुकसान न हो। मैं नहीं चाहता कि इस बात में कोई देरी की जाय।"

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के मुखारविन्द से यह शब्द निकले हैं। कार्यवाही में छपे हुए हैं। यह २७ फरवरी की बात है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे धीरज की ओर देखा जाय कि हम लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी से कितना पत्र-व्यवहार किया। हमारे डिप्टी लीडर पार्टी के श्री रामस्वरूप वर्मा, हमारी कौंसिल के लीडर श्री महाराज सिंह भारतीय स्वयं ३०-३-५९ से लगातार खतोकिताबत कर रहे हैं। ३०-३-५९ को महाराजसिंह भारती ने पत्र लिखा, हमारे रामस्वरूप वर्मा जी ने पत्र लिखा, ११-५-५९ को राजनारायण ने लिखा। १८-५-५९ को मुख्य मंत्री का पत्र आया राजनारायण के पास, वह पत्र यहां विराजमान है। उसमें मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि मैंने जो कुछ जिम्मेदारी ली है, आश्वासन विधान सभा में दिया गया था और जांच का जो कुछ भी परिणाम होगा वह वहीं प्रकट किया जा सकता है सदन की बैठक होने पर। सदन की बैठक आरम्भ हुई। श्रीमन्, मैं गया था बरेली मई में। एक पत्रकार वहां मुझे मिले। उन्होंने कहा राजनारायण जी, अब तो विधान सभा में आपका मामला, जो एलीगेशंस आपने लगाये थे, उस संबंध में नहीं उठेगा। हमने कहा कि क्यों, उन्होंने कहा कि बता रहा हूं कोई मुकदमा दाखिल है। मुकदमा दाखिल होता है १२ जून को और मई के महीने यह खबर बताई जाती है। जो लोग नैनीताल में मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से मिलकर आये थे उन्होंने बताया कि वह जांच नहीं होगी। उसको ठप्प कर दिया गया है। जो लोग दिल्ली गये थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी में इस बात को कहा कि कमला पति जी को त्याग-पत्र देना चाहिये। तब कहा गया कि मुकदमा दाखिल हो जायगा। मैं आप से कहना चाहता हूं कि क्या यह सदन का अपमान नहीं है कि एक मुख्य मंत्री २७ फरवरी को यहां पर आश्वासन दे कि जांच पूरी की जायगी और फिर बाद में कहे कि यह लीगल ओपीनियन है कि मामला सबजुडिस हो गया है, अब जांच नहीं होगी। माननीय नेता विरोधी दल और पालीवाल जी ने कहा कि वह लीगल राय हमको दे वह राय उनको आज तक नहीं दी गई। मुझे कुछ जानकारी है लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मेरी जानकारी कहां तक सही है। मुझे मालूम हुआ है कि एडवोकेट जनरल की राय नहीं ली गई और अगर ली गई है तो उसने यह राय दी है कि यह मामला सब जुडिस नहीं है। मैंने उनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वह मिल नहीं सके। इस तरह से इस मामले को सब जुडिस मुख्य मंत्री जी ने बना दिया है। इस तरह से मामले पर परदा डालने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार से वह मंत्री या मुख्य मंत्री क्या इस राज्य सरकार के योग्य हैं यह सब माननीय सदस्य जानते होंगे।

हमारे पास सर्टिफाइड कापी हैं उस पर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन हुए माननीय कमलापति जी ने कुछ हमको यहां पर धमकी दी। श्रीमन्, आप जानते हैं कि मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूं मगर फिर भी हमको चिन्ता हुई। तब हमने अपना कर्त्तव्य समझा कि यदि किसी के प्रति कोई आरोप हो तो उसकी माकूल तरीके पर ढूंढ होनी चाहिये। उसी के लिये हमने यह सैकड़ों रुपये खर्च कर दिये हैं। यह सारी हमारे पास सर्टिफाइड कापीज की रपट है। इसमें एक कागज में यह है कि २३-३-५२ को स्पेशल रेजोलूशन के जरिये से ३ आदमियों को डाइरेक्टर बनाया गया। इसमें यह लिखा हुआ है कि:--

"Resolved that Shri Ramashish Singh, Shri Lokpati Tripathi and Shri A K. Pandey are hereby appointed as Incharge Directors respectively for finance, administration and commerce each for period of 10 years."

२३-३-१९५२ को यह लोकपति त्रिपाठी उसके डाइरेक्टर नियुक्त होते हैं.....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मेरा यह प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि जो माननीय राजनारायण जी कह रहे हैं इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि यह मामला सब जुडिस है तो फिर भी उसके ऊपर भाषण किया जा रहा है। तो जब यह कार्यवाही छपेगी तो इसका क्या असर पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि वह दूसरा मामला ले रहे हैं। इसके बारे में जब वह खत्म कर देंगे तो तब पता चल जायगा कि यह कौनसा मामला है। वह उस मामले को नहीं ले रहे हैं।

श्री राजनारायण—तो मैं श्रीमन्, इसका जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनको आक्षेप करने की इजाजत नहीं दी।

श्री राजनारायण—अब मैं उसके नाम क बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसके लिये प्रस्ताव १५-१२-५२ को आया। पहले इसका नाम कोआपरेटिव टाउन बैन्क लिमिटेड, सुल्तानपुर था, लेकिन बाद को इसका नाम हिन्दुस्तान कर्मशियल कारपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। पहले यह भी प्रस्ताव आया कि इसका नाम उत्पादन लिमिटेड, लेन-देन लिमिटेड किया जाय या कृषि उद्योग लिमिटेड किया जाय, लेकिन बाद को इसका नाम हिन्दुस्तान कर्मशियल कारपोरेशन लिमिटेड हो गया। २३-११-५२ को कमलापति जी मिनिस्टर हो चुके थे और २३-३-५२ को उनका लड़का डाइरेक्टर आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन उस फर्म का हो चुकाथा, अब शेयर एलाट होते हैं कमलापति त्रिपाठी, लैन्ड लार्ड, औरंगाबाद, बनारस को २५० शेयर। श्रीमती शारदा देवी लैंडलेडी को २५० शेयर। लोकपति त्रिपाठी को २५० शेयर यह उनके बड़े लड़के हैं। ए० के० पांडेय को २५० शेयर यह भी इनके रिश्तेदार हैं। अमरेश-चन्द्र पांडेय यह भी इनके रिश्तेदार हैं। कैलाशपति तिवारी करुणापति तिवारी के भी २५०, २५० शेयर है यह कमला पति जी के सगे भाई हैं, इस प्रकार कंट्रोलिंग शेयर कमलापति जी के हैं अब आप देखिये कि कमलापति जी को शेयर थे उनके नाम के ऊपर मायापति बढ़ा दिया गया है और उसके साथ सन आफ कर दिया है। लोकपति जी के लिये तो सन आफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन इनके लिये लिखा गया। यह शारदा देवी इनके घर से संबंधित हैं इस तरह से ५,००० शेयर हैं जिसमें से कंट्रोलिंग शेयर उनके परिवार और रिश्तेदारों के हैं। अब श्रीमन्, आगे देखा जाय। मैंने पूरे साल की सर्टिफाइड कापी ली है। सन् ५२ में केवल एक जगह करेक्शन मिलता है जहां पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का नाम है। लिखा जाता है श्री कमलापति त्रिपाठी, औरंगाबाद, बनारस। फिर करेक्शन किया जाता है श्री मायापति त्रिपाठी, सन आफ। शेयर होल्डर्स हैं १५० के करीब। उनके बड़े लड़के के नाम के आगे कोई करेक्शन नहीं है। हाथ से करेक्शन किया गया है, दस्तखत इस पर नहीं है, लेकिन मायापति सन् आफ कमलापति बनाया गया है। १९५३ और ५४ में वह गलती ठीक नहीं होती। उसी जगह पर ५५ में कमलापति जी के नाम के ऊपर फिर मायापति विद्यमान है। यह सर्टिफाइड कापी में हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं कहता हूं कि इन प्राइवेट फर्म्स की बातों से आप क्या ड्राइव कर रहे हैं?

श्री राजनारायण—मैं नैतिकता पर, भ्रष्टाचार पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—किसी कम्पनी में शेयर लेना अनैतिक है क्या?

श्री राजनारायण—अगर किसी परिवार का आदमी किसी फर्म का डाइरेक्टर हो जो सरकारी ठेका ले सामान सप्लाई करने का तो उस परिवार के तमाम लोग अयोग्य हो जाते हैं यह हमारे विधान में, पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में लिखा हुआ है। अब श्रीमन्, बड़ी परेशानी हुई। हमको कल एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य मिले। अरे, तुम नहीं जानते हो, सेपरेशन हो गया। बटवारा हो गया। अभी-अभी ११ बजे मुझे श्याम शंकर सिंह, वकील का तार मिला है कि "रजिस्टर्ड बटवारा नहीं हुआ। १९४६ से १९५८ तक" उन्होंने बनारस के रजिस्ट्रार आफिस का मुआयना कर के देखा बटवारा नहीं हुआ मैंने तार दिया था इसलिये कि कहीं कोई गलत बात मुंह से न निकल जाय। उन्होंने मुआयना किया और पाया

कि कोई बटवारा नहीं हुआ है। जो जिला परिषद् का विधेयक यहां विचार के लिये पेश है उसकी ५६ धारा को देखा जाय। वह सरकार की इच्छा है। मैं अपनी इच्छा नहीं कहूंगा। श्रीमन्, थोड़ा-सा समय दे दिया जाय, मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। यह ५६वीं धारा है जिसमें लिखा है:

"(क) उसने धारा ६ की उपधारा (४) में उल्लिखित विषयों से भिन्न किसी ऐसे विषय पर, जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उसका कोई निजी हित हो अथवा जिसमें वह किसी वादार्थी ग्राहक, प्रतिनियोक्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक हित रखता हो, मत दे कर अथवा उसकी चर्चा में भाग लेकर जिला परिषद् के सदस्य या किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया हो।" वह हटा दिया जायगा। यह सरकार की नीति है। सरकार ने जिला परिषद् के सदस्यों के लिये माना है कि अगर वे ऐसा व्यापार करते हों, चाहे डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट, जिसमें उनका हित हो, स्वार्थ हो, तो वह हटा दिये जायंगे। जिला परिषद के सदस्य वे नहीं माने जायंगे। अगर इसी नीति पर यह सरकार चलती.....

श्री अध्यक्ष—और जिला परिषद् के साथ व्यापार करते हों यह अधिनियम की बात आप नहीं कहते।

श्री राजनारायण—धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे करेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में ७-डी है। वह कहती है कि अगर सरकार के साथ कोई व्यापार करता हो इस ढंग से, तो वह सदस्य नहीं रह सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि लीगल ऐक्शन तो गवर्नर साहब जो लेंगे वह होगा, लेकिन कुछ पोलिटिकल मोरेलिटी भी है। क्या यह पोलिटिकल मोरेलिटी नहीं है कि ऐसे सदस्य सदस्यता से वंचित हों। वह आगे बढ़ें पोलिटिकल मोरेलिटी को ऊंचा उठाने के लिये। मैं कमलापति जी और सम्पूर्णानन्द जी से चाहूंगा कि वह स्वयं इस्तीफा दें, वोट लेने की परिस्थिति न आने दें। इस दौरान बहस में भी अगर उनका इस्तीफा हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ ही साथ मैंने श्रीमन्, वाराणसी से सर्टिफाइड कापी मंगा ली है मकान के बारे में। देखा जाय, कोई अधिकारी किसी के साथ पक्षपात क्यों करेगा। माननीय कमलापति जी का मकान बन रहा है जिसमें सब भाइयों का नाम है और इन सब भाइयों के नाम के साथ-साथ यह लिखा हुआ है कि मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है। सन् १९६६ से लेकर १९६४ तक के लिये ५ वर्ष तक के लिये असेसमेंट कर दिया गया। जिसमें ४०-५० कमरे, दूकान इत्यादि बनेंगे और ३०० रुपये पर उसका असेसमेंट हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि "अन्डर कंस्ट्रक्शन", यानी मकान बन रहा है। जब बन रहा है तो उसका अससमेंट करने वाला कोई कौन होता है। अब आप देखें कि असेसमेंट जितना होता है उसका साढ़ चौदह फीसदी वाटर और हाउस टैक्स होता है। तो ४२-४३ रुपये के करीब टैक्स लगेगा जब कि अब भी वहां पर किरायेदार रहते हैं।

श्रीमन्, मिर्जापुर के बारे में मैंने कहा था हमको मालूम हुआ है कि वहां एक फार्म है, वह गवर्नमेंट ने खरीद रखा है। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट हमारे पास कल आ गयी है। उसने लिखा है कि २०० रुपया एकड़ देना चाहिए था इस फार्म का, मगर सरकारी कर्मचारियों ने ८०० रुपया दिया है और उन्होंने लिखा है कि ऐसा सरकारी फार्म जनता में घृणा पैदा करेगा, लज्जा पदा करेगा, क्योंकि ७२ एकड़ फसल बोई गयी लेकिन गल्ला पैदा हुआ कुल ७ मन। यह रिपोर्ट है। सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों किया गया, क्योंकि कमलापति जी के रिश्तेदार थे।

श्री अध्यक्ष—आप का समय समाप्त होता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, २ मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष—२ मिनट ले लीजिये।

श्री राजनारायण—मैंने पहले कहा था। यह डायरेक्टरी है हमारे पास। डाल्टन का उदाहरण दिया जा सकता है कि थोड़ी-सी बात उसके मुंह से निकल गयी थी बजट के बारे में तो उसने फौरन इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं कतई इस पद पर रहने के योग्य नहीं हूं। इस डायरेक्टरी में लिखा हुआ है पेज ११७ पर, "श्री माया पति त्रिपाठी, ब्रांच मैनेजर, हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन"। और कहां वह रहते हैं? १३–ए, माल एवेन्यू। यह १९५९ की डायरेक्टरी है। श्री कमलापति कहां रहते हैं? १३–ए, माल एवेन्यू, त्रिपाठी कमला पति! यह किसका मकान है? यह हमारा मकान है, जनता का मकान है। जनता ने अपनी ओर से मकान दे रखा है। उसमें ब्रांच मैनेजर, हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन कैसे रखा गया? क्या किराये पर उठा रखा है?

वाराणसी में यू० पी० ऐल्युमिनियम कारपोरेशन बनी हुई है जो पंखा बनाता है। इसमें भी श्री लोकपति त्रिपाठी, कमलापति जी के बड़े लड़के डाइरेक्टर हैं। यह कम्पनी पंखा देती है। उसने एक सरकारी अस्पताल को पंखे दिये हैं–३१–३–५९ को ८ पंखे दिये, जोकि ठीक से चले ही नहीं। वहां के सिविल सर्जन ने कहा है क्लर्कों से कि तुम नहीं जानते हो, मिनिस्टर का लड़का है ––इस प्रकार भी सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण—यह सारी फाइल रह गयी, श्रीमन्।

श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी नेताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। अविश्वास के प्रस्ताव के दो रूप होते हैं।

(इस समय १ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

एक तो यह होता है कि वर्तमान सरकार को हटाना और उसकी जगह विरोधी पार्टी की गवर्नमेंट बनाना और दूसरा होता है कि उसकी जगह पर कुछ सरकार की टीका-टिप्पणी करना। मेरी राय में अभी अभी जो विरोधी नेताओं के भाषण सुनने का मुझे मौका मिला है उससे मैंने यह अन्दाज लगाया कि पहला रूप तो पूरा नहीं होता, हां, टीका टिप्पणी कुछ की जा सकती है। फिर भी जो भाषण अभी तक विरोधी नेताओं के हुए हैं उसमें कुछ व्यक्तिगत आक्षेपों को छोड़ कर और कुछ मामूली पुलिस भ्रष्टाचार की शिकायत के अलावा मुझे कोई बात नजर में नहीं आती और सोशलिस्ट नेता का भाषण सुनने के बाद तो हम समझते है कि इस माननीय सदन को कोई भी शक नहीं रह जाता कि केवल व्यक्तिगत आक्षेप के अलावा कुछ है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शान्ति नहीं है। मैं शान्ति के लिए प्रार्थना करूंगा।

श्री लोकनाथ सिंह—माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी ने एक बात कही वह बड़ी मजेदार थी और वह हैं भी मजेदार आदमी। मुझे उनका भाषण अक्सर सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं भी वहीं से आता हूं। आपका कहना है कि शिक्षा देने के बजाय खुद का उदाहरण हो तो अच्छा होता है। अगर वे मौजूद हों हाउस में तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यान जिला परिषद् की तरफ ले जाना चाहता हूं। २५–६–५९ की बैठक में हमारे जनतन्त्र की दुहाई देने वाले सोशलिस्ट नेता बहादुर एक माननीय सदस्य को कहते हैं, जब कि डी० एम० सभापतित्व कर रहे थे, कि तुम्हारी टांग पकड़ कर बाहर सड़क पर खींच लेंगे, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या यह जनतन्त्र का सीधा-सादा उदाहरण है? २५–७–५९को जब पूरक बजट पेश था, और उस पर बहस हो रही थी तो सोशलिस्ट पार्टी के नेता कहते हैं कि दूसरा प्रस्ताव लिया जाय। मैंने अध्यक्ष से निवेदन किया कि पूरक बजट जब पेश है, बहस हो रही है तो ऐसी सूरत में दूसरा प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता, फिर भी हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता, जैसा कि आप अक्सर इस हाउस में देखते हैं, वैसे ही हमें जिला परिषद् में देखने को मिलते हैं, खड़े हो जाते हैं। मैंने अध्यक्ष महोदय से प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया उस पर आपने फिर प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया।

मैंने कहा कि व्यवस्था के अनुसार प्वाइन्ट आफ आर्डर पर प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता तो सोशलिस्ट पार्टी के नेता, जिनकी बहुत लम्बी-चौड़ी स्पीच हुआ करती है, कहते हैं "यू शट अप"। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही है जनतन्त्र का आदर्श और उदाहरण नेता सोशलिस्ट पार्टी का। वह कहते हैं कि हम समाजवाद कायम करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि जिस गवर्नमेंट से चरण सिंह जैसे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और दूसरे ११-१२ मिनिस्टरों ने इस्तीफा दे दिया, उस गवर्नमेंट को बने रहने का क्या हक है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस सोशलिस्ट पार्टी से एक त्यागी और योग्य सदस्य, माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने और बलवानसिंह जी ने और टीकाराम पुजारी जी ने इस्तीफा दे दिया उस पार्टी को बने रहने का क्या हक है. . .

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विवाद में न लावें। किसी दूसरे व्यक्ति की इस बारे में दूसरी रायें हो सकती हैं, और आपने उदाहरण भी दे दिया, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विवाद में नहीं लाना चाहिये।

श्री लोकनाथ सिंह--श्रीमन्, हमारे समाजवादी नेता ने अपने भाषण में कहा है कि वह समाजवाद चाहते हैं और जमीन का बटवारा चाहते हैं। आपको याद होगा श्रीमन्, कि मैंने अपने किसी पिछले भाषण में नेता सोशलिस्ट पार्टी को चैलेञ्ज किया था कि उनके क्षेत्र में सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के घरों में ज्यादा बेदखलियां हुई हैं, और ज्यादे इस्तीफे पड़े हैं हरिजनों और बैकवर्डों के। आज भी मेरा चैलेञ्ज है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैं किसी ट्रेजरी बेञ्च के किसी सदस्य को नहीं लेना चाहता, बल्कि नेता विरोधी दल, श्री झारखंडे राय, श्री पालीवाल जी हैं, ऐसे आदमियों की एक कमेटी बनाई जाय और वे निष्पक्ष इंक्वायरी करें कि हमारी बातों में कितनी सत्यता है .....

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि राजनारायण जी का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। हुकूमत के किसी पद पर रहते हुये उन्होंने उस पद का कोई दुरुपयोग किया हो तो उसका आप उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का जो सरकार से सम्बन्धित नहीं है और जब कि सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश है, उसके बारे में मैं इजाजत नहीं दे सकता। आप उदाहरण के तौर पर एक आध बात कह सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य ने सोशलिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से जो नाम गिनाये हैं मैं समझता हूं वह अनुचित है और उसे प्रोसीडिंग्ज से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने उनको रोक दिया है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--श्रीमन्, मैं भी एक व्यवस्था चाहता हूं माननीय राजनारायण जी ने माननीय कमलापति जी के घर भर के सभी लोगों के नाम लिये . . .

श्री रामस्वरूप वर्मा--वह तो कम्पनी के शेयर होल्डर्स के नाम लिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--उन्होंने श्री कमलापति जी का नाम इसलिये लिया कि वह राज्य सरकार के मंत्री हैं और उनके रिश्तेदारों और संबंधियों और लड़कों के जरिये से उस पद का दुरुपयोग किया इसीलिये उसको माननीय अध्यक्ष ने नियमानुकूल बताया था, लेकिन जिसका सरकार से संबंध नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन् मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठें।

श्री लोकनाथसिंह---श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं पर देखता हूं कि 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे ।' ऐसे बहुत से लोग इस सदन में मौजूद हैं। मैं मानता हूं और मैं आशा करता हूं कि चाहे ट्रेजरी का नेता हो या विरोधी बेंच का हो, कुछ ऐसी स्वस्थ परम्परा इस हाउस में कायम की जाय जिससे इस प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल हो। खासकर सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की स्पीचों में यह कहा जाता है कि पुलिस में बहुत भ्रष्टाचार है। तो क्या कोई भ्रष्टाचार इस तरह से दूर होगा कि गुंडे गुंडई करें, चोर चोरी करें और सोशलिस्ट पार्टी के नेता अदालतों में जाकर उनकी जमानत करें? मैं चाहता हूं कि एक कमेटी हो जो इसकी जांच करे।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी परेशानी है। सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के कारनामे मैं क्या बताऊं? देखें, हमने पुलिस मंत्री या एस० पी० से या डी० वाई० एस० पी० से कभी नहीं कहा कि हमारे पीछे गुंडे लगाये गये हैं। अभी चन्दौली की घटना है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मालूम नहीं कि कौन-सा कानूनी मसला आ जाय, मगर मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अब सोशलिस्ट पार्टी के नेता जमीन का बटवारा करावेंगे। क्या यह अपनी सारी जमींन औरतों के नाम लिखा कर होगा? (शेम, शेम) इतना ही नहीं, श्रीमन्, कारों का टैक्स कैसे कम होता है, यह भी इनसे सीख लीजिये। खानगी तौर पर कार्यवाही करके यह सब कुछ सोशलिस्ट पार्टी के नेता कर रहे हैं। चेतगंज में जो २ लाख का मकान बन रहा है वह कहां से राजनारायण जी बनवा रहे हैं? मुझे आशा है कि वह नाराज नहीं होंगे क्योंकि वह नेता हैं और मैं उनका आदर और कद्र करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस बात का वह खयाल रखेंगे कि जो शिक्षा और उपदेश वह मुझे या दूसरों को देते हैं वह अगर स्वतः उदाहरण के तौर पर खुद आदर्शवादी बनें तो हम लोगों का और उनका भी लाभ हो। कल की बात है। मैंने कहा कि जिला परिषद् में सोशलिस्ट सदस्य गालीगलौज करते हैं, ऐसा करने के लिये उन्हें आप नहीं रोकते। यह बड़े शर्म की बात है। क्या यही जनतंत्र है? क्या इसी तरह से देश का भला होगा? क्या इसी तरह से जिले का भविष्य सुधरेगा? तो नेता जी ने कहा कि हमने मना किया था कि आयन्दा ऐसा न करें। मैं उम्मीद करूंगा कि वे हर बात को ध्यान में रख कर ही काम करेंगे।

कहा गया है कि कचहरियों में भ्रष्टाचार होता है। अगर कांग्रेसी माइन्डेड वकील ऐसी गलती करते हैं तो उनके अलावा प्रजा समाजवादी पार्टी, जन संघ, सोशलिस्ट पार्टी, हिन्दू महासभाई, कम्युनिस्ट वकील भी तो होंगे, वही क्यों नहीं ईमानदारी दिखाते हैं और क्यों तैयार रहते हैं कि चाहे कोई चोरी करके आवे, गुंडई करके आवे, कत्ल करे रुपये लेकर क्यों पैरवी करते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के नेता बनारस में सस्ते गल्ले की दूकानें दिलाने में। क्या यह ठीक है? मैं कहना तो नहीं चाहता था क्योंकि शायद वह नाराज हो जावेंगे। आज पांच-पांच सौ रुपये घूस लिये जाते हैं सोशलिस्ट नेताओं द्वारा सस्ते गल्ले की दूकान दिलाने के लिये। अगर हमारे नेता सोशलिस्ट पार्टी मुझसे सबूत चाहेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं और मैं नाम, पोस्ट आफिस, थाना सब बतलाने के लिये तैयार हूं। श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि अगर इस प्रदेश की तरक्की करनी ह, इस जनतंत्र को चलाना ह तो यह आपसी सहयोग और जनसहयोग पर ही आधारित है और प्रदेश की तरक्की हो सकती है।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों से जो गुंडई करते हैं, कत्ल करते हैं, चोरी करते हैं, या समाज के वे अंग जो कि समाज के लिये पाप और कलंक बने हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी का एम० एल० ए० हो उनसे सम्बन्ध न रखे। इससे सारे नाजायज काम और भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे।

इन शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे मौका दिया और मैं अविश्वास के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—पर्सनल एक्सप्लेनेशन केवल इस बात का होता है कि आपने अभी जो भाषण दिया था उसमें आपने कोई बात कही हो और किसी माननीय सदस्य ने उसे गलत समझा हो या गलत उद्धरण दिया हो। अगर आप किसी ऐसी चीज की सफाई देना चाहते हैं तो मैं इजाजत दूंगा, लेकिन अगर कोई लांछन उन्होंने आपकी पार्टी पर या घरवालों पर लगाय हो तो उसकी सफाई की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—इसी सदन में अभी तक यह प्रथा रही है कि कमलापति त्रिपाठी जी के किसी भाषण का मैंने उत्तर नहीं दिया था मगर मैंने जो कुछ कहा था उस पर माननीय अध्यक्ष ने उन्हें पर्सनल एक्सप्लनेशन का मौका दिया था। आपने भी ऐसा पहले किया है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष ने क्या किया, मेरे सामने तथ्य नहीं है।

श्री राजनारायण—हमको मिसकोट किया गया है। मैं माननीय लोकनाथ सिंह जी को मुबारकवाद दूंगा, अगर उनका यह मंशा रहा हो कि हमारी पावर का दुरुपयोग हो रहा है, नेता सोशलिस्ट पार्टी की शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है और अनर्थ कार्य बनारस में हो रहे हैं, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा अगर वह एक-एक मिसाल देंगे हमारे बारे में, या सोशलिस्ट पार्टी के बारे में या उनको कोई दोष दिखाई दें तो वह बतलावें तो मैं देश के हित में उन्हें स्वीकार करूंगा और चाहूंगा कि उनकी तहकीकात हो। यह भी देखा जाय कि कितनी हमने बेदखलियां कीं और कितनी कमलापति जी ने कीं। लोकनाथ सिंह जी का सोर्स आफ इन्कम क्या है ? तमाम भ्रष्टाचार के काम करके यहां नक्कू तो नहीं बनना चाहिये। कमलापति जी की जांच हो और राजनारायण की भी जांच हो।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की तरफ से मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके मैं समथन में खड़ा हुआ हूं। जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था, जनता यह सोचती थी कि हमें सुख मिलेगा और शान्ति से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि गरीब जनता और समस्त जनता में एक तरह से बेचैनी और इस सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। हमारे यहां की ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है लेकिन उनकी परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, उसकी तरफ कोई गोर नहीं किया जा रहा है। सरकारी गल्ले की दूकानें शहरों में तो खुल जाती हैं लेकिन वहां भी लोगों को लाइन लगा कर खड़ा होना पड़ता है और स्त्रियों को अपने छोटे-छोटे बच्चों को घर पर छोड़ कर अनाज लेने के लिये जाना पड़ता है। अगर किसी के पास हफ्ते दो हफ्ते के लिये रुपया नहीं होता है तो उनको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका अनाज छूट जाता है। छूटा अनाज फिर नहीं मिलता। अगर उस परिवार का आदमी नौकर हुआ तो स्त्री को भोजन आदि बनाने में परेशानी होती है। लेकिन किसी प्रकार से शहरों में तो कुछ अन्न का प्रबन्ध भी होता है लेकिन गांवों में वह प्रबन्ध भी नहीं होता। जब गेहूं की फसल तैयार नहीं हुई तो गांव के लोगों को चरी तक खाने को नहीं मिल पायी। एक गरीब मजदूर जिसको किसी दिन अगर मजदूरी नहीं मिली तो उसकी हालत बड़ी दयनीय होती है। गरीब मजदूर के सामने हमेशा यह समस्या रहती है कि किस प्रकार से वह अपने जीवन का निर्वाह करे।

मेरे इलाके में गंगा और रामगंगा, खो आदि नदियों की सदैव बाढ़ आया करती है। बिजनौर के करीब से पानी भरता है और अमरोहा तक भर जाता है। उसके बीच में जो घर पड़ते हैं वे सब तबाह हो जाते हैं। मजदूरों और गरीबों को नाज मिलना तो दूर रहा उनके पशुओं को चारा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग तो खेती की जमीन बहती में आ जाने से, दिल्ली में जाकर गन्दा नाला जो बन रहा है, पर जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन वहां की जनता को बसाने का कोई प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं हो रहा है।

[श्री शिवराम]

परसों श्री गोविन्दसहाय जी कह रहे थे कि ५०० मुकदमे काश्तकारों पर किये गये हैं। एक समय था जब कि काश्तकारों के नाम पट्टे किये गये लेकिन डिमारकेशन में वह जमीन जंगलात में आ गयी तो वह पट्टे रद्द किये जा रहे हैं। उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही ह। उन्होंने उस भूमि में मेहनत करके उन खेतों की पैदावार को बढ़ाया, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की। बहुत से काश्तकारों को अपने पशुओं के लिये चारा भी नहीं प्राप्त हुआ। पहले लोग अपने पशुओं को इन जंगलों में चरने के लिये भेज देते थे लेकिन आज न तो उन लोगों के पास भूमि है और न पशुओं के लिये चरागाह। इस प्रकार से उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है। ग्रामीणों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहा गया कि चकबन्दी होगी तो भूमिहीनों को भूमि मिलेगी, यह भी अब कहा जा रहा है कि भूमि की सीलिंग होने के बाद जो भूमि बचेगी उसको भूमिहीनों को दिया जायगा लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि चकबन्दी तथा जमींदारी उन्मूलन से बची भूमि कितने लोगों को दी गयी और यह भी देखा जायगा कि आगे आप कितनी भूमि भूमिहीनों को देने में समर्थ होते हैं। लेकिन अभी तक तो भूमिहीनों को कोई भूमि मिली नहीं है। गरीबों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है।

बहुत से शहरों में हरिजनों की बस्तियों के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अमरोहा में हरिजन की बस्ती से बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, तार इकट्ठे करके खम्भों पर लटका दिये गये हैं। इन बस्तियों में शौचालय भी नहीं बनाये गये हैं। मां-बहिनों की बेपर्दगी होती है। जब कि वहां बस्ती में ८–८ फीट पानी चढ़ जाता है, जिससे बहुत से मकान गिर गये। जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था आबादी की हो, जहां गरीब मजदूरों की इस तरह से अवहेलना की जाय फिर सरकार यह कहे कि हम प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर रहे हैं, जिस प्रजातंत्र में सभी सुखी होंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज जहां हम बैठे हुए हैं यहां भी गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारे नौकरी पेशा हैं क्या वे दुखी नहीं हैं? ५०, ६० रुपये की नौकरी से क्या उनके बच्चों के खाने-पीने, शिक्षा तथा दवादारू आदि का प्रबन्ध हो जायगा?

इसी तरह से उद्योग के सिलसिले में कहा जाता है कि सरकार की तरफ से बहुत सारे उद्योग-धंधे चल रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूं कि ग्रामीण जनता की अवहेलना की जा रही है। जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं उनको १०, १२ वर्ष तक नौकरी करने के बाद भी नोटिस दे दिया जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है। न तो उनको कोई फंड दिया जाता ह न उनकी नौकरी स्थायी की जाती है, न (E. B.) योग्यतापूरक वृद्धि ही दी जाती है। ऐसे आपके यहां से कहा तो यह जाता है कि सरकार कृषि के बाद उद्योग धंधे को प्राथमिकता देती है लेकिन मैं देखता हूं कि सरकारी आफिसरों की तरफ से उधर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। छोटे-छोटे शिक्षक लोग जो सरकारी उद्योग-धंधों को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गरीब लड़कों के लिये खास तौर पर उनके रहने व उनको उद्योग-धंधे सिखलाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इस प्रकार से अगर देखा जाय तो जिस उद्योग धंधे को गरीब तबके से सम्बन्ध है, हरिजनों से सम्बन्ध है, उनको पनपाने की कोशिश की जानी चाहिये।

आजकल नौकरी की हालत भी यह है कि जो फर्स्ट, और सेकेंड डिवीजन में पास करते हैं उनको तो नौकरी कहीं मिल भी जाती है लेकिन थर्ड डिवीजन वालों को तो उससे भी वंचित रहना पड़ता है। अर्थात् हरिजन नौकरी से वंचित रहता है। तो इस तरह से जनता के अन्दर असन्तोष बढ़ता है। जहां तक सरकारी प्रबन्ध का सम्बन्ध है, मैं अपने जिले की ही बात बतलाऊं कि अभी-अभी श्री नारायण प्रसाद माथुर ने आत्महत्या कर ली। वह सरकारी कर्मचारी थे। जब सरकारी कर्मचारियों में इस तरह से असन्तोष हो तो फिर जनता को आप किस प्रकार से सन्तुष्ट कर सकते हैं। सरकार के इन कारनामों की वजह से जनता में बड़ी बेचैनी है और वह बेचैनी दूर तभी हो सकती है जब कि जनता की सारी बातों की व्यवस्था की जाय और उसका ठीक से प्रबन्ध हो।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आपका मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस भवन के समक्ष निवेदन करने का अवसर दिया। अविश्वास का प्रस्ताव जो उपस्थित है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय राजनारायण जी ने मेरे नाम का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह कहा कि मैं भी एक किसी प्राइवेट कम्पनी का शेयर होल्डर हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन आफ पिपुल ऐक्ट में कोई ऐसी धारा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक कम्पनी का शेयर-होल्डर न हो सके। मैं एक ही कम्पनी का नहीं बल्कि कई कम्पनी का शेयर होल्डर हूं। शायद आप सोचते होंगे कि मैं अभी शेयर होल्डर हुआ हूं इसलिये आपने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि जमींदारी एबालिशन के पहले मेरे पास ८० गांव थे और मैं उसी समय से शेयरहोल्डर हूं। मान्यवर, यह बात भी कही गयी कि माननीय गृह मन्त्री के लड़के के नाम भी उस कम्पनी में शेयर हैं और वे उसके डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो रिप्रेजेंटेशन आफ पिपुल ऐक्ट की आर्टिकल ७ (२) के अनुसार कोई भी आदमी अपनी व्यक्तिगत हैसियत के अनुसार किसी कम्पनी का डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, इस तरह की व्यवस्था उसमें बहुत ही साफ दी हुई है। इसके सम्बन्ध में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपना भाषण प्रारम्भ किया, तो प्रारम्भ तो उन्होंने खाद्य समस्या से किया और उसके बाद फौरन ही पुलिस पर आ गये। और पुलिस पर आने के बाद वह फिर सेपरेशन आफ पावर पर पहुंचे और फिर पुलिस पर आये, उसके बाद कुछ उन्होंने अन्तरिम जिला परिषद् के विषय में कहा, फिर पुलिस पर आये और उसके बाद उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। ऐसा मालूम होता था कि वह जैसे पुलिस बजट पर भाषण दे रहे हैं। ऐसा मालूम होता था कि गाड़ी जैसे रेलवे स्टेशन से तो ठीक चली काफी कोयला लेकर और धुआं उड़ाती चली, आग वगैरह सब ठीक थी लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही डिरेलमेंट हो गया, और गाड़ी पटरी से उतर गई और नीचे चली गई।

मान्यवर, किसी व्यवस्था का संचालन करने के लिये एक उचित परिपाटी की जरूरत होती है और उसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष जनजीवन से होता है। यह सरकार जब से शासनारूढ़ हुई है उसने हर दिशा में जनता के सर्वतोन्मुखी विकास की चेष्टा की है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह सरकार जो काम कर रही है उससे हमारे प्रदेश की उन्नति हुई है, अभ्युत्थान हुआ है और अभ्युदय हुआ है। हम यहां पर स्वतंत्रता और जनतंत्र की नई परम्पराओं का सृजन कर रहे हैं और यह महान कार्य निरर्थक बातों से नहीं होता बल्कि वह सत्यता की तरफ ईमानदारी से कदम बढ़ाने से होता है। यहां वही बातें बार बार रिपीट की जाती हैं, जो बातें बजट में कहीं गईं वहीं दोहराई जाती हैं, विरोधी पक्ष की एक प्रणाली है, एक प्रथा सी है कि उधर से वही बातें हमेशा कही जाती हैं। मैं विरोधी दल के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के तर्क और उनकी सम्मति सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। विन्सटन चर्चिल जो राजनीति के अच्छे विचारक हैं उनका मत है कि :

"The function of an opposition is that of the loyal opposition. The opposition should not fall into the partisan error of opposing things just for the sake of opposition. It must not be an opposition against—but it must be an opposition for an opposition for a strong and productive state."

अर्थात् विरोधी पक्ष का मुख्य कर्त्तव्य औचित्यपूर्ण विरोध का है। विरोधी पक्ष को पार्टीबन्दी के दलदल में फंस कर केवल विरोध के लिये विरोध करने की गलती नहीं करना चाहिये। प्रत्युत् वह विरोध सृजनात्मक होना चाहिये, राज्य को समृद्धिशाली और शक्तिशाली बनाने के लिये होना चाहिये।

मान्यवर, विरोधी पक्ष का जनतांत्रिक प्रणाली में बड़ा भारी योग रहता है, हम चाहते हैं कि हमारा विरोधी पक्ष सबल हो और जो विरोध करें वह सृजनात्मक हो। इस सम्बन्ध में

[श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय]

मुझे एक किस्सा याद आ गया जो मैंने एक अमरीकन पीरियाडिकल में पढ़ा था। वहां एक बार इस बात की जानकारी हासिल की जा रही है कि सब लोगों के क्या क्या विचार हैं, तो इस सम्बन्ध में वहां अमरीका में एक संसद अधिकारी एक अमरीकन परिवार के पास पहुंचे। उस समय उस परिवार की एक महिला वहां उपस्थित थीं। उन्होंने पूछा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी विचारधारा क्या है। उस महिला ने उनको जवाब दिया कि हम ३ मेम्बर हैं जिनमें से एक मेरे हसबेंड है वह रिपब्लिकन हैं, मैं डेमोक्रेट हूं और मेरा कुत्ता सोशलिस्ट है, यह खाता बहुत है, काम कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है और भौंकता है। मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि जनता इसी प्रकार का विचार यहां की सोशलिस्ट पार्टी और विरोधी पक्ष के सम्बन्ध में न बना ले। प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने कहा है कि यह जनतंत्र पद्धति एक वरदान है लेकिन मुझे अफसोस है कि वह हमारे यहां अभिशाप बनता जा रहा है। विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं, वह समझकर कहते हैं। वह जानते हैं कि सरकार के द्वारा बहुत सा विकास हुआ है। बहुत से विकास के कार्य हुए हैं जिनके द्वारा स्तर ऊंचा उठा है। लेकिन वह जानते हुए भी विरोध करते हैं। इस संबंध में मुझे महाभारत का एक श्लोक याद आ रहा है। जब भगवान् श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास समझाने के लिये गये कि महाभारत नहीं होना चाहिए। उस वक्त बहुत समझाया और जब दुर्योधन नहीं माना तो भगवान् कृष्ण ने धर्म के संबंध में उपदेश देना शुरू किया। धर्म का नाम दुर्योधन ने सुना और कहा:--

"जानामि धर्मं न च में प्रवृत्तिः।
जानाम्यधर्मं न च में निवृत्तिः।
केनापि सत्वेन हृदि स्थितेन।
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोति।"

अर्थात् मैं धर्म जानता हूं उस पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म भी जानता हूं मैं उससे निवृत्त भी नहीं हूं। जानते सब लोग हैं कि देश का बड़ा विकास हो रहा है जो दिशा कांग्रेस सरकार ने दी है वह स्तुत्य है। इसके बावजूद भी आप विरोध करने के लिये विरोध करते हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी आप कहें वह ऐसी समालोचना होनी चाहिए जिससे हमारे देश और प्रदेश का कल्याण हो।

मान्यवर, यह जो आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, उनके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन की जो मर्यादा है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। जो मर्यादा है उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ग्लैडस्टोन ने कहा है, मैं आपकी आज्ञा से उसे निवेदन कर देना चाहता हूं:--

"There should be a standard of decency of public conduct which must be enforced if the public life were not to be a curse instead of a blessing to the people concerned."

अर्थात् जनजीवन के गौरव का एक मापदन्ड होना चाहिए जिसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि जन-जीवन अभिशाप न होकर वरदान बन जाय। मैं यही चाहता हूं कि जो भी जन-जीवन हमारे यहां परिचालित हो रहा है उसमें ऐसा विषाक्त वातावरण न उपस्थित किया जाय जो मर्यादा से ज्यादा हो। मैं अन्त में केवल एक अमेरिकन पोयट, जो एक बहुत बड़ा पोयट रह चुका है, उसकी कविता जो कि अमेरिकन इंडिपेन्डेन्स के अवसर पर लिखी है, उसको कह देना चाहता हूं:--

"A time like this demands great hearts, strong minds, true faith and willing hands,
Men whom the lust of office will not buy,
Men whom the spoils of power will not kill,

Men who have opinions and a will,
Men who will not lie,
Their large professions and little deeds wrangle in selfish strife."

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद का स्तर जहां और जिधर चला गया है, उसको देखते हुए मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रति अपने कारणों का उल्लेख करने से पहले मैं कुछ प्रारम्भिक स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं । मैं निर्बल राजनीति या लोकनीति में आदर्श और सिद्धान्त के तौर पर विश्वास करता हूं । लेकिन व्यावहारिक राजनीति में, जब तक जनतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है तब तक, सबल विरोधी दल की आवश्यकता को भी मैं मानता हूं । लेकिन, मैं यह भी नहीं मानता कि सत्ताधारी दल और विरोधी दल में आपस में कोई शत्रुता है । मैं तो ऐसा मानता हूं कि जनतंत्र के लिये दोनों की समान आवश्यकता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । मैं यह भी मानता हूं कि सत्ताधारी दल और विरोधी दल का यह परम पावन कर्त्तव्य है कि वे दोनों ही सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के स्तर को ऊंचा करें, और दोनों में जनता की सेवा और भलाई के काम करने की होड़ हो । लेकिन मुझे दुख है कि हम अपने इस कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं । माननीय विरोधी दल के नेता के भाषण की आलोचना करते हुए माननीय लक्ष्मीनारायण आचार्य जी ने सबसे पहले यह कहा कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें कहीं उनसे यह नहीं मालूम होता कि इस समय यह अविश्वास का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इस सम्बन्ध में केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि जब तक आप विरोधी दल का आदर नहीं करते, उसकी आलोचनाओं की उपेक्षा करते हैं और उसके बताये हुये सुझावों को मानते नहीं तब तक कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना यह है कि जहां विरोधी दल का यह कर्त्तव्य है कि वह बहुमत की बात को माने वहां बहुमत का भी यह कर्त्तव्य है कि विरोधी दल का आदर करे, उसके सुझावों और आलोचनाओं का आदर करे । और केरल मंत्रि-मंडल के विरुद्ध जो जन आन्दोलन हुआ उसको न्याययुक्त ठहराते हुए यह कहा कि अगर बहुमत विरोधी दल की बातों का आदर नहीं करता है तो विरोधी दल के लिये सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध जन-आन्दोलन करना आवश्यक हो जाता है । मैं आचार्य जी से इतना ही कहूंगा कि अगर हम इस बात को जानते हुए कि हमारे सुझावों और आलोचनाओं का कोई आदर नहीं किया जाता है जनआन्दोलन करने के बजाय, अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं तो क्या बुरा करते हैं ? क्या लक्ष्मीरमण आचार्य जी यह चाहते हैं कि हम केरल की तरह से अविश्वास का प्रस्ताव न ला कर के यहां के मंत्रि-मंडल के विरुद्ध जनआन्दोलन वैसा ही प्रारम्भ करें जैसा केरल में किया गया था ? मैं समझता हूं आचार्य जी इस तरह की बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे ।

श्रीमन, यह बात लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने कही थी, अभी माननीय अमरेशचन्द्र पांडेय जी ने भी कही कि माननीय नेता विरोधी दल के भाषण में वही बातें आयीं जो बजट के समय कही गई थीं और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के समय कही गई थीं या और समय पर भी कही गई थीं । तो मैं उनसे इन बातों के सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहता हूं चाहे बजट के समय हो, चाहे अभिभाषण के समय हो और चाहे और अवसरों पर हो जब तक कि उस सम्बन्ध में बतायी हुई कमियों को दूर नहीं किया जाता तब तक उनको बार-बार कहना हमारे लिये आवश्यक और कर्त्तव्य हो जाता है । मैं मानता हूं और मेरा खयाल है आचार्य जी इस बात को मानेंगे, मुझे दुख है कि वे इस समय यहां नहीं हैं, कि पुनरावृत्ति, रिपीटीशन साहित्य में दोष है लेकिन प्रचार शास्त्र और पत्रकारिता में वह दोष नहीं है । प्रचार शास्त्र और पत्रकारिता का वह एक आवश्यक अंग है । अंग्रेजी में कहावत है "रिपीटीशन इज़ दी सोल आफ़ जर्नलिज्म" । इसीलिये इन बातों को बार-बार

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कहा जाता है और वे जब तक दूर नहीं होतीं तब तक हम ऐसा करके कोई बुरा कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि वह कार्य करते हैं जो आवश्यक है, और अनिवार्यतः आवश्यक है। माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने जिस समय यह कहा कि माननीय नेता विरोधी दल ने दूर तक नहीं देखा उस समय मुझे वह कहावत याद आयी कि "अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी।" लेकिन मैं अपने स्वभाव के अनुसार इस कहावत को नहीं कहना चाहता लेकिन यह जरूर कहूंगा आचार्य जी बहुत दूर की कौड़ी लाये, (व्यवधान)

उन घटनाओं पर मैं नहीं जाता। मैं व्यक्तियों की आलोचना करने के पक्ष में नहीं हूं। मान्यवर, मैं नीतियों और कृतियों की आलोचना करता हूं और उसी आलोचना तक अपने को सीमित रखूंगा। इसलिये जो व्यक्तिगत वाद-विवाद यहां प्रारम्भ हो गया उस पर मुझे दुख है, मैं उसमें कोई भाग नहीं लूंगा। आचार्य जी ने यह भी कहा कि सेपरेशन आफ जुडिशियरी और ऐग्जीक्यूटिव तो बहुत पुरानी बात है। यह तो बहुत पुरानी बात है, अब क्या नई बात है जो अविश्वास के प्रस्ताव में इसका जिक्र किया गया। मैं लक्ष्मीरमण आचार्य और सदन के माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज ही विधान सभा में जो प्रश्न किये गये थे उनमें प्रश्न संख्या २९ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के उन कृत्यों के बारे में था जिनके सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है और प्रश्न संख्या ३७ के सम्बन्ध में हाई कोर्ट के जजों ने यह लिखा है--

"The Magistrate seems to be of the opinion that if Police Officers or men misbehave and act in an illegal and high handed manner and deprive the citizens of their liberty, they have no right to protest."

अर्थात् मैजिस्ट्रेट यह समझता है कि पुलिस वाले किसी के साथ ज्यादती करें और उसकी स्वाधीनता का अपहरण कर ले तब भी उस व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार नहीं है। आगे इसी में लिखा है--

"One cannot help feeling that in cases when Police Officers or men are accused of an offence most of the Magistrates are incompetent to function in judicial manner."

यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का यह वर्डिक्ट है कि जब पुलिस वालों का मामला आता है तो अधिकांश मैजिस्ट्रेट न्याय के ढंग से काम नहीं कर पाते। आज ही सदन में इन बातों का उद्घाटन किया गया और आगे भी आप देखेंगे कि मैंने भी २-३ ऐसे ही प्रश्न कर रखे हैं, वे प्रश्न आने वाले हैं उनका उत्तर भी आने वाला है जैसा आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था ये आइसोलेटेड केसेज नहीं है, जनरल हैं। हाई कोर्ट के जजों द्वारा पुलिस और मैजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में इस तरह का जजमेंट अकेला नहीं है, इस तरह का जजमेंट महीने में कम से कम एक बार हुआ करता है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि रिमार्क जनरल हो लेकिन मैजिस्ट्रेटों द्वारा इस तरह का अन्याय जनरल है, एक आइसोलेटेड केस नहीं है। जब इस तरह की कार्यवाहियां की जायं और मैजिस्ट्रेटों द्वारा जनता की स्वाधीनता का अपहरण किया जा रहा हो और पुलिस द्वारा ज्यादती की जा रही हो और फिर भी जनता को न्यायालयों में न्याय न मिल सके तब यह कहा जाय कि सेपरेशन आफ जुडिशियरी एंड एक्जिक्यूटिव आवश्यक है तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह बात अनावश्यक कैसे हो गयी।

एक बात और कही माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने। उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता ने खाद्यान्नों के भावों के सम्बन्ध में कहा कि हमने १४ से लेकर १६ रुपये तक उनके भाव नियत कर रखे हैं, अगर उन्हें बढ़ावें तो उससे जनता को जो कष्ट होगा मेरा इस सम्बन्ध में अपना विचार यह है कि मैं भी यह नहीं चाहता और मैं लक्ष्मीरमण जी आचार्य से सहमत हूं कि खाद्यान्नों का भाव इतना न बढ़ने पाये कि उसके कारण कास्ट आफ लिविंग जनता की शक्ति से बाहर हो जाय और उसको हानि पहुंचे। लेकिन यह बात मैं जरूर कह सकता हूं जो

सरकार की ओर से दिये गये आंकड़ों पर ही आधारित है और वह यह जैसा कि मेरे प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन में कुछ महीने पहले कहा कि प्रतिमन गेहूं की पैदावार का खर्चा १४ रुपये और कुछ नये पैसे होता है तो मैं लक्ष्मीरमण आचार्य से, मंत्री परिषद् से यह पूछना चाहता हूं कि काश्तकारों को उनका जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है उससे कम मूल्य उनको देना क्या उचित है ? यह क्या अनुचित नहीं है कि महंगाई के नाम पर जब कपड़े की महंगाई को दूर करने की बात आती है, मिट्टी का तेल व शक्कर की महंगाई को दूर करने की बात आती है तो मंहगाई का खयाल नहीं किया जाता है और उनके मूल्यों को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब उनके मूल्य को बढ़ाने की बात आती है और केवल इतना बढ़ाने की बात आती है कि पैदावार में जितना खर्च होता है कम से कम उतना तो किसानों को मिल ही जाय, अगर मुनाफा न मिले तब कैसे कह सकते हैं माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य कि यह अनुचित है ? और इसके आधार पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य और सरकार यह चाहती है कि वह उत्पादन की वेदी पर उत्पादकों की बलि दे दें ? उत्पादन तो बढ़ा लिया जाय लेकिन उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की परवाह न की जाय। यह तो ऐसा ही होगा कि सोने के अंडे एकदम हासिल करने के लिये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की ही हत्या कर दी जाय। और मैं आपसे कहता हूं कि उत्पादन आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आप उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, कम से कम उनकी पैदावार का खर्च तो मिल ही जाय। इन सब बातों को ध्यान में रख कर मैं यह समझता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता की जो आलोचना की गयी वह उचित नहीं थी।

एक बात मैं और अपनी ओर से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं किन कारणों से अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। जैसा मैं पहल बता चुका हूं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन मैं इसलिये नहीं कर रहा कि मुझे मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से शिकायत है, विरोध है या शत्रुता है। सही बात यह है कि अधिकांश, असल में कैबिनेट रैंक के जितने मिनिस्टर हैं वे तो सभी ऐसे हैं जो मेरे मित्र और साथी रह चुके हैं इसलिये व्यक्तिगत द्वेष की बात नहीं हो सकती। आम तौर पर जो एक आक्षेप किया जाता है कि जिनके पास सत्ता नहीं है वे सत्ता प्राप्त करने के लिये विरोधी दल बनाते हैं या आलोचना करते हैं उस सम्बन्ध में भी मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं और मरा विश्वास है कि शायद मंत्रि-परिषद् के सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर मुझे सत्ता में पहुंचना होता तो उसके लिये आसान मार्ग यह था कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाता और कांग्रेस के जिन प्रभुओं के हाथ में सत्ता देना है उनको प्रसन्न करके सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता। मुझे आशा है कि कांग्रेस के प्रभु मंत्रि-परिषद् में मुझे छोटी-मोटी जगह तो दे ही देते। तो सत्ता प्राप्त करने का मार्ग तो मेरे लिये कांग्रेस में शामिल होना था। सत्ता प्राप्त करने के लिये मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, जन-हित में कर रहा हूं और मंत्रि-परिषद् से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि क्या केरल के मंत्रिमंडल के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह नहीं था कि उन्होंन अपन सरकारी पद का दुरुपयोग किया अपनी पार्टी मजबूत करने के लिये ? इस आरोप को बार-बार दोहराया गया, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दोहराया, ढेबर साहब ने दोहराया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोहराया। तो यह आरोप जब इतना गम्भीर है कि जिसके कारण केरल के मंत्रिमंडल के विरुद्ध जन आन्दोलन हो सकता है और सेन्ट्रल इंटरवेन्शन हो सकता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह आरोप किसी मंत्रिमंडल के के बारे में सही हो तो उस मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना किस प्रकार अनुचित होगा। इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते कि हमारे प्रदेश में भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये मंत्री के पद का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। मैं आपसे यह कह दूं कि मैं जब कोई बात कहता हूं तो किसी व्यक्ति की निन्दा करने का मेरा ध्येय नहीं होता लेकिन अगर मंत्रि-परिषद् के सदस्य चाहेंगे और प्राइवेटली मुझे कहेंगे तो मैं जो बात कह रहा हूं उसके हर एक स्पेसिफिक इंस्टैंसेज लिख कर भेज दूंगा। वैसे मैं आमतौर पर यह कह दूं कि मंत्रि-परिषद् को जहां जहां नामजद करने का अधिकार होता है सदस्यों को, चाहे किसी कालेज के ट्रस्टीज के लिये हो, चाहे किसी विश्वविद्यालय के सिनेट आदि के लिये हो तो क्या शुद्ध पार्टी और

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

केवल पार्टी के आधार पर ही वह नियुक्तियां नहीं होतीं ? क्या यह बात सही नहीं है कि कोयले के डिपो और सस्ते गल्ले की दुकानों के लिये लाइसेन्स देते वक्त पार्टी के लोगों का खयाल किया जाता है ? वह कहावत पूरी की जाती है कि जब एक प्रकार का व्यक्ति रेवड़ी बांटता है तो बार-बार लौटकर अपने घरवालों को ही देता है मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा नहीं होता है ? क्या यह सही नहीं है कि अभी गोरखपुर में देखिये कितनी उपेक्षा की जाती है, न केवल विरोधी दल के एम० एल० एज० के साथ लेकिन सभी दल के सदस्यों के साथ और उसमें कांग्रेस के सदस्य भी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह गलत है ? अगर गलत है तो वह बता दें कि गलत है। खाद्य परामर्शदात्री समिति में जिस तरह से अनुचित कार्यवाही होती थी उसके विरोध में जितने विधायक हैं, उनमें कांग्रेस के भी विधायक शामिल हैं, सभी ने उससे इस्तीफा दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सब क्या हो रहा है ?

मेरा कहना यह है और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं, किसी का नाम नहीं लेता । मैंने एक महाशय को कुछ रुपये उधार देने की गलती की और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रौमिजरी नोटों में केवल एक ही साक्ष्य होती है । जब मुकद्दमा दायर कर दिया गया तो उस साक्ष्य को कोयले का परमिट दे दिया गया और उसने यह बात कही कि उसे रुपया नहीं दिया गया है । अदालत ने प्रमाण इसलिए ढूंढ लिया कि उसने जो साक्ष्य दी थी उसमें उसने कहा था कि यह प्रामिजरी नोट कहीं और लिखा गया और दस्तखत दूसरी कलम से कराये गये । लेकिन अदालत ने बताया कि एक ही कलम से नोट लिखा गया है और जिस कलम से लिखा गया है उसी से दस्तखत भी कराये गये हैं । इसलिये आपका कहना गलत है । ईश्वर की कृपा से उनकी बुद्धि कुछ उल्टी हो गई थी जो उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था कि मुझे कोयले का डिपो दे दिया गया है और मुझसे कहा जा रहा है कि या तो तुम अपने रुपये से काम चलाओ वरना लाइसेंस छीन लिया जायगा और सब लोगों को तो अधिकार दे दिया जाता है लेकिन मुझ पर दबाव डाला जाता है । इसलिये आप दो हजार रुपये भेज दीजिये नहीं तो मुझे विवश होकर अनुचित कार्य करना पड़ेगा । ईश्वर की कृपा से मेरे पास वह पत्र था । मैंने उसे अदालत में पेश कर दिया । उनसे पूछा गया कि आपको कोयले का परमिट मिला, उनसे पूछा गया कि आपने इनसे रुपया मांगा तो उन्होंने कहा कि नहीं । इस पोस्टकार्ड के पेश करने पर उनकी साक्ष्य झूठी साबित हुई । इस तरह झूठे गवाह बनाने के लिये कोयले के परमिट दिये जाते हैं । यह पद का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है ? जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं नाम नहीं लेता हूं बल्कि मैं वर्तमान मिनिस्ट्री के साथ न्याय करने के लिये कहना चाहता हूं कि उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया । यह किसी दूसरे आदमी की बात है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध इसलिये अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हैं बल्कि यह तो पुरानी यहां की परम्परा रही है कि अपने पद का दुरुपयोग अपनी विरोधी पार्टी के विरुद्ध करें । इसलिये मैंने इसको उपस्थित कर दिया और केवल एक ही प्रमाण दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कारण और भी है कि अधिकारियों पर, मैं क्योंकि नौकरशाही का शब्द हमारे मुख्य मंत्री जी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिये उनका दिल नहीं दुखाना चाहता हूं और मैं उनको अधिकारी वर्ग कहे देता हूं कि उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा कि मैंने पहले सेशन में भी कहा था उसी को फिर से दुहरा रहा हूं कि आज हमारे प्रदेश की जनता में यह एक आम धारणा है कि यहां का शासन मुख्य मंत्री का नहीं है बल्कि मुख्य सचिव का है। अधिकारी परम स्वतंत्र है और सांप के काटने का तो इलाज है लेकिन अधिकारियों के काटने का कोई इलाज नहीं है । मुझे व्यक्तिगत रूप से निजी ज्ञान और अनुभव के आधार पर मालूम है। तीन-चार साल हो गये और जिस विभाग से सम्बन्धित है उसके उच्च से उच्च अधिकारी ईमानदारी से जिस व्यक्ति की प्रार्थना है उसके साथ न्याय करना चाहते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन फिर भी विभाग के कुछ कर्मचारी ऐसे

हैं जिन्होंने यह कहा कि दो हजार रुपया दे दो तो तीन दिन में तुम्हारा काम हो जायगा । यह तो आप सेक्रेटरियों और डाइरेक्टरों की बात करते हैं मंत्रियों से भी कहलवा दें तब भी तीन साल तक काम नहीं होने देंगे । यह इस बात का सबूत है कि सरकार का अधिकारियों पर नियन्त्रण नहीं है और इस हद तक नहीं कि विभागीय अध्यक्ष, सेक्रेटरी भी अगर आप की मदद करना चाहे वह यह समझे कि आप का केस सही है तब भी वर्षों हो जायंगें और क्लार्क कहेंगे कि इतना रुपया दे दो तो तीन दिन में करा दें नहीं तो तीन वर्ष तक नहीं करा सकते । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अविश्वास का पर्याप्त कारण नहीं है, क्या इसस अधिक कारणों की आवश्यकता है ।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मैं जो बात कह रहा हूं वह मंत्री-परिषद के सदस्य भी स्वीकार करेंगें । मैं जो बात कह रहा हूं वह राजनीतिक आचार्यों के मत के आधार पर कह रहा हूं । किसी भी पार्टी का अधिक दिनों तक सत्ता में रहना जनतन्त्र के लिए हितकर नहीं है । उस पार्टी के लिये भी हितकर नहीं है, जनता के लिए भी हितकर नहीं है । अधिक दिनों तक सत्ता में रहने के कारणपार्टी के सदस्यों में पद लोलुपता बढ़ जाती है । इस का परिणाम यह होता है कि पार्टी की प्रादेशिक कमेटियों में, मंत्रिमंडल में और धारा सभायी पार्टी में भी फूट पैदा हो जाती है । वह फूट है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता । आज के ही समाचार-पत्र में प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ मंत्री-परिषद के किसी सदस्य ने क्या शिकायत की है उसका वर्णन छपा हुआ है ।

(व्यवधान)

मेरा स्वाभाव नहीं है किसी का नाम लेने का, बदनाम करने का । मैं बुरे की निन्दा नहीं करता मैं बुराई की आलोचना करता हूं । इसलिये मैं किसी का नाम नहीं लेता । केवल यह कहना चाहता हूं कि यह बुराइयां हैं । मैं मंत्रि-परिषद के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें कि यह बुराइयां क्यों हैं । इनके होते हुए आप का पद पर रहना कहां तक ठीक है । बेकारी बढ़ रही है । यह गुलजारीलाल नन्दा ने कहा है । तरक्की उल्टे रास्ते पर हो रही है । यह मैं मानता हूं पांडेय जी ने कहा कि अच्छे काम किये हैं उसका श्रेय मिलना चाहिए । लेकिन इस तरह की दलील बहुत पुरानी हो गयी । ब्रिटिश सरकार भी यही कहा करती थी कि हमने नहरें बनवा दीं, रेलें निकाल दीं, डाकखाने कायम कर दिये । बताइये हमने इतना काम किया इसलिये हमें शासन करने का अधिकार है । यह दलीलें आज काफी नहीं है आज आपको यह साबित करना है कि जितने साधन और धन आपके पास हैं उनको देखते हुए जितना काम आप कर सकते थे उतना काम आपने किया है या नहीं किया ? अगर उसमें कमी रह गयी है तो जितना आपने काम किया है उसके लिए धन्यबाद देते हुए जितना काम बाकी रह गया है उसके लिए हम आपकी निन्दा और आलोचना करेंगे और आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे ।

उद्योग उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--उपाध्यक्ष जी, माननीय पालीवाल जी के बाद बोलने की उत्सुकता थी, वह मौका मुझे मिला । आपका अनुगृहीत हूं । प्रदेश भर की जनता की निगाह बरबस आज इस सदन की तरफ होगी । इसलिये नहीं कि प्रदेश की जनता के दिल में कहीं यह एहसास है किसी के कुछ करने से भी कोई घपला होने वाला है इस सरकार के सम्बन्ध में--कोई गिरने वाली है यह सरकार इस प्रस्ताव पर, बल्कि इसलिये कि प्रदेश भर की जनता उम्मीद करती रही होगी मान्यवर, कि उधर के बैठे हुये माननीय सदस्य जनता को कोई ऐसी बात बतायेंगे सरकार के सिलसिले में ताकि उनकी बताई हुई उन बातों को याद रखकर अगले वक्त में जब कभी सरकार के बदलने का मौका उस जनता को मिले तो वह उन बातों को दिल में रखकर आगे बढ़ कर कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करे । किसी भी प्रजातंत्र में ऐसे जो मौके होते हैं वह जब तक इस तरह की बातों और लक्ष्यों को पूरा नहीं करते तब तक मैं समझता हूं कि उन मौकों को हाथ में लेना, अधिकार होने के बावजूद भी, आवश्यक नहीं होता और यदि ऐसे मौकों से यह लाभ जनता को, अवाम को या माननीय सदन के सदस्यों को न मिले तो मैं समझता हूं कि वैसे मौके में इस सदन को उलझाना

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

प्रदेश की गरीब जनता के उस पैसे के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। इसको करने की आवश्यकता ही क्यों हो। वैधानिक दृष्टि से किसी माननीय सदस्य के इस हक पर कि वह कब, कैसे किस वक्त यह प्रस्ताव लाये उसको मैं चैलेंज नहीं करता हूं। लेकिन कल इस प्रदेश की सारी जनता स्तब्ध रहेगी, आज एक के बाद दूसरे भाषण जो इस सदन में हुये हैं उनको अखबारों में पढ़कर क्योंकि वह समझ न सकेगी कि क्यों वह इस प्रस्ताव को लाये हैं ।

यह अविश्वास का प्रस्ताव, मान्यवर, सरकार की नीति रीति के प्रश्न से सम्बन्धित होता तो मुझे स्वीकार होती उसकी आवश्यकता। लेकिन मुझे अफसोस है कि जितने भी भाषण अभी तक हुये हैं उनमें किसी में भी हमारी किसी बुनियादी नीति की, चाहे वह हमारी कृषि की नीति के सम्बन्ध में हो, चाहे हमारे उद्योग नीति के सम्बन्ध में हो, चाहे व्यवसाय के सम्बन्ध में हो, चाहे हमारे समाज के नव निर्माण की कल्पना के सम्बन्ध में हो, कोई बुनियादी बात, कोई ऐसी दृष्टि इस प्रदेश की ज़नता को मिलने वाली नहीं है जो कि अब तक उस तरफ से किये गये क्योंकि जैसा मैं अभी कह रहा था, हमारे जैसे लोगों के हृदय में भी आशा थी कि हमको भी कुछ ऐसा रास्ता मिलेगा, हमें भी कुछ अपनी त्रुटियां और कमियां देखने को मिलेंगी जिनको परिमार्जित और परिष्कृत करने की हम कोशिश करेंगे । लेकिन मुझे खेद है कि हमें वह लाभ न हो पाया और न कोई आशा है कि आइन्दा भी कुछ लाभ होने वाला है ।

मान्यवर, एक बात कही गई, यह कहा गया कि यह सरकार पुलिस राज्य चला रही है और पुलिस के जरिये सारे काम करना चाहती है । अगर मैं यह कहूं कि विरोधी दलों ने क्रियेट करने की कोशिश की है पुलिस फोबिया, तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी । माननीय त्रिलोकीसिंह जी जब भाषण दे रहे थे, जनता और पुलिस के सम्बन्धों के ऊपर बड़ी-बड़ी पुस्तकों और बड़े-बड़े अधिकृत लोगों के प्रवचनों से इस सदन को अनुगृहीत कर रहे थे तो मुझे बरबस एक बात सूझी और वह यह थी कि क्या कभी माननीय त्रिलोकीसिंह ने यह भी कोशिश की कि जिस लन्दन या इंग्लैंड की चर्चा उन्होंने की उसमें एक जगह है हाइड पार्क, उसकी तरफ भी उनका ध्यान गया या नहीं । अब वह शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन वहां गैर मामूली आजादी है कुछ भी कहने की । एक जगह बना दी गई है लन्दन में जिसे हाइड पार्क कहते हैं, उसके एक कोने में एक स्थान निश्चित है, वहां खड़े होकर जो भी कोई कुछ कहना चाहे, चिल्ला-चिल्ला कर कह सकता है। वहां की पब्लिक जो उसे सुनना चाहे जाकर सुन सकती है। लेकिन हमारे प्रदेश में, और मैं इसका लांछन उन सभी राजनीतिक दलों पर लगाना चाहता हूं जो कि विरोध के लिये विरोध करते हैं, जो कि हमारे प्रदेश के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार की उच्छृंखल बातें पैदा करने के लिये जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से कि पुलिस को अनावश्यक दखल देना पड़ता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने कि इस प्रदेश के कोने-कोने को, गांव-गांव को, डगर-डगर को हाइड पार्क बनाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि यह सारी बातें न हों और पुलिस वाले अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकें तो उस गैरमामूली आजादी को हाथ में लेकर जगह-जगह हाइड पार्क बनाने वाले उस राजनीतिक दलों को समझाइये जो कि शक्ति के भूखे हैं उपासक हैं।

मैं मान्यवर, यह स्वीकार करता हूं और अनुगृहीत हूं पालीवाल जी का, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन्होंने ठीक कहा है कि सरकार में वह रहे और अगर शक्ति के उपासक होते तो सरकार में रहते लेकिन महज इधर से उधर जाना भी इस बात का सबूत नहीं है कि शक्ति से उनको नफरत है और बिना शक्ति का अर्जन किये वह काम करना चाहते हैं । लेकिन शक्ति के उपार्जन करने का माध्यम क्या हो और वह एक आवश्यक बात है ।

हमारे सामने एक मामला है केराला का। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन झारखंडेराय जी को छोड़कर सब दल के भाई अपने-अपने दिलों को तोलें, देखें और समझें कि केराला में जो कुछ हुआ उसकी बाबत उनकी अपनी क्या राय है । हम इस देश में जिस आबोहवा को पैदा करना चाहते हैं उस आबोहवा में हम कहां तक इस आबोहवा को बरदाश्त कर सकते हैं जो कि पैदा करनें की कोशिश की जा रही है । इस बात को जानने की आवश्यकता है । हम रोज इस बात की आबोहवा पैदा करें कि यह सरकार निकम्मी है और उसके लिये

कमियों को पूरा करने के लिये कोई कदम न उठाया जाय तो यह कहां तक उचित है यह सोचने की बात है। अभी आज इस सदन में उधर के सदस्य ने इधर के एक सदस्य के विरुद्ध नाना प्रकार की बातें कहीं। मैं नहीं कहता कि वह कहां तक सच है। लेकिन अगर किसी सदस्य के ऊपर लांछन लगे और फिर इधर से भी किसी उधर के सदस्य के ऊपर लांछन लगे और इसी तरह से इधर से और उधर से यह लांछन की धारा बढ़ती चली जाय तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। प्रदेश के भीतर इस जनतंत्र से और प्रजातंत्र से जनता का विश्वास उठेगा। यदि प्रजातंत्र के ऊपर से जनता का विश्वास उठे तो मैं यह समझता हूं कि इस देश के लिये वह बड़ी दयनीय स्थिति होगी।

हमारे सामने चर्चा की गयी कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने की बड़ी कोशिश की। मैं मान्यवर, पालीवाल जी को साक्षी देकर कहूंगा कि उन्होंने ऊपर के लोगों के सम्बन्ध में यह कहा कि उनको ऊपर के लोग यानी मंत्रि-परिषद् के लोगों से तो शिकायत नहीं है लेकिन जो यहां के बड़े कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे उनको शिकायत है। यह ठीक बात है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और पालीवाल जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र के यंत्र को लेकर शासन करने की पद्धति के कुछ अपने निश्चित नियम हैं। उन नियमों को समझने की बात है। क्या यह मुमकिन हो सकता है कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री या राज्यपाल या मंत्रि-परिषद् ही सूबे का सारा काम करें? क्या यह माना जा सकता है कि सारी ईमानदारी का ठेका हमारे ही ऊपर है जो मंत्रि-परिषद् के लोग हैं और शेष सारे बेईमान यहां पर काम करते हैं? क्या हम यह मानने के लिये तैयार हैं कि देश प्रेम का ठेका हमने ही ले लिया है जो यहां पर असेम्बली में आये हैं और प्रदेश के अन्दर जो अन्य लोग हैं वह देश प्रेम से प्रेरित नहीं हैं? मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं और मैं इस बात को स्वीकार करने में लाचार हूं। देश की मर्यादा और उसकी सारी बातों के हम यहां पर प्रतीक हैं और साथ ही जो कमजोरियां हैं उसके भी प्रतीक हैं और उनकी इच्छाओं के प्रतीक हैं। हमारे अन्दर यदि देश प्रेम है तो कमजोरियां भी है। इसलिये याद रखें कि जब कर्मचारियों के विषय में बातें करें तो यह सोचें कि हम सब एक ही तने की शाखे हैं, जिसमें कुछ शाख बढ़िया हैं और कुछ शाख खराब है लेकिन उनकी जड़ एक ही है जहां से सब को जीवन मिलता है। यह बात सही है कि मंत्री परिषद् का नीति रीति को निर्धारित करने से सम्बन्ध है और उस रीति नीति को निर्धारित करने के बाद उसको कामयाब बनाने का काम कर्मचारियों पर आता है। मंत्री तो इसी रीति नीति को सोचते हैं कि प्रदेश के लिये कौन सी बात हितकर होगी और कौन सी अहितकर होगीं। इसके कार्यान्वित करने में हमारे कर्मचारी बहुत बड़े हिस्सेदार होते हैं। मुझे खुशी है कि इस रीति नीति को निर्धारित करने में हमारे मुख्य मंत्री का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनका एक तरीका है। जो काम सर्विसेज का है और हमारे यंत्र का है जिसके द्वारा हम नीति रीति को कार्यान्वित कराना चाहते हैं उसके साथ रोज-रोज की छेड़खानी की जाय तो उससे हम प्रजातंत्र को सफल नहीं बना सकते और प्रजातंत्र की मर्यादा को हम ऊपर भी नहीं उठा सकते चाहे यह बात पालीवाल जी को बेजा ही लगे। हम उस वक्त तक कुछ कहना नहीं चाहते जब तक कि हमारी नीति रीति का उनकी तरफ से कोई खंडन न किया जाय या उनका उसके विरुद्ध जाने में कोई हाथ न हो। यदि कहीं ऐसा होता है तो उसके लिये जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने अक्सर कहा है हम सख्त कार्यवाही भी करेंगे—चाहे हमारे मजिस्ट्रेट ही इस तरह की कार्यवाही करते हों। क्या उस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट का किसी पार्टी से विशेष सम्बन्ध है? क्या वह मैजिस्ट्रेट किसी पार्टी विशेष से ही प्रभावित हुआ करता है? बात यह है कि उस मैजिस्ट्रेट ने भी हमारे देश के किसी शिक्षालय में शिक्षा पाई होगी और वह भी देश की कमजोरी अपने साथ लाया होगा। धीरे-धीरे यदि किसी अधिक कमजोरियों का आभास हुआ तो जिन कमजोरियों की तरफ हम रोज निगाह डालकर देख रहे हैं उसको दूर करनें के लिये हम एक रास्ते से चल रहे हैं और हलके-हलके अपने उस रास्ते पर चलते हुये आगे बढ़ना चाहते हैं, कमजोरियों को दूर करते हुये। लेकिन रफ्ते-रफ्ते चलते हुये यदि उस प्रजातंत्र के रास्ते से भटक जायं और कहने लगे कि हम सब खराब हैं और सब कर्मचारी खराब हैं तो मान्यवर, मैं निश्चय ही यह कह सकता हूं कि जब कभी कोई उधर की पार्टी यहां पर बैठने वाली होगी उसको भी इसी तरह की भावना का मुकाबला करना पड़ेगा जिसके लिये आज हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता है। जैसे कि

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

एक कहावत है, हम दूसरों से वही व्यवहार करें जो कि हम दूसरों से अपने लिये चाहते हैं । हम अगर चाहते हैं कि हमारे साथ शिष्टाचार का व्यवहार हो फिर उसी तरह का व्यवहार दूसरों के साथ होना भी आवश्यक है । मैं चाहता हूं कि हमारी मर्यादाओं की सुरक्षा हो । जो सदन के सदस्यों की मर्यादा है, जो कर्त्तव्य है उनका वे पालन करें । यदि उसके बीच में कोई अधिकारी आते हैं तो हम ब्रीच आफ प्रिविलेज लाते हैं तो ठीक इसी प्रकार से जो यहां तय की हुई नीतियों पर काम चलाते हैं उनकी इच्छाओं और अधिकारों के बीच में जाने की चेष्टा करना ऐसा है कि जिससे आपस में भेद पड़ेगा--उस नीति को जारी करने वालों और लागू करने वालों में भेद बढ़ेगा और सफलता नहीं मिलेगी । इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार से सारा वातावरण दूषित करना और कलुषित करना मुनासिब न होगा और न होना चाहिये । हां, जो करप्ट हैं उनको अलग से इंगित किया जा सकता है और इस के लिये माननीय सदस्यों को दावत है जो इधर बैठे हैं, या उधर बैठे हैं कि यदि उनको ऐसे अधिकारी दिखायी पड़ें, कि जो यहां तय की हुई नीतियों का खंडन कर रहे हों या कोई गैर मुनासिब बात कर रहे हों तो उनको देखा जा सकता है, रोका जा सकता है । लेकिन रोजमर्रा कोई बात कह कर एक आबोहवा, एक वातावरण पैदा किया जाय जिसमें प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाये यह न तो उचित प्रतीत होता है और न आवश्यक।

एक चीज और कही गयी । हमारे विरोधी दल के लोगों ने कही कि यह तो पुलिस स्टेट है । लेकिन सभी सदस्यों ने मान्यवर, चाहे श्री राजनारायण हों अथवा श्री त्रिलोकीसिंह या पालीवाल जी रहे हों, उन सब ने यह कहने में संकोच नहीं किया, और मैं अनुगृहीत हूं सबका कि हमारी जुडिशियरी के आखिरी फैसले जो उनको मिलें, कि उन सब पर उनका विश्वास है । एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन की बात उठाना और आज जुडिशियरी के फैसलों को सामने लाना वे चाहे हाईकोर्ट के हों अथवा किसी छोटी जगह के, ठीक है, और संविधान के अनुसार हमारा कर्त्तव्य है उनका सेपरेशन करना । प्रदेश और देश में जुडिशियरी ने जो परम्परा स्थापित की है वह एक बड़ी शान और संतोष की बात है । ऊपर के लेविल पर सेपरेशन की बात हो चुकी और वह बात अब नीचे आ रही है और शनैः शनैः वह बढ़ती जायगी । अब एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन करना कोई ऐसा प्रश्न नहीं रह गया है कि जिसमें दो रायें हों । सब मानते हैं कि इसको किया जाय । सिर्फ समय और परिस्थिति की आवश्यकता है और जब हल्के-हल्के उस ओर बढ़ा जा रहा है । लेकिन दूसरी चीजें ज्यादा जरूरी हैं । एक बार हमारे राष्ट्रपिता ने यह भी कहा था कि हमारे देशवासी को, जो गरीब है, रोटी में भगवान दीखता है । आज न्याय, प्रजातंत्र, अच्छाई आदि से पहले देश के लोगों को रोटी दीखती है । छोटी-छोटी बातें, कितना अधिकार हो, कैसे न्याय दिया जाय, सदस्यों को बोलने के लिये कितना समय दिया जाय और उसके लिये आपकी रूलिंग हो, सब अपने स्थान पर जरूरी हैं, लेकिन वह सब रोटी का स्थान नहीं ले सकती । इसी तरह पर यह भी एक चीज है कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन हो, लेकिन हम बड़े कामों में लगे हुये हैं ।

देश में गरीबी है, उसे न हटाने के लिये शिकायत की गयी । नन्दा जी कहते हैं कि गरीबी है, लेकिन उनकी एक बात को अलग से ला कर कोट करना, उसे पेश कर देना मेरे खयाल में उचित नहीं है । नन्दा जी ने यह भी कहा था कि देश में जिस तेजी से आदमी बढ़ते जा रहे हैं उस हद तक हम दूसरी चीजों को नहीं बढ़ा पाते और उसी वजह से ८० लाख के बजाय ६५ लाख इम्प्लायड का टार्गेट किया गया । उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश में खाने की तंगी बहुत कारणों से पैदा हुई और उन्होंने, उन सबने हमारे प्लान और योजनाओं को पंगु कर दिया है । इस दृष्टिकोण से, इस पृष्ठभूमि में अगर हम देखने की चेष्टा करें तो दिखायी पड़ेगा कि हमारी चेष्टा के बावजूद हमारा कार्य इतना बढ़ा है, इतना बड़ा कदम उठाया है हमने कि जिसके लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री कहा करते हैं कि हम उस युग में पैदा हुये हैं कि जिसमें करने या मरने का सवाल है, जिसमें सुख और समता के साथ जीवन को निभाने की बात नहीं है । ऐसे प्रेरणा और क्रान्ति के युग में हम पैदा हुये हैं । हमारे ऊपर एक बोझ है, एक

जिम्मा है, एक भरोसा है और उस भरोसे को पूरा करने के लिये हम सचेष्ट हैं और रहेंगे। लेकिन मान्यवर, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपकी आज्ञा से रोज यह कह कर कि सरकार निकम्मी है, यहां पुलिस राज है, यहां भ्रष्टाचार होता है, इस सरकार में काम करने की शक्ति नहीं है, यदि गरीबों के साथ कोई न्याय होता हो तो मान्यवर, मुझे स्वीकार होगा वह सुनना, क्योंकि उस से हमारे लक्ष्यों की पूर्ति होगी, लेकिन मान्यवर, इन सब का एक ही परिणाम होता जा रहा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया हमारे देश में हो रही है प्रजातंत्र के विरोध में उसे सभी माननीय सदस्य जानते हैं और हल्के-हल्के लोगों में एक भावना का उदय हो रहा है और वे प्रजातंत्र की तरफ यह सब समझते हैं चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के कि ऐसी पार्टी का राज्य देखने का सौभाग्य इस देश के एक सूबे केरल को यहां मिला वैसा कभी न मिलेगा। जब कांग्रेस की सरकार कर रही तो जो शेष लोगों ने कहा, जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार रही तो वही शेष लोगों ने उनके बाबत भी कहा और जब कम्युनिस्ट सरकार रही तो बाकी लोगों ने जो उनके बाबत कहा वह हमारे आपके सामने विद्यमान है। उस बात को हम याद रखें। साथ ही यह भी खयाल रखें जो कि इब्राहम लिंकन ने कहा था "कोई भी वादा करने के पहले हम याद रखें कि हम नामुमकिन वादा न कर दें जिसे हम पूरा न कर सकें"। अगर कोई ऐसा करता हैं तो, हालत खराब होगी। अगर विरोधी पार्टियों को यह पूरा यकीन हो गया है कि उन्हें उधर नहीं आना है गवर्नमेन्ट बनाने का मौका ही नहीं आना है इसलिये वह चाहे लोकल बाडी को तोड़ने की बात कहें चाहे डाकू चोरों को जेल से बाहर ले जाने की बात कहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन और आशाएं उनके हृदय में हैं राज्य चलाने की, जिसका कि मुझे बहुत कम भरोसा है तो वह याद रखें कि जो जिम्मेदारियां है और जैसा कि सब का इम्तहान केरल में हो चुका उसको याद रख कर आगे की बात उन्हें भी सोचनी चाहिये। किसानों की तरक्की कीजिये, उत्पादन के यंत्रों को अधिक दीजिये और उनसे फायदा उठाइये, लेकिन अगर जिम्मेदारी आये चीनी बेचने की, सरकार को चलाने की तो याद रखना होगा कि अकेले गन्ने के दाम बढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगी।

हमारे भाई गेंदासिंह जी को गन्ने के दाम बढ़ाने से बड़ा प्यार है। हम भी चाहते हैं कि ज्यादा दाम हो हम नहीं चाहते कि हमारे किसान दुखी हों लेकिन एक तबका समाज के शेष तबकों की कीमत पर सुखी नहीं रह सकता। अगर आप एक तबके को सुखी बनाना चाहते हैं तो समाज के शेष अंगों को भी देखना होगा कि सबके सुख का समन्वय कैसे हो। जो देश का कंज्यूमर है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है यह भी सोचना होगा। मेरे दो एक दोस्त ने कहा कि आज कल मिल मालिक बड़ा फायदा उठाते हैं। चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन नहीं है। चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने नेता आचार्य कृपलानी हों चाहे थ्योरिटिशियन अशोक मेहता हों मैं शेष लोगों की बात करता हूं झारखंडे राय जो की पार्टी को छोड़ कर सबने माना है कि इस देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थान होगा केवल बोलने की नहीं बल्कि कार्य करने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता भी होनी चाहिये। तो फिर व्यक्तिगत उत्साह के लिए मुनाफे की एक जगह है। हां, बेहद मुनाफा हो गलत मुनाफा हो, गलत बाजारों से मुनाफा हो हम उसका मुकाबला करेंगे उसको रोकेंगे। लेकिन यह इतना बड़ा देश जिसमें ३६-४० करोड़ आदमी रहते हैं, इतना बड़ा प्रदेश जिसमें सवा छै करोड़ आदमी रहते हैं उन सबका इन्तजाम करना उनकी जरूरतों को कंट्रोल करके उन तक सब चीजें पहुंचना इसके लिए बड़ी-बड़ी शक्ति आ जाय लेकिन प्रजातंत्र के रास्ते से अगर इस समस्या का हल करना चाहे तो वह सम्भव नहीं है। केवल एक रास्ता है एकतंत्रवाद का। मुझे भूख पंसद है, गरीबी पसन्द है, मुझे रोटी नहीं चाहिये लेकिन विचारों की स्वतंत्रता चाहिए एकतंत्रवाद नहीं चाहिए ये ऐसे सवाल है जिनके लिए हमारे देश में इतनी जानें दी गयीं और अगर आज हम प्रजातंत्र के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो याद रखना होगा कि हमें इन कमियों को दूर

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

करना होगा विश्वास के साथ आगे चलते हुए परिश्रम करके नयी परम्पराओं को स्थापित करते हुए उच्छृंखल भावनाओं को पैदा करने से नहीं लेकिन अगर जैसा कि आज किया जा रहा है वैसा ही किया जाता रहा तो प्रदेश का अहित होगा जनतंत्र और जनता का अहित होगा । मुझे पूरा विश्वास है कि उधर के बैठे हुए माननीय सदस्य याद रखेंगे ।

माननीय पालीवाल जी ने कहा कि यह सरकार तो अंग्रेजों की दलील देती है। वह कहती है अंग्रेजों की तरह कि हमने सड़क बना ली तो इस देश में वही तो रहेंगे । रेल निकाली, नहर निकाली क्योंकि उन्हें हमेशा रहना है इसलिये वह कहते थे। मान्यवर मैं कहूंगा कि माननीय पालीवाल जी के चरणों में बैठकर क्रान्ति के नारों को सुनने का मौका मिला था। श्रीमन्, जब हम विद्यार्थी थे तो वह कहते थे कि यह सरकार उन इलाकों में नहर निकालती है जहां फौज के सिपाही मिलते हैं उन इलाकों में रेल निकालती है जहां फौज का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। मैं श्रीमन्, कहूंगा कि आज भी काम वही है लेकिन उसकी पृष्ठ भूमि क्या है। आप सब कुछ कहें लेकिन उसकी पृष्ठभूमि पर नजर रखिये । आज जिन बातों का हमारा तकाजा है उन पर नजर रखिये । आप अपने कहे हुए को भूल सकते हैं लेकिन हम उसको नहीं भूल सकते । आपकी याददाश्त छोटी हो सकती है लेकिन हमारी याददाश्त छोटी नहीं है।

मान्यवर, एक बात और कही गई और वह यह कि जितना धन और जितने हमारे साधन थे उनका पूरा-पूरा उपयोग हुआ या नहीं। यह बात एक तरफ बैठकर बोलने वाली नहीं है । अगर यह कहा गया होता कि इतने करोड़ रुपये लगाकर इतनी नहरें बनाई गई जबकि इतनी बन सकती थीं या यह कहा गया होता कि इतने करोड़ रुपये खर्च करके इतने उद्योगों को चलाया गया जबकि इतने चल सकते थे तो मैं उस प्रश्न का जवाब करता आज हमारे देश में और प्रदेश में एक आदत पड़ गई है कि गोल-मोल बात कही जाय जिससे झूठ को प्रोत्साहन मिले और दूषित वातावरण पैदा किया जाय । श्रीमन्, हो सकता है उधर वाले इधर न बैठें और भगवान करेगा तो यह बात आयेगी भी नहीं आज जनता उधर वालों को यह मौका देना ही नहीं चाहती । जनता पहचानती है कि कहां से हमें परिपक्व नेतृत्व मिल सकता है। तो फिर अगर ऐसी बात है तो याद रखिये की आप हमें कमजोर कर सकते हैं लेकिन प्रजातंत्र को कमजोर मत कीजिये। आप हमारी बुराइयां कर सकते हैं लेकिन याद रखिये उस प्रजातन्त्र की, जिसके आप भी बच्चे हैं जिसने हम सबको पैदा किया है अगर मृत्यु होती है तो हम और आप जीवित नहीं रह सकेंगे।

मान्यवर, कहा गया कि पुलिस को सरकार के नियंत्रण से हटा दीजिये फिर देखिये क्या परिवर्तन होता है। मान्यवर मैं कहना नहीं चाहता मैं साबित कर सकता हूं कि उधर के बैठे हुये एम० एल० ए० साहबान ने ११० में गवाही देकर लोगों को छुड़वाया श्रीमन्, बुराई उधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। हम सब इसी सरजमीन में पैदा हुये हैं और हम सबमें अच्छाइयां और बुराइयां हैं।

एक बात और कही गई । इस सरकार के अन्दर इतनी खराबी आ गई है कि उसके अन्दर विद्रोह हो गया है। तो श्रीमन् उधर भी विद्रोह है। मैं इसका क्या जवाब दूं। आजकल कुछ मौसम ही विद्रोह का है कि पालीवाल जी के यहां विद्रोह है, राजनारायण जी के यहां विद्रोह है कहीं कहीं तो नये घर बस गये हैं, किसी ने बम्बई में घर बसा लिया तो किसी ने दूसरी जगह लेकिन हम सब तो एक जगह ही बैठे है। हम सब आपस में लड़ेंगे भिडेंगे लेकिन रहेंगे एक ही जगह । यह कहा जाता है कि तुम बहुत कमजोर हो रहे हो लेकिन मालूम होता है उधर बड़ी स्ट्रांग

नव्ज के लोग बैठें है । मैं निवेदन करूंगा कि वह इस बात को ध्यान में रखें कि जिसके बहुत लड़के होते हैं उनमें अगर एक आध मर जाय तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर किसी का एकलौता लड़का मर जाय तो यही कहा जा सकता है कि मौसम खराब है और बचकर चलें । और इस खराब मौसम में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिये जिन मर्यादाओं और नयी चेतनाओं की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने की शक्ति वह नेता विरोधी दल, माननीय पालीवाल जी को दे, राजनारायण जी की बाबत तो कहना मुश्किल है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल की ओर से जो सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है और उसके बाद जो इल्जाम माननीय सदस्यों द्वारा इस सरकार के विरुद्ध लगाये गये हैं, मैं उनसे सहमति प्रकट करता हूं । ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से दो महानुभावों के भाषण मैंने बड़े गौर से सुने । उनमें आखिरी वक्ता माननीय बहुगुणा जी ने विरोधी दलों को ललकारा है कि अगर हम पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया गया होता तो कोई काम जिसमें हमने जो धन खर्चा किया है अगर उसका इन्तजाम दूसरे हाथों में होता तो उससे बहुत कम रुपया खर्च होता और काम पूरा होता तो हम उसका जवाब देते । मैं अपने भाषण में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र करूंगा और मुझे आशा है कि हमारे बाद जो जो भी सरकारी पक्ष के महानुभाव जवाब देने के लिये खड़े होंगे, इन बातों का उत्तर देंगे और इन बातों का जिक्र अवश्य करेंगे ।

हमारी ओर से इस सदन के अन्दर बार-बार इस सदन का और इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है कि नारायणी नहर जो गोरखपुर में बन रही है, उसमें गोलमाल है । उसका शुरू का ऐस्टीमेट ४७ लाख रुपया था और इस समय तक उस पर खर्चे का तखमीना लगभग एक करोड़ रुपये का हो चुका है । ४७ लाख रुपये की योजना थी और एक करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है लेकिन फिर भी जो फायदा उससे जनता को होने वाला था वह नहीं हो पा रहा है । इस ओर पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान उस तरफ नहीं दिया गया । मेरा डेफीनिट इल्जाम है कि नारायणी नहर के काम में लाखों रुपये का गोलमाल है । नारायणी नहर के एक डिवीजन में एक वी० एन० पंजाबी क्लर्क था उसने इल्जाम लिख कर दिये । साधारण जांच हुई और जिसमें दो आदमी सुअत्तल हुए । फिर भी जो मुझे सूचना मिली उसके अनुसार जिस आदमी ने इल्जाम लगाये थे उसी को विक्टेमाइज किया जा रहा है । उसको डिसिमस कर दिया गया है और वह लखनऊ और गोरखपुर की सड़कों की धूल छानता फिर रहा है । उसके बारे में डेफिनिट सबूत भी दिये जा सकते हैं ।

माननीय राजनारायण जी ने जो इल्जामात लगाये हैं उनको मैं फिर से दुहराना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने काफी सफाई के साथ उन इल्जामात को पेश किया । मेरा यह अनुरोध है कि अगर सरकार अपनी ईमानदारी का दावा करती है तो उसे नारायणी नहर के मामले में उचित रूप से जांच करानी चाहिये और अन्य इल्जाम जो लगाये गये हैं उनके बारे में जांच कराने के लिये तैयार हो जाना चाहिये ।

दो एक बातों की तरफ और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस सदन को याद होगा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी के संबंध में बार-बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है । अभी हाल ही की घटना है । गोरखपुर विश्व-विद्यालय की गड़बड़ी के संबंध में लिखित रूप में एक पीपुल्स इन्क्वायरी की रिपोर्ट पुस्तिका रूप में प्रकाशित की गयी है जो माननीय मंत्री जी और चांसलर महोदय को दे दी गयी है । जिसमें डेफिनिट प्रूफ भी दिये गये हैं और बताया गया कि नियुक्तियों में किस प्रकार से गड़-बड़ी की गई है । उसमें नामावली दी हुई है कि सही क्लेम किस का था और किस को उस पर नियुक्त कर दिया गया है । जब थर्ड क्लास थर्ड लोग ले लिये गये हैं क्योंकि वे एक खास व्यक्ति के रिश्तेदार थे लेकिन फर्स्ट क्लास फर्स्ट लोगों को नहीं लिया गया । गोरखपुर यूनिवर्टीसि

[श्री मदन पांड़ेय]

के बारे में मैंने, माननीय शिब्बनलाल सक्सेना तथा नगेन्द्रनाथ सिंह ने लिखित रूप से इल्जाम लगाये हैं। मैं सरकार को चैलेन्ज देता हूं कि वह उन लिखित अभियोगों की जांच करे और अगर वह रिपोर्ट गलत हो तो हम लोगों पर मुकदमा चलाये और अगर रिपोर्ट सही हो तो उसके अनुसार कार्यवाही करे। लेकिन गवर्नर महोदय के अभिभाषण के समय माननीय शिक्षा मन्त्री ने विश्वास दिलाया था कि इस संबंध में जांच की जायगी लेकिन उसके बाद की सूचना है कि पुरानी नियुक्तियों को ही कंफर्म किया जा चुका है। यह बड़े शर्म की बात है कि जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा लगाये गये आरोपों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न कोई व्यवस्था ही की जा रही है।

इसी प्रकार से हलीम मुस्लिम कालेज कानपुर की गड़बड़ी के संबंध में भी एक लंबी लिस्ट सबूतों की माननीय मुख्य मंत्री को दी गयी लेकिन उस संबंध में भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई और अभी तक इंतजाम उन्हीं के हाथ में है जिनके खिलाफ इल्जाम हैं, जिससे सबूतों के गायब होने का अंदेशा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार के उन सदस्यों से जो चैलेंज करते हैं कि सबूत के साथ हमारे ऊपर चार्ज लगाया जाय तो हम अवश्य देखेंगे, वे तथा सरकार इन चीजों की तरफ ध्यान दे और इसको दुरुस्त करे। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों की खुली इन्क्वायरी की घोषणा इसी भाषण में होनी चाहिये।

पुलिस के सम्बन्ध में अभी हाल ही में आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि रूपा डाकू जो मानसिंह का दाहिना हाथ था, उसकी एक स्पीच निकली है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से सफाई देने वाले सदस्य उस स्पीच पर भी गौर करेंगे जिसमें उसने कहा है कि मैं जिन्दगी भर पुलिस जुल्मों से लड़ता रहा हूं। जब वह स्पीच देता है तो उस इलाके भर की जनता हंसी खुशी से रूपा डाकू की स्पीच सुनती है और सरकार के ऊपर जो इल्जामात लगाये गये हैं उनका वह स्वागत करती है। इसका कारण यही है कि रूपा डाकू की बात सुन कर सरकार के मुकाबले उन पर वे इत्मीनान करते हैं।

मान्यवर, अभी माननीय बहुगुणा जी को काफी सबूत नहीं मिला है। मैं उनको उनकी पुलिस की गलत नीति के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं जिसकी वजह से आज सभ्य आदमियों का रहना भी मुश्किल हो गया है। अगर कोई डाकू पकड़ा भी जाता है तो उसकी पैरवी इस गलत तरीके से की जाती है कि वह बेदाग छूट जाता है। मेरी तरफ मुरत डाकू का एक दल है जो पुलिस के गलत तरीके से पैरवी करने की वजह से एक मुकदमें में वह कोर्ट से छूट गया। गिरफ्तारी तो उसकी किसी दूसरी जगह पर हुई जब कि उसे पुलिस द्वारा किसी दूसरी जगह दिखलाया गया। इस चीज को उसने गलत साबित कर दिया जिसकी वजह से वह कोर्ट से उस मुकदमें में बेदाग छूट गया और अगर वह और मुकदमों में नहीं फंस गया होता तो फिर उस इलाके में घूमता और उस इलाके के लोगों को आतंकित करता। पुलिस मंत्री जी जरा इन चीजों की तरफ ध्यान दें जिससे इस तरह की चीजों में सुधार हो सके। आज पुलिस की व्यवस्था यह है कि अगर किसी के खिलाफ इंजंक्शन आर्डर इश्यू होता है किसी कोर्ट द्वारा और अगर वह आदमी शासक दल से सम्बन्धित हुआ तो उसके ऊपर वह आर्डर कैरी आउट नहीं होता। इसका ताजा उदाहरण गोरखपुर का रफी अहमद किदवाई स्कूल है जिसके भूतपूर्व मंत्री के खिलाफ इंजंक्शन आर्डर कोर्ट से इश्यू हुआ है लेकिन शासक दल से सम्बन्धित होने के कारण पुलिस उस आर्डर को कैरी आउट नहीं कर रही है। बहुगुणा जी उसको गौर से सुनें और इसके बाद सरकार की तरफ से जो बोलने वाले सज्जन हों, वे इसकी सफाई पेश करें।

श्रीमन्, बहुगुणा जी ने श्रम नीति के सम्बन्ध में कुछ जिक्र नहीं किया, वे बड़ी खूबी के साथ उसको बचा गये। मैं चाहता था कि वे श्रम नीति के सम्बन्ध में भी थोड़ी-सी सफाई देते। मैं पूछना चाहता हूं कि रामकोला की दोनों मिलों से जो दर्जनों मजदूर निकाले गय हैं उनकी रोजी के लिये सरकार की तरफ से क्या किया गया है? वे आप से केवल इन्साफ चाहते हैं और

अगर आप इन्साफ न दे सकें तो उनके मामले ऐडजुडिकेशन में दे दें। सहजनवां के जो हजारों मजदूर हैं उनकी मांग है कि "हमको इन्साफ मिले और सरकार अगर इन्साफ न दे सके तो हमारा केस ऐडजुडिकेशन को दे दें"। मैं पूछना चाहता हूं कि शुगर मिल के मजदूरों के बोनस, रिटेनर और इन्क्रीमेंट के बारे में सरकार ने क्या किया है। वे तो आज इस बात को चैलेंज करते हैं कि आप हमारे केस को ऐडजुडिकेशन को दे दें अगर हमारी मांगें गलत होंगी तो उसे हम मान लेंगे, अगर मिल मालिकों की गलती होगी तो वे मान लेंगे।

गंडक योजना के सम्बन्ध में भी बड़ा ढोल पीटा गया कि इससे पूर्वी जिलों की हालत बहुत अच्छी हो जायगी। इस तरह के कई बयान भी निकले लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार की एक भी योजना को कार्यान्वित करा पायी। कहा यह जाता है कि हमें नेपाल सरकार से मदद नहीं मिलती। लेकिन मैं कहता हूं कि आज नेपाल में भी एक लोकप्रिय सरकार है और अगर कोशिश की जाय तो निश्चित रूप से आपको इस योजना को कार्यान्वित करने में वह मदद करेगी।

साथ ही साथ खाद्य नीति के सम्बन्ध में अभी हाल ही में माननीय त्रिलोकीसिंह का एक लेख अखबारों में निकला है जिसे पढ़ लिया जाय तो मैं नहीं समझता किसी तरह से किसी को यहां की खाद्य समस्या को समझने में दिक्कत हो सकती है। इस आंकड़े के बावजूद लाखों टन अनाज की ऊपज में वृद्धि हुई फिर भी क्या यह सही नहीं है कि अनाज की कीमत बढ़ी है? आज सभी इस बात को मानते हैं और सरकार भी मानती है कि पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति ऐसी है जिसको ठीक करने के लिये दूकानें खोलने की बहुत जरूरत है। केवल गोरखपुर में नहीं बल्कि तमाम पूर्वी इलाके का यह प्रश्न है, कमी वाले तमाम जिलों की यह समस्या है और दूकानों के एलाटमेंट की समस्या को लेकर एक उलझाव पैदा किया गया है। हम उन दूकानों के एलाटमेन्ट के झगड़े में नहीं पड़ते, हमें तो खुली हुई दूकानें चाहिये, हम मांग करते हैं कि ३ दिन के अन्दर वह दूकानें खोली जायं, जो चोरी करे उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय, लेकिन दूकाने खोलने में विलम्ब न होना चाहिये और इन चीजों की तरफ खास तौर से सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

विकास कार्यों में जो करोड़ों और अरबों रुपया इस सरकार द्वारा खर्च हुआ है उसका नतीजा क्या हुआ है उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि सन १९५०-५१ में हमारे राज्य की आय १,५९९ करोड़ थी और १९५७-५८ में तमाम शक्ति लगाने के बाद वह केवल १५६७ करोड़ ही रह गई। इसी तरह से पर कैपिटा इनकम जो पहले २५३ रुपया थी वह अब केवल २३० रुपया रह गई। क्या यही उन्नति है जिसके लिये सरकार दावा करती है कि उसके प्रति अविश्वास प्रकट न किया जाय?

एक और बात की ओर मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। पहले दिन ही जिस दिन यह सत्र शुरू हुआ था पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में मेरा एक प्रश्न था और उसके सम्बन्ध में सरकार ने यह कहा था कि कागज की महंगाई बहुत है इसीलिये पुस्तकें महंगी हैं और बेसिक रीडरें नहीं मिलतीं। मेरे हाथ में यह ३ आने की पुस्तक है जिसका एक सुन्दर कवर है और जो उस बेसिक किताब से मैच करता है, इसकी सफाई और कागज का आप अच्छे से अच्छे प्रेस से मुकाबला कर सकते हैं। इसमें २२ पेज हैं और साइज आप यह देख रहे हैं। अब सरकार द्वारा जो पुस्तक छपाई गई है यह ३९ नये पैसे की है और यह ३ आने की है। हम नहीं समझते कि किस तरह से शिक्षा विभाग इन पुस्तकों को छपाने के लिये किस आधार पर ठेका देता है, हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग टेन्डर मांगे और गीता प्रेस आदि से पूछे कि जिस तरह से वह अपनी पुस्तकें सस्ती छापते है उसी तरह क्या वह सस्ते मूल्य पर यह बेसिक पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। इस विषय में मेरे प्रश्न को भी गोलमटोल उत्तर देकर टाल दिया गया। इस आरोप को सुनकर सरकार सफाई दे तब मैं समझूंगा कि उसकी क्या मजबूरी है और क्यों वह सस्ती पुस्तकें नहीं छपा सकती।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इससे भी सस्ती और मोटी-मोटी किताबें हमारे देश में रूस से आती हैं ।

श्री मदन पांडेय---मैं इससे भी सस्ती किताबों की व्यवस्था चाहता हूं, रूस की सस्ती पुस्तकों की बात मैं नहीं करता । मैं पढ़ने वाली इस देश में छपी पुस्तकों की बात कर रहा हूं ।

सीलिंग, कोआपरेटिव फार्मिंग और लैंड रिफार्म्स के बारे में माननीय बहुगुणा जी ने कहा और चुनौती दी कि लोगों ने कुछ नहीं कहा । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने २६ अप्रैल को एक प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की थी कि हम सीलिंग करेंगे और उन्होंने उसकी एक रूपरेखा भी बताई थी और उनसे प्रेस वालों ने पूछा कि किस तरह से यह कार्यान्वित होगा क्योंकि कुछ मास बाद बिल आयेगा, फिर कानून बनेगा फिर लागू होगा परन्तु इस बीच में जो लोग बंटवारे करेंगे उनके सम्बन्ध में क्या होगा ? इस पर मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम कानून रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से लागू कर सकते हैं । परन्तु उसके बाद कोई घोषणा सरकार की तरफ से इस प्रकार की नहीं हुई-और देहात में लोगों को किसी तरह से भी आगाह नहीं किया गया । इसका नतीजा यह है कि आज रजिस्ट्री आफिस में लोग ३ मास पहले के टिकट खरीद रहे हैं । इस तरह से करोड़ों रुपया उन लोगों की जेब में जा रहा है जिनकी जमीन छीन कर सरकार भूमिहीनों को दिलाना चाहती है । अगर सीलिंग ईमानदारी से लागू करना है तो सरकार इसकी घोषणा करे कि २६ अप्रैल के बाद के ट्रान्सफर फर्जी माने जायंगे और कानून रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से लागू किया जायगा और इन जमीनों का पुनर्वितरण किया जायगा । कोआपरेटिव फार्मिंग के संबंध में ढिंढोरा बहुत पीटा जाता है । लेकिन आज सरकार की तरफ से बोलने वालों में से एक भी सदस्य ने इसका जिक्र नहीं किया । मेरा इल्जाम है कि आप कोआपरेटिव फार्मिंग ईमानदारी के साथ नहीं करना चाहते हैं । आप केवल कागज में ही उसे रखना चाहते हैं । कोआपरेटिव को भ्रष्टाचार का सिनानिम बना दिया है । गतवर्ष १८ लाख रुपये का गबन इस विभाग में है, उसको दूर करने का प्रयत्न कीजिये । इसी विभाग को वर्तमान कोआपरेटिव आफिसर्स के पास न रखिये वरना वह बदनाम होगा । एक बहुत बड़ा बैन्ड आफ वर्कर्स, जो अगर कोआपरेटिव की जानकारी न रखता हो तो उसे ट्रेंड कीजिये, और उसी के द्वारा काम करवाइए ।

पुलिस के और सरकार के भ्रष्टाचार के संबंध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री और गृहमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक उदाहरण देना चाहता हूं । स्वामी विश्वेशवानन्द का एक यही कसूर था कि जो चोरी से चुंगी बचाकर माल ले जाना चाहते थे ऐसे लोगों का पता उन्होंने लगाया और पुलिस को सूचना दी । वहां पर पुलिस आई और बगैर इन सब बातों की सूचना उन्हें दिये हुये कि क्या-क्या सामान वह लिये जा रहे हैं ताकि वह सरकार तक उस बात को ले जा सकें, सामान ले गई । उस पर उन्होंने सामानों की सूची की मांग की तो उल्टे उनको हथकड़ी और बेड़ी डाल दी गई और बन्द कर दिया गया । यह भ्रष्टाचार रोकने का काम है ? इन शब्दों के साथ मैं बहुगुणा जी से कहूंगा कि---यह चीज मैंने लिखित दी है और फिर भेज रहा हूं---आप इन चीजों की सफाई कीजिये और बताइये कि ओपेन जांच होगी ? मैं समझता हूं कि सारा सदन इन बातों पर विचार करेगा ।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन में पश हुआ है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे इस दो साल के अर्से में अभी तक अपोजीशन की ओर से इतनी नीरस, बेजान और प्रेरणाहीन तकरीरें सुनने को नहीं मिलीं जितनी कि आज मिलीं, जबकि आशा की जाती थी कि आज की तकरीरों में, क्योंकि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस का दिन अपोजीशन का होता है, ज्यादा उत्साह होगा । इसका मैं एक कारण समझता हूं कि उन्होंने अविश्वास क प्रस्ताव को एक रोटीन का काम कर दिया है और जब वह रोटीन का काम बन जाता है तो जबान में वह जान भी नहीं रहती और विचारों में वह क्रम भी नहीं होता है जो कि प्रेरणा से हुआ करता है ।

जो कुछ उधर से दलीलें दी गईं उनको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। उन्हें सरकार की जो मेजर पालिसीज हैं उनके खिलाफ कोई ज्यादा बात नहीं कही है। जब एक गवर्नमेंट के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो उसमें मुख्य कारण यही होते हैं कि या तो उसकी मौलिक पालिसीज पर आक्रमण होता है या जो शक्ति सरकार को मिली है उसके दुरुपयोग का, अभियोग होता है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो चाहे पार्टी के लिए हो इन बातों के पढ़ने से अविश्वास के लिये एक जमीन तैयार होती है मैंने जो सुना उसमें जहां तक मेजर पालिसीज का ताल्लुक है---यह सरकार कोई आज की बनी नहीं है, इसके पीछे दस साल का इतिहास है---उसकी दस साल की समूची पालिसीज जमीन के बारे में, कोआपरेटिव के बारे में, वेलफेयर एक्टीविटीज के बारे में, कोई विशेष शिकायत नहीं कही गई है। ये मेजर पालिसीज करोड़ों आदमियों पर असर करती हैं। जमीन की पालिसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ माननीय अपोजीशन नेता श्री त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि अब तक अन्न की कीमत ज्यादा है। मैं इस बहस में नहीं जाता। कीमतें हैं ज्यादा। सिर्फ देखना यह होगा कि गल्ले की प्राब्लम को हल करने के लिये वे सब उचित प्रयत्न किये गये या नहीं किये गये जो जरूरी थे? और अगर किये गये तो आपको सरकार को वहाल (acquit) करना पड़ेगा। और अगर गलती है तो आपको बताना पड़ेगा कि यह आपकी गलती है आपने खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया, लैंड रिफार्म के स्ट्रक्चर को नहीं बदला। जो भी कारण होते वे किसी ने नहीं बताये।

बेकारी बढ़ी। मैं इस बहस में नहीं जाता कि श्री नंदा ने क्या कहा। मान लिया जाय बेकारी बढ़ी। बेकारी ऐसे समाज में यानी जिस समाज में हम रह रहे हैं बढ़ती ही है। जिसमें दौलत बढ़ जाती है, परन्तु फिर भी रोजगार नहीं बढ़ता है, निस्सन्देह बेरोजगारी भी बढ़ी है। ये मैलोडीज, पैरेडोक्सेज है, एक सोशल आर्डर है। मैं यह कहता हूं कि अगर कुछ न किया गया होता तो और ज्यादा बेकारी बढ़ती। कुछ अटेम्प्ट्स किये गये हैं लेकिन इतने नहीं किये गये जिससे पूरी तरह से यह समस्या हल हो पाती। एक इकोनामिक फ्रंट पर नहीं, सब फ्रंट्स पर समूचे प्रयत्न होते हैं तब बेकारी का प्रश्न हल होता है। वेलफेयर ऐक्टीविटीज द्वारा गांवों की तरफ ज्यादा ध्यान है। मेजर बातों की किसी आदमी ने टीका नहीं की कि यह आपकी पालिसी थी यह उसकी खामियां हैं और उसके यह नतीजें निकले इसलिये या तो आप मानिये या दूसरों को मौका दीजिये। लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं। शिकायत क्या है? पुलिस बढ़ गई, जुर्म बढ़ गये। मैं नहीं समझता आज के जमाने में जिनको जुर्म की वाकफियत है वह ऐसे कह सकते हैं। जुर्म बढ़े जंग के कारण, आजादी के बाद मार-काट हुई, कम्युनल राइट्स हुए उसने जुर्म बढ़ाये, इकोनामिक संघर्ष हुए, यही जुर्म बढ़ने के मौलिक कारण हैं। और हम सब को वार बेसिस पर मिल कर मुकाबला करना चाहिये। महज पुलिस बढ़ाने से काम नहीं होगा। पुलिस का जहां तक ताल्लुक है क्या पुलिस रोक सकती है अगर समाज में उसके कारण मौजूद हैं। एक हजार आदमी पर एक कांस्टेबिल है। आप उससे आशा करते हैं कि वह इतनी बड़ी आबादी का जिम्मा ले जब कि आज की दुनिया में बाप बेटे का जिम्मा नहीं लेता। कुछ फैक्ट्स हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जिनको इधर के बैठने वाले जानते हैं, बता सकते हैं। हमारे यहां इस किस्म की रुकावट नहीं है कि न बतायें।

अब जहां तक समाज का ताल्लुक है, जो समाज बनाना चाहते हैं उसके मुवाफिकत हम न उतनी अच्छी आबहवा बना पाये हैं और न मशीनरी जुटा पाये हैं। इससे कोई इंकार नहीं करता।

दूसरी तरफ इशारा किया गया इन्डिविजुअल केसेज की तरफ। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि उनके बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन इंडिविजुअल केसेज सच भी हो सकते हैं। इतनी बड़ी मशीन के अन्दर एक एक पुर्जे की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि मशीन का गठन और जो उनके कायदे कानून बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि इंडिविजुअल मिसालें दे करके आप एक गवर्नमेंट की समूची पालिसी पर वह केस नहीं बना पाये हैं जो केस अविश्वास के लिये जरूरी होता है।

[श्री गोविन्दसहाय]

अब जहां तक सरकार का ताल्लुक है मैं यह महसूस करता हूं कुछ बातें अपोजीशन की तरफ से आज आती तो सुनने का मौका मिलता, जानने का मौका मिलता। उस तरफ कोशिश नहीं हुई। अब यह उम्मीद करना, जैसा एक आनरेबिल मेम्बर ने कहा, आज कांग्रेस के मेम्बरों ने अपनी पालिसी का जिक्र नहीं किया। तो मुझे यह अर्ज करना है कि आज हमारा दिन नहीं है, आज आपका दिन है कि आप यह बतायें कि हमारी ये खामियां हैं।

मैं इतना पूछता हूं, जिन बेसिक पालिसीज को आप मानते हैं तो हमें आप हटाना चाहते हैं और हटाना चाहते हैं किस तरह से कि श्री झारखंडेराय हमारी बेसिक पालिसीज से उसूलन सहमत हैं, वह हमें हटाना चाहते हैं। श्री यादवेन्द्रदत्त जी की मदद से जो बेसिक पालिसीज के खिलाफ हैं। यह जो आपने नो कांफिडेंस का मोशन रखा है उसका आप कांट्रेडिक्शन देखें कि आप बेसिक पालिसी पर कुछ अटके नहीं करते---जो बेसिक पालिसीज कामन हैं उनके बारे में श्री त्रिलोकीसिंह जी को कोई मतभेद नहीं है जैसे एक्सपेंशन आफ इंडस्ट्रीज के बारे में, वेलफेयर एक्टिविटीज के बारे में....

श्री त्रिलोकीसिंह---है।

श्री गोविन्दसहाय---अगर है तो आज आपने जिक्र नहीं किया है। हो सकता है कि आपके दिल में हो लेकिन आज आपने उसका कहना मुनासिब नहीं समझा। जो आपने कहा है वह गल्ले की कीमत बढ़ाने और पुलिस के बारे में कहा है। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि अपोजीशन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बार बार उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता। केवल इतना अफसोस अवश्य होता है कि अपोजीशन का यह नो कांफिडेंस का शस्त्र बहुत बड़ा शस्त्र है। किसी शस्त्र के बारे में एक रोटीन हो जाय तो उसकी जो ताकत है वह हलकी हो जाती है और उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और वह शस्त्र जब ठीक अवस्था उत्पन्न होने पर चलाया भी जाता है तो चलेगा नहीं क्योंकि गलत इस्तेमाल से गलत हो जाता है। इसलिये आज से २ दिन तक सदन में इस बात पर बहस होगी। दस-ग्यारह हजार रुपये टैक्सपेयर के जाया होंगें और वही दास्तान, वही दलीलें, वही चर्चा, वही रुख और वही बातें---उनसे कोई अच्छा असर नहीं पड़ता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अभी और सुनेंगे।

श्री गोविन्दसहाय---ठीक है। आपका जहां तक ताल्लुक है वह तो आप कहेंगे ही। लेकिन व्यक्तिगत तरीके से बातें कहनी हैं तो उसके लिये एक प्लेटफार्म हो, लेकिन यह असेम्बली प्लेटफार्म न हो। आज गवर्नमेंट के खिलाफ चार्ज लाने का मौका था न कि व्यक्तिगत बातों के खिलाफ चार्ज करने का। श्री राजनारायण ने अपनी स्पीच में कितने मिनट व्यक्तिगत बातें बतलाने में लिये उतने मिनट उन्होंने टैक्सपेयर के साथ ज्यादती की। हमारा कोई स्तर होना चाहिये। डेमोक्रेसी की बड़ी चर्चा की गयी। त्रिलोकी सिंह जी ने जिक्र किया और लोगों ने भी जिक्र किया। मैं कहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ अगर किसी को ज्यादा शिकायत हो सकती है तो वह कांग्रेस वालों को ही हो सकती है। कांग्रेसी राज्य के अन्दर कांग्रेस वाले जितनी बुरी हालत में हैं उतने और कोई नहीं है। मर्डर किया गया, मारा गया तो कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी या प्रेसीडेंट, इस किस्म की वारदातें आये दिन होती हैं। पार्टी वालों को यह शिकायत हो सकती है। यह इस बात का सबूत है कि जो चीजें हो रही है वे पार्टी स्तर पर नहीं हो रही हैं और वे चीजें मेरे और आपके बूते से बाहर की हैं। उनको मिटाने का मेरा और आपका मुश्तर्का फर्ज है।

जहां तक डेमोक्रेसी की बात कही जाती है उसके बारे में मैं एक बात कह देना चाहता हूं जो जर्मनी में जब फासिज्म आया था तो हिटलर ने कही थी "कांस्टेंट रिपीटीशन आफ लाइज डेवलप इन्टू मांस्ट्रस ट्रुथ"। अगर एक असत्य का बराबर प्रचार करते रहो तो वह

महान असत्य अखंड सत्य बनाया जा सकता है। सदन की मर्यादा इससे नहीं बढ़ती। आप जानकारी हासिल करने के लिये पी० ए० सी० की रिपोर्ट्स पढ़िये। बहुत-सी बातें आप खुद नहीं जानते तो मैं मदद कर सकता हूं। एक व्यवस्था को बदलने का काम जो है उसके लिये बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। केरल के अन्दर व्यवस्था अगर जल्दी बदल देते और जल्दी बदलने में गलती हो जाय तो काउंटर रिवोल्यूशन हो जाता।

एक सदस्य---यह आपका जो खयाल है गलत है।

श्री गोविन्दसहाय---अगर आप किसी बात को गलत समझते हैं तो उस बात को रखने का मुझे अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को आप मुझे डिनाई करते हैं जबकि उसे आप स्वयं लेना चाहते हैं, यह फेयर बात नहीं है। आप प्रवोक न हों न मेरा ऐसा इरादा है। मैं यही कह रहा था कि जो सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी है वह अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती और जो जनतांत्रिक पद्धति है उसके मुताबिक आज नहीं तो कल आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि उसमें बहस, खींचतान का वातावरण, विषाक्त वातावरण पैदा करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था को बदलने के लिये जिस अनुकूल वातावरण पैदा करने की जरूरत है, जिस किस्म के उपयुक्त आदमी पैदा करने की जरूरत है उधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। आज इधर हम लोग बैठे हैं, कल को आप लोगों में से कोई आ सकता है। अगर हमने इन बातों की तैयारी नहीं की और सिर्फ एक बात साबित की कि इधर के लोग बेईमान है और इधर के लोगों ने कहा कि आप बेईमान हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे Reactionary फोर्सेज जीतेंगी, ब्यूरोक्रेसी को आप बल देंगे क्योंकि वह अपने कानों से सुनेगी कि ये दोनों एक दूसरे को बुरा कहते हैं इसलिये दे आर अनफिट टु रूल। आज हिन्दुस्तान के इर्द गिर्द पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। मैं आपको "मेयो" साहब की किताब नहीं सुनाता क्योंकि "मेयो" साहब के जमाने की डेमोक्रेसी और आज की डेमोक्रेसी में बहुत फर्क हो गया है लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि डेमोक्रेसी के लिये जो कल्चर चाहिये उसके लिये हमें कोशिश करनी पड़ेगी। आज हिन्दुस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है जिसकी कुछ प्राब्लम्स हल हुई हैं और कुछ को हल करने के लिये दागबेल डाली गई है। मुझे यह गलतफहमी नहीं है कि सब कुछ हो गया है। हमें अभी बहुत कुछ करने को है। मैं यह भी जानता हूं कि अभी बेकारी है, भूख है, गरीबी है, बहुत सी समस्यायें अभी हल नहीं हो पायी हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुल्क की हालत इतनी खराब नहीं है जितनी कि हवा खराब है। और अगर हवा खराब है तो एक तन्दुरुस्त आदमी भी उसमें सांस लेने से बीमार पड़ सकता है और अगर हवा अच्छी है तो एक बीमार आदमी भी उसमें सांस लेने से स्वस्थ हो सकता है। इसलिये आपका और हमारा, दोनों का फर्ज है कि कम से कम ऐसी आबहवा पैदा न करें जिससे इतिहास लिखने वाले यह लिखें कि डेमोक्रेसी इनको मिली और एक ऐसे तरीके से स्वराज्य मिला जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, सब कुछ इन्हें मिला, पहाड़, जंगल, इतने सारे आदमी, मगर उस ताकत को रचनात्मक तरीके से पोलिटिकल लोग इस्तेमाल नहीं कर सके और एक दूसरे के संघर्ष में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिस वातावरण में जिन ताकतों से आप लड़ना चाहते हैं, जो ताकतें प्रगति के रास्तें में बाधक हैं वे पनपीं। आज पाकिस्तान में, ब्रह्मा में, सीरिया में, थाइलैंड में, लेबनान में, ईराक में, यानी एशिया में चारों तरफ आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी की ताकतें छिन्न-भिन्न होती जा रही हैं और इतिहास पोलिटिकल लोगों के खिलाफ होता जा रहा है। तो चाहे इधर के हों या उधर के हों, हम लोगों का एक गोल है। अगर हम एक दूसरे को खीचने की कोशिश करेंगे तो उस खीचने में वह चीज ही खिंच जायगी जिसके लिये हम दोनों की कोशिश है। हाई कोर्ट के जजेज स्ट्रक्चर्स पास कर सकते हैं और हाई कोर्ट के जजेज के खिलाफ भी यह बात कही जा सकती है कि उनके भी मेंटल रिओरिएन्टेशन की जरूरत है क्योंकि पुराने जमाने के क्राइम में और आज के क्राइम और उसके ट्रीटमेंट में फर्क है। इसलिये ऐसी बातें न कह कर जो आबहवा होनी चाहिये उसके लिये हमें कोशिश करनी चाहिये और मुझे यकीन है कि यह हमारा ही ट्रायल नहीं है बल्कि आपका भी ट्रायल है। यह इंटरडिपेंडेंस का जमाना है। इसमें यह जरूरत है

[श्री गोविन्दसहाय]
कि एक दूसरे पर लांछन न लगा कर हम देश में ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें हम सब मिल कर प्रगति कर सकें और जनतंत्र की जड़ों को सुदृढ़ कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो माननीय नेता विरोधी दल ने सदन के सामने पेश किया है। मान्यवर, कई बार इस सरकार के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव आये और मंत्रिमंडल के बड़े कर्मठ और बहुत से आंकड़े दे कर दलीलें देने वाले मंत्रियों ने उन अविश्वास के प्रस्तावों का खंडन किया। जैसा कि आज माननीय बहुगुणा जी ने अविश्वास के प्रस्ताव का खंडन करने की कोशिश की उन्होंने कोई बहुत लम्बे चौड़े आंकड़े पेश नहीं किये परन्तु उनकी भाषा बहुत सुन्दर लच्छेदार थी पर उसमें कोई तथ्य नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि जब किसी सरकार के विरूद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो उससे मंत्रिमंडल को कुछ न कुछ रोशनी मिलती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के अविश्वास के प्रस्ताव से भी उनको रोशनी मिलेगी और शायद वह ऐसे प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़े नहीं होंगे।

मान्यवर, इस बात का जिक्र किया गया कि अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में विरोधी पक्ष की ओर से कोई नई बात नहीं कही गई। प्रदेश की जनता जो ८० प्रतिशत शोषित और पीड़ित है उसे हक है कि वह सरकार से रोजी, रोटी, सुरक्षा तथा सस्ता और सुलभ न्याय की आशा करे। जो सरकार रोजी का इंतजाम नहीं कर सकती है, जो सरकार जनता की सुरक्षा का इंतजाम नही कर सकती है और जो सरकार जनता को सुलभ और सस्ता न्याय नहीं दे सकती है उसके प्रति बार-बार ऐसे ही अविश्वास के प्रस्ताव आते रहते हैं जब तक कि वह हट नहीं जाती और उसके कारण आज हमारे प्रदेश में मौजूद हैं और वह कारण बढ़ते चले जा रहे हैं जिन से मजबूर होकर विरोधी दल को अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ा है।

मान्यवर, जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि ज्यों-ज्यों खाद्य समस्या के हल करने की कोशिश की पर त्यों त्यों उलझती चली गई रामायण में सुरसा ने बदन बढ़ाया त्यों-त्यों हनूमान जी ने भी अपना दुगुना रूप बढ़ाया हालत वैसी ही है किसान से १३रु० मन के हिसाब से गेहूं लिया गया और आज उसको गेहूं तो क्या मोटा अनाज भी इस भाव में नहीं मिल रहा है जिन पर कंट्रोल नहीं है उनके भाव बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। यदि मोटा अनाज भी किसान को तथा गरीब जनता को उसी दाम में मिलते रहते तब भी हमको तस्कीन रहती।

मान्यवर, इस सूबे में सुरक्षा की हालत बहुत ही खतरनाक है देहात की आम जनता और गरीब किसान अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं इसलिये कि जो पुलिस उनकी सुरक्षा के लिये है वही उनकी सुरक्षा करने के बजाय उल्टे नुक्सान पहुंचा रही है और उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। मैं मिसाल के तौर पर अपने जिले की हालत रखना चाहता हूं। अभी हमारे जिले की कानफ्रेन्स में एस० पी० साहब ने बताया था कि १ जनवरी से ३० जून तक यानी छः महीने में १७ डाके, २१ हत्यायें, ४३ बल्वे और १२५ चोरी हुई जब कि पिछले वर्ष में इसी समय में कुल १० डाके २ लूट ८ कत्ल, ३६ बल्वे और ११० चोरियां हुईं। मान्यवर हत्याओं की संख्या बढ़ी उनमें उन हत्याओं का उल्लेख नहीं होगा जिनमे पुलिस ने साथ दिया है। मान्यवर मिसाल के तौर पर मैं सदन के सामने पेश कर देना चाहता हूं। सौरिख थाने में जो भूतपूर्व इंचार्ज थे उन्होंने वहां के सकरावा इलाके के दो किसानों की हत्या कराने में हिस्सा लिया। इस बात की इत्तला हमने जिले के अधिकारियों,

एस० पी० के सामने पेश की । वहां के डी० एस० पी० के सामने पेश की । जो डकैतियों पड़ी उनके अन्दर उनका उल्लेख नहीं होगा जिन डकैतियों को चोरी लिखा गया सौरिख थाने के अन्दर रेरीराम पुर में जो डकैती पड़ी उसको चोरी लिखा गया । कन्नौज थाने में गदनपुर में डकैती को छिपाया गया । क्या वजह है कि थाने में डकैती को चोरी लिखा गया ? उसमें जो शुमार डकैतियों का दिया गया है डकैतियों का उसमें तो यह नहीं होंगी ।

माननीय बहुगुणा जी ने चैलेंज किया था कि जितने रुपये में हमने जैसा काम किया है उससे अच्छा काम करके बता दो । मैं माननीय बहुगुणा जी को दावत देता हूं अपने इलाके के उमर्री ब्लाक को देखने के लिए । मैं उनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं मैं कोई टेक्नीशियन या इंजीनियर नहीं हूं । गांव का साधारण किसान हूं। ४७ हजार रुपये में उमर्री ब्लाक की बिल्डिग तैयार हुई है । मान्यवर मैटीरियल के दाम बढ़ चुके हैं सीमेंट और लोहे का दाम बढ़ चुका है । फिर भी माननीय बहुगुणा जी से बाअदब कहना चाहता हूं कि ४७ हजार रुपये में ऐसी बिल्डिग बनवा सकता हूं और जो तीन वर्ष में नहीं बैठेगी । यह जनता के पैसे का कितना बड़ा दुरुपयोग है । तीन वर्ष में इंजीनियर ने कह दिया कि इसको छोड़ दो इसमें रहने वालों की जिन्दगी का खतरा है । मान्यवर सब इमारत फट चुकी है । कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो फट न चुका हो । अभी हाल में दस हजार रुपये का एक बीज गोदाम बनाया गया । बारिश हुई और सारा बीज गोदाम टपक रहा था मैंने अपनी आंखों से देखा । जनता के रुपये से इस तरह होली खेली जाय फिर आप कहें कि हमारे ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव करके कौन सी नयी बात करते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है । आज जनता की गाढ़ी कमाई का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे जनता को विश्वास नहीं होता कि ये विकास की योजनाएं उसके लिए हैं । उसके अन्दर यही खयाल पैदा हो रहा है कि यह काम कुछ आदमियों के लिये किये जा रहे हैं ।

मान्यवर, अभी हमारे सहकारिता मंत्री ने हाल में कानपुर से आने पर एक वक्तव्य दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो कानपुर के मिल हैं उनकी हालत जो पैदा हो गयी है उसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी कानपुर के मिल मालिकों पर है । मैं मान्यवर, आपके जरिये से माननीय बहुगुणा जी से जानना चाहता हूं कि उन मिल की परिस्थिति को सुधारने के लिए कौन से उपाय किये गये जिनसे मिल मालिकों को मजबूर किया जाता । वह मिल मालिक सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे होंगे । कि जो बिजली का बकाया पड़ा हुआ है २६ लाख रुपया वह वसूल न किया जाय उन पर एक्साइज ड्यूटी कुछ कम की जाय उन्हें सरकार कुछ कर्जा और दे अनुदान भी दे तब वह अपनी मिलों को चलाने के लिए तैयार हों । सरकार जानती है कि इतने ज्यादा मजदूर बेकार हुए । मिल मालिकों ने प्ले आफ किया । सरकार जानती है इसकी जिम्मेदारी मिल मालिकों पर है । उसके लिए उसने क्या कार्यवाही की ? इससे जनता विरोधीपक्ष और सदन यही नतीजा निकाल सकता है कि यह सरकार प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता की नहीं है उसका बन्दोबस्त करने के लिए तैयार नहीं है कुछ आदमियों का बन्दोबस्त करने के लिये तैयार है । उनके स्वार्थों की रक्षा करने के लिये तैयार है । ८० प्रतिशत जनता के हितों की रक्षा करने के लिये तैयार नहीं है । शक्कर का दाम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है । १ रुपया ५ आना मन गन्ना सरकार ने किसानों से दिलवाया और जब किसानों ने उसका विरोध किया उसे जेलखाने में भेजा गया कहीं कहीं गोलियां भी चलवाई गई । परन्तु मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि १ रुपया ५ आने मन किसान से गन्ना मिल मालिक को दिलवाने के बाद आज शक्कर का दाम ५० रुपये और ५० रुपये के ऊपर भी देहातों में हो रहा है इसकी जिम्मेदारी क्या विरोधी दलों के ऊपर है या सरकार के ऊपर है ?

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री उबैदुर्रहमान (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय मुझे बड़ी हैरत है कि आज फिर विरोधी दल की तरफ से वही चर्चा जो गवर्नर साहब मोहतरिम के ऐड्रेस के सिलसिले में चलाया गया जो बजट के सिलसिले में चलाया गया और जो रोजमर्रा चला करता है वही चर्चा आज फिर चल रहा है। मैं यह सच कहता हूं कि मैं यह समझता था कि कोई ऐसी चीज आप लायेंगे जो कि हमें हैरत में डाल देगी। आज जो जनता दूर दूर से सुनने को आयी है वह कुछ यहां से लेकर जायगी और जैसा बहुगुणा जी ने फरमाया कि आइन्दा एलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें उन चीजों को लपेट लपेट कर वह हमारे मुंह पर मारगी कि तुम यह हो, तुम यह हो हम तुमको वोट नहीं देंगे। लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की तरह से कोशिश हो रही है कि साहब कांस्टीट्यूशन में हमको अदमएतमाद लाने का हक है अविश्वास का प्रस्ताव लाने का हक है वह हम पारसाल भी लाये इस साल भी लाये और हर छः महीने पर लाते रहेंगे।

मेरी एक गुजारिश है मैं कांस्टीट्यूशनल बात कह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आदरणीय सदन तवज्जह से सुनेगा। अविश्वास का प्रस्ताव लाने से पहले दो चीजें जरूरी हैं जिनको कि कहा जाता है प्रीरिक्विजिट्स। एक चीज की तरफ तवज्जह माननीय मंत्री जी, माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने दिलायी थी और माननीय गोविन्दसहाय जी ने भी उसकी तरफ तवज्जह दिलायी और वह यह कि आप बताते कि पालिसी में हमसे क्या गलती हुई है जो हमारी फंडामेंटल पालिसीज़ हैं जैसे हमारी लैंड की पालिसी है, पुलिस की पालिसी है, एजुकेशनल पालिसी हैं, उसके मुताल्लिक क्या हमने बहुत बड़ी गैरमामूली किस्म की गलती की है कि जिससे बहुत बड़ा अन्देशा हमारे सूबे को पैदा हो गया है ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं रखी गई। तो एक प्रीरिक्विजिट तो यह थी। जो बातें कही गई वह यही कही गई कि हमारा चूल्हा नहीं जला हमारी उगंली में दर्द हो गया मास्टर बरख स्त हो गया और पुलिस ने गोली चला दी रिश्वत ले ली और उनको २० आने पैसा देना पड़ा। तो यह सब तो होता रहेगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि होना चाहिये। मैं तो चाहता हूं कि एक पैसा भी रिश्वत न दी जाय। मैं चाहता हूं कि सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां कायम हो जायं सब बुराइयां दूर हो जायं। लेकिन कितनी चीज मुमकिन उलअमल ह और कितनी गैरमुमकिन उलअमल, इसका भी ध्यान रखना है। डेमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशन हमारा है। हां अगर जनरल अयूब खां की तरह से कोई डिक्टेटरशिप कायम करते तो आप हमसे यह कह सकते थे कि यह रिश्वत क्यों जारी है और शासन क्यों ढ़ीला है। लेकिन हमने तो आज वह इजाजत दे रखी है कि हर भंगी या छोटे से छोटा इन्सान आज यह हिम्मत रखता है कि वह शासन को रोक दे महज एक छोटे से रिट के जरिये से और आज अगर यह डेमोक्रेसी न होती हजरत तो यह अविश्वास का प्रस्ताव जो आज आप लाये हैं यह भी आप नहीं ला सकते थे।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारी दाद दीजिए।

"तीर पर तीर चलाओ तुम्हें डर किसका है।
सीना किसका है मेरी जां जिगर किसका है।"

यह आमरियत नहीं है, यह जम्हूरियत है। जम्हूरियत में चीजें जैसा कि गोविन्द-सहाय जी ने कहा धीरे-धीरे होती हैं। तो हम ग्रेजुअली तरक्की करेंगे। बुराई भी रहेगी और अच्छाई भी रहेगी लेकिन कोशिश हमारी यह होनी चाहिये कि अच्छाई बुराई पर गालिब रहे। लेकिन यह दो खाने बनाये और उसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई शुमार करना शुरु कर दे तो यह अविश्वास के प्रस्ताव को बुनियाद नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ करती और न इससे उसको बुनियादी बन सकती है कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री कहीं की यह नहीं बताती है कि इस तरह हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि अपोजिशन को हक पैदा नहीं होता है अविश्वास के प्रस्ताव को लाने का जब तक कि वह यह न समझे कि जिस गवर्नमेन्ट को वह हटाना चाहते हैं जिस पार्टी को वह हटाना चाहते हैं उसके हटने के बाद उनके अन्दर इतनी ताकत है कि वह हुकूमत सम्भाल सके। यह भी एक प्रिरिक्वीजिट है। मैं इसके लिये मेज पार्लियामेन्ट का एक जुमला पेश करता हूं :

"The convention is due to the recognized and responsible opposition of the leaders of the opposition as a potential alternative Government."

तो इस पोटेन्शियलिटी का क्या आलम है। पोटेन्शियलिटी का यह आलम है कि भानुमती ने एक कुनबा जोड़ रखा है। एक पी० एस० पी० है दूसरी पार्टी सोशलिस्ट है तीसरी जनसंघ है चौथी आजाद पार्टी है और एक पार्टी ने और वलादत पाई है। अभी तक मुझे उसका नाम नहीं मालूम है और यह भी मालूम नहीं कि उसमें कितने आदमी हैं। यह उनकी पोटेन्शियलिटी का आलम है। अगर उनकी पोटेन्शियलिटी का यह आलम है तो अपोजिशन के लिये यह बेहतर है कि वह इस तरह के प्रस्ताव यहां पर न लाये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, मैं खजान्ची बना दिया गया हूं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठ जाइये।

श्री उबैदुर्रहमान--तो मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इस कमजोरी की हालत में जब तक आप यह तय न कर लें कि हुकूमत चला सकते हैं तब तक आप हमसे मतालबा नहीं कर सकते। बिना आपके अन्दर इस तरह की ताकत आये आपको यह हक पैदा नहीं होता कि इस तरह का आप मतालबा करे कि हम गवर्नमेन्ट छोड़ दें। अगर हम छोड़ दें तो सोचना पड़ेगा कि इसको कौन चलायेगा। अगर आपके अन्दर इतनी पोटेन्शियलिटी आ जाय जैसी कि मेज पार्लियामेंट प्रैक्टिस में बतलाई गई है तो आप मतालबा कर सकते हैं। आप फंडामेंटल मिस्टेक्स की तरफ इशारा कर सकते हैं लेकिन मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि आपके अन्दर इस तरह की दोनों बातें मौजूद नहीं हैं। अगर हम छोड़ दें तो यहां पर कश्मकश पैदा हो जायगा। आज हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यह आपका प्रस्ताव पास न होने पाये तो यह अहसान कर रहे हैं इस मुल्क के साथ और उन शख्सों के साथ जो इस हकूमत को कायम रखने के फेवर में हैं। हम उस अराजकता को रोक रहे हैं जो कि हकूमत के हटने के बाद यहां बढ़ेगी। खाली यही नहीं कि जब जी में आया यहां पर प्रस्ताव कर दिया कि अविश्वास का प्रस्ताव पेश करते हैं। इसको गम्भीरता और जिम्मेदारी से सोचना चाहिये। आपको हक हासिल है कि आप रोज हमारी कमजोरियों की तरफ इशारा करें। हम इसके लिये आपके मशकूर हैं। जिस किस्म की तकरीर होती है वह ठीक हो। हमारी तवज्जह दिलाये हमारी कमजोरियों की तरफ उससे हम आगाह होंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह बड़ा अहम और बड़े गौर का मामला है जिसको कि नो कान्फिडेन्स का मोशन कहा जाता है।

एक बात की दुहाई दी गई, नौकरशाही की, कि यह नौकर रिश्वत लेते हैं और यह आपका शासन ढीला है। जब हम कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते है या उसकी सर्विसेज को क्रिटिसाइज करते है तो हम इसी मुल्क के हैं इस बात को भूल जाते हैं। हम कांग्रेस को मुल्क के रहने वालों के कंटेक्स्ट में क्रिटिसाइज नहीं करते, सर्विसेज को मुल्क के रहने वालों के कंटेक्स्ट में क्रिटिसाइज नहीं करते, उनसे अलग करके आप हमको क्रिटिसाइज

[श्री उबैदुर्रहमान]

करने लग जाते हैं। हमको आजादी पाये ११ साल हुए। जब हमको आजादी मिली थी देखा जाय कि उस वक्त मुल्क की हाल क्या थी। मुल्क के रहने वाले झूठ बोलते थे, पेटी जेलसीज उनमें थी, रिश्वतखोरी उनमें थी, क्या छूमंतर हो जायगा ११ सालों में कि वे सब ठीक हो जायंगे। जाहिर है कि हममें आपस में, सर्विसेस में, यूनिवर्सिटीज में, कालेजेज में, वकील और डाक्टरों में, बिजनेस में, फारेन सर्विसेस में, हर जगह ऐसे आदमी हैं, उनसे छुटकारा कहां है ? जितना हम कर लेते हैं उसके लिये हम बधाई के खास्तगार हैं। हमारा मालिक जाहिल है और नौकर पढ़ा लिखा है। नौकर १२, १२ बजे रात तक चिराग जला कर पढ़ता है, लेकिन यहां तो मुल्क के चाहे जिस गोशे को हाइड पार्क बना लिया और लगे गुल्ली डंडा खेलने। हमको अपने गिरहबान में मुंह डाल कर देखना है कि जो हम चिल्लाया करते हैं नौकरशाही, नौकरशाही, क्या यह ठीक है ? इसमें रिश्वतों की भी दो किस्में हैं और इसके लिये हमारी सरकार गाफिल नहीं है। एक तो सरमायादार होना चाहते हैं वह, उनकी तरफ सरकार का ध्यान खूब है, लेकिन एक किस्म वह है जो भूखों मर रहे हैं और अपनी कमजोरियों से मजबूर हो कर ऐसा करते हैं। दोनों को एक साथ नहीं तौला जा सकता। हर वक्त गाली देने और कोसने से एक खराब वातावरण पैदा होता है, क्लाइमेट खराब होती है, एटमास्फियर खराब होता है और उससे हम इंप्रूवमेंट, रिफार्म नहीं कर सकते। आपकी गंभीरता जाती रहती है। वह हैकनीड चीज हो जाती है। गोविन्दसहाय जी ने इसके लिये कहा था कि रोटीन चीज हो गयी है। वही बातें सुबह, शाम कहने से उनका महत्व समाप्त हो जाता है। अगर आप किसी बुराई या सर्विसेस की तरफ हमारी तवज्जह दिलाना चाहते हैं तो उसे एक स्टैंटर्ड के साथ, खामोशी के साथ, गंभीरता के साथ पेश कीजिये।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सदन में जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है, उसके सम्बन्ध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। यह मानी हुई बात है कि किसी व्यक्ति या सरकार में अविश्वास प्रकट करना अच्छी बात नहीं है, परन्तु एक नागरिक की हैसियत से मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि आजकल हमारे प्रान्त में जो एक भावना बढ़ रही है उसका मैं यहां जिक्र कर दूं।

अविश्वास का जहां तक प्रश्न है, इस सदन में इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय होगा उसे सब जानते हैं। किन्तु वास्तव में इसका निर्णय सन् १९६२ के चुनाव में होगा और आज की बातों का जो जवाब मिल रहा है उनका क्या उत्तर होगा यह उस समय पता चलेगा। श्रीमन्, आज मैं तो कहता हूं कि यहां सदन में बैठ कर नहीं, जरा वह बाहर जाकर, क्या शहर क्या देहात, जन समुदाय के बीच में जायं तो आप महसूस करेंगे कि आज हमारे प्रदेश के नागरिक क्या महसूस कर रहे हैं। कितने अनिश्चित, कितने परेशान, कितने चिन्तामग्न वह रह रहे हैं। आज सिवाय इस के कि सुबह से शाम तक अपने आटा दाल की फिक्र करें, जीविका की फिक्र करें कि किसी तरह से आज का दिन कट जाय कोई भी आज कल की नहीं सोच पाता है, न उन्नति की बात सोच पाता है।

श्रीमन्, मैं अधिक विषयों पर न बोलकर केवल लैंड रिफार्म के बारे में कहूंगा जिसके बारे में कहा गया कि जिक्र नहीं किया गया है। हमारे भाई मदन पांडेय जी ने बड़े जोर से और जोशीली तकरीर की है लैंड रिफार्म के बारे में। मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस पालिसी की आज सरकार की तरफ से घोषणा हुई है यही एक कारण होगा जो सरकार का अन्त १९६२ में करेगा। मैं तो चैलेंज करता हूं कि जो नागपुर कांग्रेस की नीति है अगर उस पर कोई कांग्रेस मैन या और कोई भाई गांव में जाकर कहें सहकारी खेती करनी चाहिये और सब लोग सहकारी फार्म करें, अगर वह प्रत्यक्ष में करें तो मैं अपनी सीट छोड़ता हूं, कोई व्यक्ति अपनी सीट छोड़े और इसी ईश्यू को लेकर चुनाव लड़े। वह जीत जाय तो मैं अपने आप को अर्पण करने के लिये तैयार हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, अभी पद-यात्रा हुई हैं उन्होंने गांव में जाकर सहकारी खेती की नीति बतलाई है, वह सभी जानते हैं । उन्होंने सिवाय इसके कि भाइयों, छोटे किसानों, घबराओं नहीं, राजा मनकापुर अपनी जमीन बेचने को कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी खेती नहीं जायगी, किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारी खेती जायगी और सब कोआपरेटिव फार्म में शामिल होगा और यकजाई होगा । अगर यह कहें तो हालत मालूम हो जायगी । इतनी हिम्मत होनी चाहिये । जब सरकारें अपने आदर्श और सिद्धान्तों से गिर जाती हैं जिसके बल बूते पर वह बनी हैं तो वही रास्ता पकड़ती हैं जो आप पकड़ने जा रहे हैं । जो आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रेरणा का अपहरण कर रहे हैं, कम कर रहे हैं यह सब सरकारों ने किया है और टोटलिटेरियनिज्म वहीं आया है जब सरकारें अपने कर्त्तव्य से हटने लगती हैं । जैसा चीन और रूस ने किया है उसी की नकल करके आप देहात का किला कम करना चाहते हैं । आप चाहते हैं कि वहां वही रह सके जो मजदूर बन कर रह सके, गुलाम बनकर रह सके, स्टेट कंट्रोल हो । वही आप चाहते हैं और वही करने की तरकीब कर रहे हैं । मैं अपने माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू जी की तारीफ करूंगा कि वह स्पष्ट कहा करते हैं कि हमारा लक्ष्य वही है लेकिन हमारे छटभइये कहते हैं कि हम खेती किसी की लेने वाले नहीं हैं । तो वह नीति तो आपने अभी अपनाई नहीं, केवल उसकी घोषणा की है, लेकिन देहातों में उसका रिएक्शन देखिये जाकर ।

थोड़े से उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे भाई गोविन्दसहाय जी ने कहा कि किसी ने कोई चीज नहीं बताई कि इस नीति से नुकसान क्या हुआ, घाटा क्या हुआ । मैं केवल यह बताना केवल यह बताना चाहता हूं कि उत्पादन का जहां तक सवाल है. . . . . .

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है मेम्बर साहब से कि जरा रुक रुक कर बोलें जिससे सुनाई पड़े । वह इतनी तेजी से बोल रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---मैं यह दिखाना चाहता हूं कि १२ वर्ष के अन्दर जब से स्वराज्य पूर्ण रूप से हासिल हुआ, हमारी पर कैपिटा इन्कम दिन प्रति दिन गिरती जा रही है । भले ही आप अपने मुंह से तारीफ करें, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनें लेकिन जो सब का लक्ष्य होता है वही आपका लक्ष्य है कि आमदनी बढ़े । अभी राजनारायण जी ने बताया और मैं भी देहात के आंकड़े दे रहा हूं कि १० वर्ष पहले जो २५१.२ रुपया थी वह १८६.६३ रह गयी है । अगर इसको आप उन्नति कहते हैं तो यह आपको मुबारक हो । आप अगर जरा सा विचार करें कि खाद्य उत्पादन के ऊपर सारा लक्ष्य है तो क्या कारण है कि आपका खाद्य उत्पादन गिरता जा रहा है । जैसा कि नेता विरोधी दल ने उल्लेख किया कि बराबर खाद्य उत्पादन गिर रहा है । इसको बढ़ाने के क्या साधन हैं । यह कि नयी जमीन तोड़ी जाय और उसमें खेती की जाय । सन् १९४८ से बराबर नयी जमीन तोड़ी गयी । सन् १९५०-५१ में ३.२८ लाख, १९५१-५२ में ५.०१ लाख, १९५३-५४ में ३.४९ लाख और १९५४-५५ में ६.०० लाख एकड़ जमीन तोड़ी गई । उसके बाद जब लैंड रिफार्म्स पर चर्चा हुई, जिस पर आपको बहुत गर्व है तो १९५६-५७ में वह गिरकर केवल ९८ हजार एकड़ रह गई और १९५७-५८ में, जो जमीन टूटी हुई थी वह आपके आंकड़ों से १८४ हजार एकड़ बंजर हो गई । यह आपके एलान का नतीजा है । आप देख सकते हैं कि जो प्रगति खाद्य उत्पादन में हो रही थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा । जो १५ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गई उसमें साढ़े १३ लाख एकड़ निजी किसानों ने अपने निजी प्रयत्नों से तोड़ी जिसका उदाहरण आपको तराई की तरफ नजर डालने से मिल सकता है । लेकिन जब आपकी घोषणा हुई कि लैंड रिफार्म्स करेंगे तो आप अपने साधनों से केवल डेढ़ लाख एकड़ तोड़ पाये थे । मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी जो कुछ नीति है वह दिन प्रति दिन खाद्य उत्पादन के लिये घातक होती जा रही है । मैं कहता हूं कि आज काश्तकार विश्वास नहीं कर रहा है, वह तो सिर्फ महात्मा जी की मूर्ति पर विश्वास करता है । वह समझता है कि उन्होंने कांग्रेस बनाई है इसलिये कांग्रेस हमारा खेत नहीं लेगी लेकिन जिस दिन उसको विश्वास हो जायगा और आप जो कह रहे हैं उसको अपनावेंगे तो उस दिन आप देखेंगे कि उसका क्या नतीजा होगा ।

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

मैं कहता हूं कि अगर आप में सत्यता है तो आप इसकी घोषणा करें और फिर आपको नतीजा मालूम पड़ जाय ।

आज आप गांवों के सुधार की बात करते हैं, ८० प्रतिशत जनता की तरफ ध्यान देने की बात कह रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे गांवों के जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनके पास कुछ साधन हैं वह सब गांव छोड़ते चले जा रहे हैं । एम० एल० एज०, जो गांव के रहने वाले हैं, अगर वास्तव में देखा जाय, तो उनमें से कितने शहर में ही अपना घर बनाते चले जा रहे हैं । उसका नतीजा क्या है ।आज गांवों में एक अनिश्चितता का सा वातावरण पैदा हो रहा है, वह अपने को किसी समय भी सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं । आज गांवों में पुलिस उनको स्वाभिमान-पूर्वक रहने नहीं दे रही है । भले ही पुलिस के आदमी आपकी मोटर के सामने सेल्यूट देते हों लेकिन देहात में पुलिस आज यह गवारा नहीं कर रही है कि कोई व्यक्ति स्वाभिमान पूर्वक रह सके । क्या ऐसे ही देहात की हमारे कल्पना पूज्य महात्मा जी ने की थी, क्या इसी के लिये लाखों आदमियों ने कुर्बानियां की थीं ।

आज आपने ग्राम पंचायतें बनाईं और कहा कि हम हुकूमत दे रहे हैं लेकिन यह सारी चीज बनाकर आपने क्या किया । आप जिस समय चाहें, आपके डिप्टी साहब किसी भी प्रधान को निकाल कर बाहर कर सकते हैं । पहले कम से कम यह तो संतोष था कि सरकारी हुकूमत है, सरकार के ओहदेदार हुक्म देंगे लेकिन अब तो आपने एक आदमी को गुलाम बना दिया है जो कि चुनाव से चुनकर आया था । वह कहने के लिये प्रधान है मगर वह पुलिस चौकीदार और पटवारी के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो डिप्टी साहब के यहां उसकी रिपोर्ट हुई और वह बर्खास्त कर दिया गया ।

इसी प्रकार से आप जिला परिषद् बना रहे हैं जिसमें सारे अधिकार कमिश्नर के हाथ में दे रहें हैं जिससे सारा अन्याय हो रहा है । इस सम्बन्ध में, जब आपका संशोधन बिल पेश होगा तब आपको मालूम होगा । लोगों ने यह भी कहा कि कोई सुझाव नहीं दिये गये । मैं कहता हूं कि पिछले साल फूड प्रोडक्शन में केवल डेढ़ करोड़ मन की कमी थी । अगर हम यह एलान न करते कि लैंड रिफार्म होगा और ४ लाख एकड़ जमीन हर साल टूटती तो ३ वर्ष में १२ लाख एकड़ जमीन टूटी होती और अगर उसमें सिर्फ ८ मन के हिसाब से भी पैदावार लगाई जाय तो १ करोड़ मन गल्ला और पैदा होता । न इस सरकार ने कुछ किया और न जनता को ही करने दिया । आज ८०,००,००० एकड़ जमीन कल्चरेबिल वेस्ट पड़ी हुई है । आज कहा जाता है कि सहकारी खेती होनी चाहिये । जितने साहबान बैठे हुये हैं उनमें से अधिकांश खेती रखते हैं, क्या कोई समाजवादी दल के भी लोग सहकारी खेती में शामिल हुये हैं ? कांग्रेस के एलान के अनुसार जो खद्दर पहने वही कांग्रेस में रहे, तो क्यों नहीं यह कर दिया जाता है कि जो सहकारी खेती में रहे वही कांग्रेस में रहे ? जिनके पास खेती नहीं है उनकी बात दूसरी है । आज हमारे कृषि विभाग की पालिसी ऐसी रही है कि उत्पादन गिरता जा रहा है । हम लोग बाहर से १,५०० करोड़ का गल्ला मंगाते हैं । अगर हम किसानों को उत्साह दिये होते तो हम किसान उससे कहीं ज्यादा गल्ला पैदा किये होते । आज भाखरा नांगल या स्टील प्लांट पर सरकार गर्व करती है मगर खाते हैं बाहर से लेकर । आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है क्या ? जितना फेवरिटिज्म इस विभाग में है उतना कहीं नहीं है । सरकार एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करावे । अभी अलीगढ़ की बात है । वहां सुपरवाइजरों का सेलेक्शन हुआ । ७० जगहों में से ६० पर पार्टी के आधार पर चुनाव हुआ । ग्रैजुएट को छोड़ दिया गया और हाई स्कूल लिये गये । यहां से लिखकर जाता है कि फलां को सेलेक्ट कर लो । फिर बतलाइये कहां से इंसाफ हो सकता है ।

सबसे बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटी हमारी यू० पी० केन कोआपरेटिव फैडरेशन है । उसमें हमेशा सेक्रेटरी वह हुआ करता था जिसे यू०पी० कोआपरेटिव फैडरेशन चाहता था । केन कमिश्नर

नाम रिकमेंड करता था कि आप इनमें से सेक्रेटरी बना लीजिये । मगर आज मंत्री महोदय स्वयं एक आदमी को ट्रांसफर करके दूसरे आदमी को रखकर गजट कर देते हैं कि सेक्रेटरी यह होगा । इस तरह से सरकारी छाप से कैसे काम चल सकता है ? समय बड़ा भयंकर आ रहा है और अगर यही लैंड रिफार्म सरकार के रहे तो देहात के क्या शहर के लोग भी सरकार पर विश्वास खोते जा रहे हैं और यह सरकार हमारे खयाल से हटनी चाहिये ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---श्रीमन्, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं विरोधी दल के नेताजी का कि उन्होंने यह इज्जत मुझे बख्शी कि अपने अविश्वास के प्रस्ताव का आधार उस महकमे को बनाया जिसका काम आदरणीय सदन ने मेरे सिपुर्द कर रखा है । उन्होंने अपनी जो दो बाचा कही वह अन्न इत्यादि के संबंध में भूमिका के रूप में रख दी । वास्तव में उनका सारा भाषण पुलिस के महकमे से ताल्लुक रखता था । मुझे कल ही सूचना मिल गई थी किसी स्रोत से कि पुलिस के महकमे पर अविश्वास का प्रस्ताव को आधारित करके कल उससे श्रीगणेश किया जायगा । और मैं बड़ी हिम्मत करके आरम्भ ही से बैठा रहा कि कदाचित कुछ ऐसी बातें कही जायंगी कि जिनकी जानकारी से कुछ हमारा ज्ञानवर्द्धन होगा और उससे हमें कुछ रोशनी मिलेगी और इस बड़े महकमे का संचालन मेरे ऐसे छोटे और कमजोर आदमी के ऊपर है, उसको कुछ मार्ग दर्शन होगा जिससे उस महकमे का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा .....

श्री अध्यक्ष---आज मार्गदर्शन का दिन नहीं था, आज तो मंत्रिमंडल को हटाने का दिन था ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल को बहुत अच्छी तरह से यह मालूम था कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करने से वे इस सरकार को हटा न सकेंगे । इसी विचार से उन्होंने यह कृपा की कि इसी बहाने से वे हमारे सामने कुछ ऐसे सुझाव रखें, जैसा कि उनका कर्त्तव्य इस सदन में है, जिनसे हमारा मार्ग दर्शन हो । इसी विचार से यह प्रस्ताव यहां लाया गया । इसीलिये मैं उससे मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहा था । किन्तु मुझे खेद है कि किसी ओर से भी मुझे कोई खास बात ऐसी नहीं मिली ।

कई बातें ऐसी कही गईं जिनमें हमारा और उनका कोई मतभेद ही नहीं है । उदाहरण-स्वरूप उन्होंने कहा कि पुलिस जनता के सहयोग से काम करे, उसका व्यवहार जनता के साथ शिष्टता का हो, वह उसकी जान, माल और इज्जत की हिफाजत करना अपना प्रथम कर्त्तव्य समझे, जन सेवक अपने को समझे, नेक नीयती के साथ, बहादुरी के साथ, कर्त्तव्य परायणता के साथ काम करे । ये ऐसी बातें हैं जिनमें हमारा और आपका कोई मतभेद नहीं हो सकता और न है । जिन लोकतंत्रात्मक बातों का,कि किस प्रकार से देशों और प्रदेशों में पुलिस को काम करना चाहिये, इसकी ओर उन्होंने संकेत किया तथा जिसके लिये लंदन के कुछ प्रामाणिक लेखकों का प्रमाण प्रस्तुत किया उनके उद्धरण यदि वे न भी प्रस्तुत करते तो भी मैं उनकी सलाह के औचित्य और गांभीर्य को स्वीकार करता । इसमें न कोई संदेह है और कोई मतभेद हो भी नहीं सकता ।

उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं जिनमें मेरा विश्वास है कि वे भी उनमें विश्वास नहीं करते । जैसा कि उन्होंने कह दिया कि पुलिस स्टेट है यह । मुझे पूरा विश्वास है, श्रीमन्, कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल, श्री त्रिलोकी सिंह जी, बहुत अच्छी तरह से अपने मन में जानते हैं और उनको अनुभव भी है कि प्रदेश की सरकार जो यह है, वह पुलिस स्टेट नहीं है । लेकिन क्योंकि उन्हें इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करना था, उसको पेश करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ गई थी, इसलिये उन्होंने ऐसा कह दिया । प्रत्येक आदमी यह स्वीकार करेगा कि आज इस युग में जब हमारे प्रदेश में एक लोक तंत्रात्मक सरकार कायम है, जिसमें विधान सभा और विधान परिषद् हैं और जब कि हमारा संविधान मौजूद है, जिसमें प्रत्येक के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गयी है, जिसमें सरकारों के लिये डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स के नाम पर संकेत दिये हुये हैं, जिनका उस संविधान में उल्लेख है और जब इस प्रदेश में एक चुनी हुई एग्जीक्यूटिव मौजूद है, जो अनुत्तरदायी नहीं है, जिसको रखने अथवा निकाल देने का अधिकार इस सदन को प्राप्त है और जब इस प्रदेश

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

में जुडीशियरी की व्यवस्था है, जिसकी स्वतंत्रता और स्वतंत्र चिन्तन का हम और आप सब आदर करते हैं, ऐसे प्रदेश में जिसकी ३ करोड़ जनता प्रतिवर्ष अपने प्रतिनिधियों को यहां चुन कर भेजती है जो इस संविधान का परायण करके यहां के प्रबंध के लिये कानून बनाते हैं, उस प्रदेश के लिये अगर यह कहा जाय कि वहां पुलिस राज्य कायम है, यह तर्क से परे है, सत्य से परे है । पुलिस की ओर से कहीं ज्यादती हो जाती है, यह कहा जाय तो हम स्वीकार कर सकते हैं । कोई ऐसा नहीं है जो यह कहे कि कभी ज्यादती होती नहीं । पुलिस में कमियां हैं, यह हम स्वीकार कर सकते हैं उसका संचालन करने में हमसे त्रुटियां होती हैं, इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि इस ढंग से उसका संचालन होना चाहिये कि उसके कार्यों से इस प्रदेश की जनता को पूरा सन्तोष हो, उसमें कमी दिखायी देती हो, दिखायी देती होगी, हमें भी दिखायी देती है, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, पर यह कह देना कि यहां पर पुलिस का राज्य कायम है, यह एक ऐसी बात कही गई है जो वास्तविकता से बिलकुल दूर है और मैं समझता हूं कि स्वयं आदरणीय नेता विरोधी दल अपने हृदय में यह जानते हैं और मानते हैं कि ऐसी बात नहीं है । पुलिस राज्य तो डिक्टेटोरिअल स्टेट में होता है, जैसा कि अभी हमारे बगल के ही एक राज्य में अधिनायकवाद की स्थापना हुई है । और भी हमारे आस पास कई स्थान हैं जहां पर अधिनायकवादी सरकारें हैं । इसी देश में सैकड़ों वर्ष से ब्रिटिश सत्ता स्थापित थी, एक अनुत्तरदायी सरकार थी जिसकी शासन व्यवस्था को हटा देने की शक्ति किसी वैधानिक ढंग से हमारे पास नहीं थी । हमने उसे देखा है और अनुभव किया है । और जब हमारी व्यवस्था की रचना और निर्माण आप कर सकते हैं, जब कि अपनी सरकार को रखने और बदल देने का आपको और निर्वाचकों को अधिकार प्राप्त है तो उस समय यह कह देना कि यहां पुलिस राज्य कायम है, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा उद्गार है जिसे किसी जिम्मेदार विरोधी दल के आदरणीय और माननीय नेता के मुख से निकलना, कुछ अच्छी बात मुझे नहीं मालूम होती ।

मान्यवर, एक बात उन्होंने यह कही कि पुलिस अधिकार तुम बांट दो । लोकल बाडीज को पुलिस अधिकार दे देने की बात उन्होंने कही । मैं ऐसा समझता हूं और मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी यह धारणा है कि इसमें न तो माननीय नेता विरोधी दल विश्वास करते हैं और न इसे उचित समझते हैं । जैसी इस प्रदेश की परिस्थिति है, आज ८,१० वर्ष हुये देश में स्वतंत्रता स्थापित हुए, नये नये लोकतंत्र की स्थापना हुई, कर्त्तव्य की भावना जाग्रत हुई, जन समाज में अपने अधिकारों का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, उसे भी वर्षों की गुलामी के बाद साहस हुआ, गुलामी के हट जाने के बाद और एक लोकतांत्रिक युग में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद तथा अनेक सामाजिक नैतिक और आर्थिक कारणों के फल स्वरूप जिस परिस्थिति में देश है और उसके प्रकाश में अपने प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था का काम उतना ही आवश्यक आज प्रतीत होता है जितना इस प्रदेश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करना । लेकिन आज उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये यह व्यवस्था उचित होते हुये भी आज के दो चार वर्षों के बाद इसी व्यवस्था को कार्यान्वित करते हुये भी ऐसा कार्यान्वित कर सकें जिससे आज भी सन्तोष हो, मैं समझता हूं कि आज इस बात का समर्थन किया जाय इसे कोई भी बुद्धिमान आदमी जो इस प्रदेश की स्थिति और जन जीवन की स्थिति से परिचित है, इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता है ।

मान्यवर, एक बात और भी माननीय नेता विरोधी दल ने यह कही कि तुम्हारे यहां क्राइम्स के फीगर नहीं घट रहे हैं । यह उनकी कृपा थी जो उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम्हारे यहां क्राइम्स के फीगर बढ़ रहे हैं । मैं भी और सरकार भी इस बात को मानती है कि हमारे यहां क्राइम्स घट नहीं रहे हैं । मैं आज ही इस बात को नहीं स्वीकार करता हूं बल्कि अनेकों बार इसी आदरणीय सदन में मैं यह स्वीकार कर चुका हूं कि जो क्राइम्स की स्थिति हमारे प्रदेश में है वह हमारे लिये अशोभनीय है । लोकतंत्र के अधीन रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी जानमाल और इज्जत के सम्बन्ध में निश्चिन्त रहे । चैन की नींद वह सो सके और उस को यह अनुभव होता रहे कि हमारे जीवन के क्रम में अकारण किसी प्रकार हम को किसी तरह की

पोड़ा न पहुंचे इस तरह का विश्वास उसे होना चाहिये तभी लोकतंत्र चिरस्थायी होगा। अगर कोई अव्यवस्था उत्पन्न होगी तो वह विश्वास हट जायगा लोगों का। इसलिये अगर उसे जीवित रखना है तो हमें व्यवस्था को बनाये रखना अपना कर्त्तव्य समझना चाहिये उस लक्ष्य की सिद्धि के लिये। किसी अधिनायकवाद वाले देश में अव्यवस्था हो और लाठी डंडे से सामना किया जाय लेकिन लोगों का विश्वास उस में न हो और बलपूर्वक उसको स्थापित करने की चेष्टा की जाय, यह सम्भव हो सकता है, लेकिन किसी लोकतंत्रात्मक देश में अशान्ति के कारण यदि लोगों का विश्वास डिगे तो उस की रक्षा करना असम्भव हो जाता है। इस के विषय में संसार का इतिहास साक्षी है कि जब जब ऐसे अवसर आये हैं तभी लोकतंत्रातत्मक पद्धति बिगड़ी है और वहां अधिनायकवाद स्थापित हुआ है। इसलिये हमारा आप का यह कर्त्तव्य हो जाता है जब कि हम ने यह निश्चय किया है कि हमें लोकतंत्र की प्रतिष्ठा करना है, कि हम शान्ति व्यवस्था को बनाये रखें, न केवल शान्ति व्यवस्था के लिये ही प्रत्युक्त उस लक्ष्यके लिये कि हमारे यहां लोकतंत्रात्मक पद्धति स्थापित हो और चिरःस्थायी हो। ऐसी अवस्था में यदि इस प्रदेश में कहीं किसी कोने में भी, किसी संकुचित क्षेत्र में या वृहद् क्षेत्र में या किसी भी स्थिति में अव्यवस्था चलती हो, अशान्ति हो अथवा किसी एक व्यक्ति के हृदय में भी यह भाव हो कि सुरक्षित नहीं है तो यह लोकतंत्र के लिये खतरनाक है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करता हूं और मैं यह मानता हूं अपने पूरे विश्वास के साथ कि हमारे प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना उसी प्रकार हो जानी चाहिये जिस प्रकार कि शान्ति और व्यवस्था की स्थापना हर एक व्यक्ति के जीवन के लिये है। अपने अधिकार, जान माल, जीवन इज्जत सब के विषय में पूरा आश्वासन प्रत्येक नरनारी को प्राप्त हो जाय। यदि आज वह नहीं है, जैसा कि मैं मानता हूं कि नहीं है, यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है, ऐसी परिस्थिति को लाना हमारे लिये आवश्यक है।

अब मैं उस के कारणों में नहीं जाऊंगा, इस विषय में कई बार वादविवाद हो चुका है, उन्हीं के ऊपर फिर कहूं तो व्यर्थ की कटुता हो जाती है ऐसा कहने में कि आप उस के लिये जिम्मेदार हैं। परन्तु यह स्थिति है और इस का मुकाबला करने की कोशिश सरकार को करना है। क्योंकि उस की यह प्रारम्भिक जिम्मेदारी है और आप सब की सहायता भी उस के लिये अपेक्षित है। इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। ऐसी स्थिति को लाने का हमारा ध्येय है परन्तु यह कहा जाय कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो कंट्रोल हमारा पहले था वह कम होता जा रहा है—तो इस के विषय मे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि बात ऐसी नहीं है। हम अपने यहां के डकैतों का मुकाबला करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे यहां डाकुओं के गिरोह हैं और हमारे लिये यह शोभा की बात नहीं है कि इन गिरोहों को हम काबू में न ला सकें। यह चीज इस सरकार को स्वीकार करना चाहिये, जो वास्तविकता है वह है, परन्तु अगर परिस्थिति सुधरी नहीं है तो वह बिगड़ी भी नहीं है, उसमें क्रमशः कुछ न कुछ सुधार हो रहा है, सुधार तेजी से होना चाहिये इस में कोई सन्देह नहीं, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। यह कहा गया कि क्राइम्स के फिगर बढ़ गये तो यह बात भी वास्तविकता से परे है। न परिस्थिति बिगड़ी है और न क्राइम्स बढ़े हैं। मैं आपके सामने उन आकड़ों को देना नहीं चाहता। लेकिन मेरे पास कुछ फिगर्स हैं मान्यवर, जिनको देखने से हमको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में वाल्यूम आफ क्राइम पर वन लैक आफ पाप्युलेशन सबसे कम है। यू० पी० में सन् ५६ में १०७.१ सन् ५७ में १०२.६। बम्बई में सन् ५६ में २४१.२, सन् ५७ में २२२.७। बिहार में सन् ५६ में १४५.६, सन् ५७ में १६१.६। मध्य प्रदेश में २५६.४ सन् ५६ में और २४४.७ सन् ५७ में। वेस्ट बंगाल में सन् ५६ में २४१.६ और सन् ५७ में २४१.८। आल इंडिया एवरैज है १६०.८ सन् ५६ में और १५६.०० सन् ५७ में। तो देश में यहां की क्राइम पोजीशन सबसे कम रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने मर्डर्स की बात कही। कोई संदेह नहीं है कि हत्याएं होती रहती हैं और जैसा मैंने निवेदन किया, यह दुख की बात है। दुख की बात इसलिये भी है कि अब तक हम उस चीज पर पूरी तरह से काबू नहीं कर पाये हैं। इस तरह की हत्याएं जितनी जल्दी बंद हो जांय उतना ही हमारे लिये, प्रदेश के लिये और लोकतंत्र के लिये हित की बात होगी। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

करना चाहता हूं कि वाल्यूम आफ क्राइम पर वन लैक आफ पाप्युलेशन, हत्या के अपराधों का जो परिमाण है प्रत्येक एक लाख की पाप्युलेशन पर वह यू० पी० में २.५ सन् ५६ में, २.३ सन् ५७ में। बम्बई में ४.२ सन् ५६ में और ४.२ सन् ५७ में। बिहार में २.१ सन् ५६ में और २.३ सन् ५७ में। मध्य प्रदेश में ४.३ और ४.५। आल इंडिया एवरेज २.८ और २.९। डकैती के सम्बन्ध में भी ऐसे ही फिगर्स दिये जा सकते हैं। यू० पी० की फिगर्स सब जगह से कम हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इतने केसेज जो चालान हुए उसमें सजा नहीं हुई। मैं मानत' हूं कि जहां तक प्रासीक्यूशन की बात है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारा इन्वेस्टीगेशन साइड, हमारा प्रासीक्यूशन साइड और हमारा मैन्टीनेन्स, यह सब उन्नत और अधिक इफैक्टिव होने चाहिये। इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा। बहुत से कारण हैं। कारण कुछ भी हों, वास्तविकता यह है कि हमे देखना है कि हमारा प्रासीक्यूशन और इन्वेस्टीगेशन किस तरह से अधिक प्रभावकारी और सफल बने। नेता विरोधी दल ने स्वयं मांग की और हम सबने स्वीकार की और इसलिये पुलिस कमीशन की स्थापना भी की गई। यह एक बड़ा भारी मौलिक प्रश्न है कि किस प्रकार से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तीनों शाखाओं को अधिक इफेक्टिव बनाया जाय और सबका संबंध भी रहे।

(श्री अध्यक्ष से) मान्यवर, कितना समय है ?

श्री अध्यक्ष—६ मिनट बाकी हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस बात को स्वीकार करते हुए कि हमारे पास इस प्रकार के साधन होने चाहिए जिससे हमारे प्रासीक्यूशन ठिकाने से हों, इन्वेस्टीगेशन ठिकाने से हों, हमने कमीशन की स्थापना की है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनमें मालूम होगा कि खाली डकैती के केसेज को हमने देखा—हमारे यहां कन्विक्टेड केसेज जो है वह सन् ५६ में ४९.२ और सन् ५७ में ४८.५ हैं। इससे पता लगता है कि यह हाइएस्ट हैं इन दि होल आफ दि कंट्री। लेकिन हमें इनमें और अधिक सफलता मिलनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके यहां के एडमिनिस्ट्रेशन में उस प्रकार की कोई खराबी नहीं आ गई है कि जिस प्रकार की खराबी की कल्पना कर के हम परेशान हैं। क्राइम्स होते हुए भी उसके ऊपर काबू है, वह बराबर कम होते चले जा रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—पुलिस कमीशन कब से काम करेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं बता रहा हूं। अब १९४७ में हमारे यहां १२४५ डकैती पड़ी, १९५८ में ८२५ पड़ी। सब में कमी हुई है। पर कम होने के बाद भी हमारा यह तर्क नहीं है जो कम हो गई उससे दावा करें कि हमने बहुत सुधार कर लिया। यह और भी कम होन चाहिये।

पुलिस कमीशन की स्थापना के बारे में माननीय अवस्थी जी ने पूछा। मैं समझता हूं शीघ्र ही उसकी घोषणा होगी, सदन में वैसे तो घोषणा हो ही चुकी है। उसका एक व्यापक क्षेत्र रखा है। उसमें यह प्रश्न भी रखा है कि लोकतन्त्रात्मक युग में, लोकतांत्रिक पद्धति के अन्दर जो पुलिस हो उसका स्वरूप और उसका व्यवहार और ढंग किस प्रकार का होना चाहिये और उस प्रकार की भावना को उत्पन्न करने के लिये हमें कौन सा कदम उठाना चाहिये, यह भी कमीशन के टर्म्स आफ रिफरेंस में है। हम यह मानते हैं अपने प्रदेश में जिस प्रकार के जीवन की रचना करने में आप लगे हुए हैं उसके अनुकूल पुलिस का शासन भी हो और इसके प्रयास में हम लगे हैं और आप सब उसके लिये मार्ग दर्शन करेंगे।

लन्दन की पुलिस की बड़ी तारीफ की गई। ठीक बात है वहां की पुलिस सारे देश में प्रसिद्ध है अपनी भलमनसी के लिय, कर्त्तव्य परायणता के लिये और अपने शासन की सुव्यवस्था के लिये,

अपनी चरित्रशीलता के लिये । पर अभी २४ जुलाई को एक समाचार निकला "क्राइम इन लन्डन" वहां की मेट्रोपालिटन पुलिस के जो कमिश्नर, सर जाजेफ सिम्पसन हैं, उनकी रिपोर्ट निकली है उसमें उन्होंने लिखा है:

"Crime in London reached the highest peak ever recorded last year and there was a "most disturbing" increase in juvenile crime according to the annual report of metropolitan police published here yesterday."

इसमें वह कहते हैं नम्बर आफ नान इंडिक्टेबिल आफेन्सेज की तादाद १,५१,७९६ हो गई गत वर्ष के १,२५,७५४ की अपेक्षा । और उन्होंने कहा ६० प्रतिशत हमारे क्राइम बढ़े हैं १९३८ के टोटल से और गत वर्ष के टोटल से २० प्रतिशत और उसमें बहुत लम्बी सी रिपोर्ट दी है और यह लिखा है:

"The basic causes for crime have been the same for centuries, but perhaps, the most disturbing feature of the rise in crime to-day lies in the fact that neither the absence of real poverty nor the more progressive methods employed in dealing with deliquents appear to have done any thing to reduce the volume of crime".

यानी पावर्टी वहां नहीं है । साइंटिफिक मैथड्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी वे फेल हुए हैं क्राइम को रोकने में ।

तो मेरा मतलब यह है आपने सारे देश की फीगर्स को भी देखा है और इससे प्रत्यक्ष है कि कोई इतना बड़ा आधार नहीं हो गया है कि जिसको आधार बना करके अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के ऊपर लाये । ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़े सुधार की जरूरत है और फिर भी यह ऐडमिनिस्ट्रेशन जितना अभी चल रहा है उससे कोई आशंका या भय की बात नहीं होगी ।

दो, तीन मिनट और चाहता हूं । हमारे भाई राजनारायण जी ने जो कहा मेरा सौभाग्य है कि हमारे नता विरोधी दल ने मुझे विभाग के रूप में पकड़ा और दूसरे हमारे समाजवादी दल क नेता उन्होंने एक दूसरे रूप में मुझे पकड़ा और मान्यवर, मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने जिन बातों को आज दोहराया और जिनकी इजाजत श्रीमन् नें उन्हें दी वे वही बातें थीं जिनका जिक्र उस रोज इन्होंने किया था गवर्नर को पेटीशन देने के मामले में कि साहब मैं किसी कम्पनी का शेयर होल्डर हूं लिहाजा मैं डिस्क्वालीफाइड हूं और आपने उस पर यह रूलिंग दी कि इस मामले को गवर्नर के पास भेजो । और मैं उस एप्लीकेशन की प्रतीक्षा कर रहा हूं और मैं तो अनुरोध करूंगा राजनारायण जी से कि वह एप्लीकेशन वहां भेज दें क्यों कि कहीं सफाई देने का मुझको मौका मिल । आज ऐसी बातों को इस सदन में कहना और इस ढंग से कहना कि जिससे लांछन लगे और डिप्टी स्पीकर साहब ने यह कहा कि लांछनों का उत्तर नहीं दिया जा सकता । दोनों के लिये यह अवसर नहीं है । इस वक्त उसका उत्तर क्या दूं ।

श्री राजनारायण---मैं वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । अगर किसी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाया जाय तो क्या उसको जबाब देने का मौका नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---क्यों नहीं होगा ।

श्री राजनारायण---इसलिये मेरा निवेदन है उनको मौका दिया जाय कि वे हमार सवालों का जबाब दें ।

श्री अध्यक्ष---वे देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं लांछनों पर लांछन लगाऊं और हर चीज का यहां जबाब दूं तो जो उनका लक्ष्य है उसकी सिद्धि होने दूं यह बात मुझ से नहीं होगी । उन्होंने गवर्नर को दिया होगा डिस्क्वालिफिकेशन हमारे ऊपर लागू होगी तो डिस्क्वालिफाई हो जाऊंगा, अगर गवर्नर डिस्क्वालिफाई नहीं करेगा तो हम यहां मौजूद रहेंगे । यह प्रश्न है

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कानून का। आप कृपा कर उसे भेज दें ताकि वहां सफाई करने का मौका आये। हमारे ऊपर कोई लांछन चोरी कर लेने का, घूस ले लेने का, गबन कर लेने का उनकी ओर से नहीं लगता है। हमारे किसी रिश्तेदार ने कोई २०० रुपये की जमीन ८०० रुपये में बेच दी तो गलत किया। हमारे ऊपर वह लांछन तब लग सकता है जब मैंने बिकवाई हो। मेरे किसी रिश्तेदार ने जोर देकर अपने मकान का एसेसमेंट कम करवा लिया....

श्री राजनारायण---रिश्तेदार का नहीं आपका खुद मकान है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---उस एसेसमेंट को कम नहीं होना चाहिये था। पर यदि वह एसेसमेंट किसी ने कम करा लिया तो यह साबित करना होगा कि उसमें मेरा हाथ रहा ह। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस प्रदेश का कार्यकर्त्ता हूं, बहुत पुराना कार्यकर्त्ता हूं, बहुत से मित्र है जिनसे मेरा ३०-४० वर्ष से संबंध है। तो किसी बात को इस प्रकार से कहना और मेरे ऊपर यह लांछन लगाना कि मैंने पद का दुरुपयोग कर के कुछ लाभ उठा लिया यह अनुचित बात है। इस प्रकार के लांछन और प्रति लांछन यदि लगने लगे तो यह भी बहुत नामुनासिब बात हो जायगी। उनके लिये यह मौका है कि गवर्नर के यहां लिख कर भेज दें, शायद लिख दिया है और लिखेंगे और वहां इस चीज का फैसला हो। यहां किसी के भाई भतीजे, साले और बहनोई मामा और भानजे का सवाल उठाना उचित नहीं है। वे भी बनारस में रहते हैं। मैं भी छानबीन करूं और लांछन लगाना शुरू करूं तो इस सदन की कोई शोभा नहीं रहेगी। किसी कम्पनी ने कोई माल बेचा गवर्नमेंट के हाथ और अनुचित ढंग से उसने बेचा और अनुचित ढंग से मैंने उस माल को बिकवाया इस चीज को व पहले साबित करें तो फिर माननीय, मैं यह नम्रता पूर्वक निवेदन करूं कि सदन की प्रतिष्ठा, श्री सम्पूर्णानन्द के नेतृत्व की प्रतिष्ठा, उनके इस मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा, इस प्रदेश की जनता के गौरव की प्रतिष्ठा और एक बड़ी भारी संस्था जिसका एक छोटा सा कार्यकर्त्ता होने के नाते मैं यहां हूं उस संस्था की 'प्रतिष्ठा की रक्षा करने में मैं कभी भी पीछे नहीं रहूंगा। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह नहीं ह तो फिर "बुंद अघात सहहिं गिरि कसे, खल के बचन संत सहैं जैसे।" मैं कहता हूं कि आप एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे अभियोगों को लगाते चले जाइये और फिर मैं निवेदन करूं कि किस प्रकार परिस्थितियों का आपने लाभ उठाने की कोशिश की, किस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की लायलटी क साथ आपने खिलवाड़ किया। ये सब बातें ऐसी नहीं हैं जिनको मैं यहां कहूं। मेरी उनसे इतनी ही प्रार्थना है कि मैं एक कार्यकर्त्ता हूं। उन जैसे व्यक्ति से और पालीवाल जी जो यहां उपस्थित नहीं है, उन जैसे व्यक्तियों से ४०-४० साल से मेरा संबंध रहा है और इस जीवन में बचपन से लेकर अब तक कोई बात हुई हो तो साबित कीजिये, केवल पब्लिसिटी कराकर बदनाम न कीजिये और अगर कुछ भी सच्चाई हो तो प्रदेश के हित की दृष्टि से, श्री सम्पूर्णानन्द के नेतृत्व व उनकी सरकार की पवित्रता व शुद्धता की रक्षा की दृष्टि से एक व्यक्ति की हत्या होती है तो होनी चाहिये और एक नहीं १० आदमियों की हत्या करना भी बुरा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---श्री सजीवन लाल---।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब तो सजीवनलाल जी बोलेंगे। आप का कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन तो है नहीं।

श्री राजनारायण---जी, वही तो देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं (व्यवधान) सावधान। श्री सजीवनलाल।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं । मुझे तो हैरत और ताज्जुब है कि इस समय इस प्रदेश के अन्दर पुलिस मंत्री जी माननीय कमलापति त्रिपाठी जी हैं या आई० जी० या डी० आई० जी० हैं इसलिये कि कितनी ही बार हम लोगों ने इस सदन के सामने और मंत्री के पास दरख्वास्तें ले जा कर यह कहा कि फलां जगह पर फलां फलां आदमियों के कत्ल होने का अन्देशा है, फलां आदमी फलां तारीख को मारा जायगा.....

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य जरा खामोशी के साथ बाहर जायं । माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनका भाषण सुनाई तो दे ।

श्री सजीवनलाल---तो यह सरकार चल क्यों रही है ? यह सरकार आतंक और घूस के बल पर चल रही है । जिस सरकार के अन्दर आतंक और घूस इतना जोर पकड़ गया हो उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये । कारण यह है कि उन्नाव जिले के पुलिस कर्मचारियों ने चार, चार कत्ल किये । सदन के अन्दर कहा गया मगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की । इसी तरह से रुझई गांव में चार आदमियों का एक साथ रात में कत्ल कर डाला गया । अभी अभी निचलौल गांव के अन्दर डकैती पड़ी । एक नये किस्म की डकैती थी जिसके अन्दर डकत आते ह, सामान उठा ले जाते हैं और उसकी एक कुंवारी कन्या को जिसकी १३ साल की उम्र है उठा ले जाते हैं । इस तरह का काम तो रावण करता था और श्रीमन्, आपको मालूम है कि रावण कितना विद्वान था लेकिन जब उसने सीता जी को हरा तो इसी कारण आज भी हर साल उसके पुतले को फूंका जाता है । अगर इस तरह की नीति सरकार की रही तो क्या हालत होगी ।

इसी तरह से आप और कार्यों को देखिये । विकास के कार्यों में जिस कदर रुपये का दुरुपयोग हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है । अभी माननीय ऊदल जी का प्रश्न जो शेर और शेरनी पाले गये हैं उनके बारे में था उसके जबाब में बताया गया कि १,३५,००० रुपया उन पर खर्च किया गया । क्या इससे दश की गरीबी या अशिक्षा दूर हो सकती है या दश का कोई नया निर्माण हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
६ अगस्त १९५९ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर ।)

बन्द कपड़ा मिलों के नाम	बन्द होने की तिथि
१—मेसर्स कानपुर काटन मिल्स, कानपुर	.. १६–२–५९
२— ,, बी आई० सी० लिमिटेड : कानपुर काटन मिल ब्रांच कानपुर	.. ३१–१–५४
३— ,, नारायण काटन मिल्स : बीविग एन्ड कम्पनी कानपुर	.. ,,
४— ,, हरिकिशन दास विष्णु वीविंग मिल्स, कानपुर ..	.. .. ,,
५— ,, सचेड़ी काटन मिल्स, कानपुर ..	.. .. .. ,,
६–८—,,जांन स्पीनिंग मिल्स, आगरा ..	.. .. ,,
नम्बर २	१४–८–५७
नम्बर ३	४–५–५९
नम्बर ४	२१–१२–५८
९— ,, इन्द स्पीनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, आगरा ..	.. ४–४–५८
१०— ,, लल्ला मल हरदेव दास मिल्स, हाथरस ..	.. १–३–५३
११— ,, राम चन्द्र टैक्साइल इन्डस्ट्रीज, हाथरस ..	.. ६–५–५७
१२— ,, विनोस सेरीकम लिमिटेड दुर्गाकुन्ड, वाराणसी ..	.. २१–१–५२
१३— ,, भदोही टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज, वाराणसी ..	.. ,,
१४— ,, मुरादाबाद स्पीनिंग एन्ड वीविंग मिल्स मुरादाबाद ..	.. १९४८ से
१५— ,, जमुना वीविंग मिल्स कानपुर ...	.. .. ,,

नोट:—ये मिलें लगभग १९४८ में बन्द हुई । ठीक तिथि का पता नहीं है ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११३ एल० ए०—१९५९—८४५ ।